ख्वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ्ती खलील ख़ां बरकाती

Scanned by CamScanner

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 6

फोन: 3281418

Rs. 160.00

Scanned by CamScanner

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

मज़ामीन	सफा
तहारत का बयान	1
चन्द ज़रूरी इस्तिलाहें	2
वुज़ू का बयान	3
गुस्ल का बयान	21
तयम्मुन का बयान	36
हैज़ का बयान	42
निफ़ास का बयान	47
इस्तिहाज़ा का बयान	57
नजासत का बयान और उसके अहकाम	59
नजिस चीजो के पाक करने का तरीक़ा	64
इस्तिंजे के मुतअल्लिक चंद मसाइल	67
नमाज़ के वक़्तो का बयान	68
नमाज़ की शर्तो का बयान	72
नमाज़ के फ़राइज़	81
नमाज़ के वाजिब्रात का बयान	86
नमाज़ की सुन्नतों का बयान	87
नमाज़ं के मुस्तहब्बात	88
नमाज़े वित्र का बयान	94
क़ज़ा नमाज़ का बयान	97
पर्दे से मुतअल्लिक़ चन्द आयात व अहादिस	99
शौहर के हुकूक़	106
बीवी के हुकूक़	110
चहल अहादिस	114
औलाद की तालीम व तबियर्त	116
(हिस्सा दोम)	**123**
नफिल नमाज़ का बयान	124
सज्दए सहव का बयान	132
बिमार की नमाज़ का बयान	136
सज्दए तिलावत का बयान	139
नमाज़े मुसाफिर का बयान	142
बीमारी का बयान	147
मौत आने का बयान	154
मय्यत का गुस्ल व कफ़न	158
नमाज़े जनाज़ा और क़ब्र व दफ़न से मुतअल्लिक़ नाज़ मसाइल	167
ताज़ियत का बयान	174
सोग़ और नोहा का बयान	178
शहादत का बयान	182
ईसाले सवाब का बयान	183
वालदैन के हुकूक़ बादे वफ़ात	198
ज़कात का बयान	201
सदक़ ए फ़ित्र का बयान	209
रोज़े का बयान	210
नफ्ली रोज़े	223
हज का बयान	236
हजे बदल	241
हज में औरत के मख़सूस अहकाम	242
सफ़र मदीना तय्यबा	248
(हिस्सा सोम)	**252**
निकाह का बयान	253
मुहरमात का बयान	265
रज़ाअत यानी दूध के रिश्ते	274
कुफ़ू का बयान	282
औरत का हक्के मेहर	286
तलाक़ का बयान	293
ईला और ज़िहार का बयान	310
खुलआ का बयान	318
लिआन का बयान	320
ज़ौजा मफ्कूद का बयान	323
इद्दत का बयान	325
बच्चे की परवरिश का बयान	331
नफका का बयान	335
मजालिसे खैर का बयान	341
अक़ीक़ा और खतना	345
ज़ीनत का बयान	350
इस्लाहुर्रुसूम	358
आतिश बाज़ी	370

Scanned by CamScanner

(हिस्सा चहारुम) 374
फज़ाइल व मसाइल दुरूद शरीफ 375
कुरआन मजीद पढ़ने के फज़ाइल व आदाब 379
दुआ और उनके फज़ाइल व आदाब 386
कसम और उसके कफ्फ़ारे का बयान 392
हुदूद व ताज़ीरात का बयान 399
हद्दे क़ज़फ का बयान 405
ताज़ीर का बयान 406
मुर्तद का बयान 414
चन्द कुफरिया कलिमात 421
लुक्ता का बयान 437
मफकूत का बयान 442
खरीद व फरोख्त का बयान 443
कर्ज़ का बयान 470
मुतफर्रिक मसाइले ज़िंदगी 476
याद दाश्त के लिए गिरह लगाना 476
पांव में डोरा बांधना 477
गले या बाजू में तावीज़ 477
लिखा हुआ दस्तरखान 479
नज़रे बद से हिफाज़त 480
किस्से कहानी सुनना–सुनाना 481
जहेज़ की एक सूरत 483
बच्चो के लिए तहायफ 485
एक दूसरे के माल में तसर्रुफ 486
तोहमत की जगह 487
पीरों के हाथ पांव का बोसा 487
अपने हक के लिए दूसरे का माल दबाना 488
मां बाप का नाम लेना 489
शौहर का नाम लेकर पुकारना 489
मरने की दुआ करना 489
ज़लज़ला के वक्त 489
हमबिस्तरी के वक्त
कलाम वगैरह 491
मज़लूम से मुआफी 492
माहे सफर या तेरह तेज़ी 492
तांबे और मिट्टी के बरतन 494
रोटी के चार टुकड़े करना 495
पान में तम्बाकू का इस्तेमाल 495
अंधे से परदा 497
पानी पीने की इस्लामी तहज़ीब 500
खाली मकान में जाना 501
छींक बदफाली नहीं 502
हदिया की वापसी 503
दूसरे के बरतनों का इस्तेमाल 503
तिनके से खिलाल 503
झूला झूलना 504
अस्र के बाद खाने से परहेज़ 505
सोने चांदी के बरतन 505
आराईश व ज़िबाईश 506
सोने चांदी के बटन 506
तंग पाजामे 506
बगैर सलाम किए कलाम करना 507
खाने–पीने के आदाब 507
चलने–फिरने के आदाब 509
मजलिस के आदाब 515
गुफ्तगू के आदाब 518
मुतफर्रिक आदाब 521
जमाई और छींक 528
क़हक़हा मारना 529
क़िबला रुख थूकना 530
ख़्वाब की ताबीर
मकान में जाने के लिए इजाज़त 531
बड़ा भाई चचा और खालू 532
असबाबे फिक्र व तंगदस्ती 533
खुद कर्दा रा इलाज नीस्त 543
असबाबे गिना व फराख़दस्ती 546
दुआए खैर 546
Scanned by CamScanner

374

सुन्नी बहिशती ज़ेवर (कामिल)

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसायल का मजमूआ

4

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी
बरकाती मद्दे ज़िल्लहु आला

मकतबा जामेनूर
422- मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली-6

Scanned by CamScanner

फ़जायल व मसायल दरूद शरीफ़

कुरआन करीम का इरशाद गरामी है- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और ख़ूब सलाम भेजो।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

दरूद शरीफ अल्लाह तआला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकरीम है उलेमा ने अल्लाह हुम्मा सल्लेआला सैयदना मुहम्मद के मानी यह बयान किये हैं कि यारब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अज़मत अता फ़रमा। आप के काम में बरकत दे। आप का नाम बुलन्द फ़रमा और आप पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल कर। दुनिया में उनका दीन बुलन्द और उनकी दावत ग़ालिब फरमा कर और उनकी शरीअत को फ़रोग़ और बका अनायत करके और आखिरत में उनकी शफ़ाअत कुबूल फ़रमा कर। उनका सवाब ज़्यादा करके और औवलीन व आख़िरीन पर उनकी फ़ज़ीलत का इज़हार फ़रमा कर। और अम्बिया व मुरसलीन व मलाइका और तमाम खल्क़ पर उनकी शान बुलन्द करके और आप को मक़ामे महमूद पर पहंचा कर।

यहां यह बात खास तौर पर ज़ेहन नशीन रखें कि रब अज्ज़ोजल का यह हुक्म मुतलक़ है। किसी ज़मान किसी मकान, किसी वक़्त और किसी हालत का इसमें इस्तसना नहीं कि फ़लां वक़्त फ़लां जगह फ़लां हालत में न पढ़ो तो हर वह महल हर वह मौक़ा और हर वह

Scanned by CamScanner

हाल कि शरअन ज़िक्र व अफ़कार की मुमानिअत वारिद न हो जब भी दरूद शरीफ़ पढ़ा जायेगा। उसी हुक्म इलाही की तामील में शुमार होगा इसीलिए हरबार दरूद शरीफ़ पढ़ने में अदाये फ़र्ज़ का सवाब मिलता है कि वह सब उसी मुतलक फ़र्ज़ के तहत में दाख़िल है जिस का कुरआन करीम हुक्म दे रहा है तो जितना भी पढ़ेंगें फ़र्ज़ ही में शामिल होगा। नज़ीर उसकी तिलावत कुरआन करीम है कि वैसे तो फ़र्ज़ नमाज़ में एक ही आयत का पढ़ना है और अगर एक रक्अत में सारा कुरआन अज़ीम तिलावत कर लिया तो सब फ़र्ज़ ही में दाख़िल होगा और फ़र्ज़ ही का सवाब मिलेगा। (फ़तावा रिज़वियह)

वहाबिया की ओंधी मत कि वह कदम कदम पर शान रिसालत की तौहीन करते और सुन्नी मुसलमानों को उससे रोकते बल्कि उन से झगड़ते हैं। दरूद शरीफ़ की बहुत बरकतें और फ़ज़ीलतें हैं।

हुज़ूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जो मुझ पर दरूद भेजे उसका दिल निफ़ाक से ऐसा पाक हो जाये जैसा कपड़ा पानी से। एक हदीस शरीफ़ में हैं कि जो कहे सल्लल्लाहु अला (सैयदना) मुहम्मद उसने सत्तर दरवाज़े रहमत के अपने ऊपर खोल लिये अल्लाह अज़्ज़ोजल उसकी मुहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा कि उससे बुग्ज़ न रखेगा मगर वह जिसके दिल में निफ़ाक होगा। (कशफुलग़मा)

एक हदीस में है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह अज़्ज़ोजल उस पर दस दरूदें नाज़िल फ़रमायेगा। उसकी दस खतायें महु फ़रमायेगा और दस दर्जे बुलन्द फ़रमायेगा। (नसई) नीज़ फ़रमाया कि पूरा बख़ील वह है जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दरूद न भेजे। (तिर्मिज़ी) उसी में है कि फ़रमाया क़ियामत

Scanned by CamScanner

के दिन मुझ से सब में ज़्यादा करीब वह होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा है।

नसई शरीफ़ में है कि फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि अल्लाह के कुछ फ़ारिग़ फ़रिशते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं अबी इब्ने काअब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह मैं बकसरत दुआ मांगता हूं तो उसमें से हुज़ूर पर दरूद के लिए कितना वक़्त मुकर्रर करूं "फ़रमाया जो तुम चाहो अर्ज़ की "चौथाई" फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है" मैंने अर्ज़ की 'निस्फ़" फ़रमाया जो तुम चाहो और ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है" मैंने अर्ज़ की तो कुल दरूद ही के लिए मुकर्रर करूं। फ़रमाया ऐसा है तो अल्लाह तुम्हारे कामों की किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

अल्ग़र्ज़ फ़राइज़ व वाजिबात की अदाएगी, नफ़िल नमाज़ों और तिलावते कुरआन अज़ीम के बाद दरूद शरीफ़ की किरअत सवाब आज़ीम की बाअस और रहमत रब करीम की मोजब है और मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत व दौलत। मौलाए करीम हमें अपनी पनाह में रखे और हर फ़ितना हर फ़ित्तीन और हर गुमराही व गुमराह से। आमीन०

चन्द मसायल

मसला:– उम्र में एक बार दरूद शरीफ़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हर जलसा ज़िक्र में दरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है। ख़्वाह खुद नाम अक़दस ले या दूसरे से सुने। और अगर मजलिस में सौ बार ज़िक्र आये तो

हर बार दरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- जहां तक भी मुम्किन हो दरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और खसूसीयत के साथ इन जगहों में:-

रोज़ जुमा, शब जुमा, सुबह, शाम, जवाब अज़ान के बाद दुआ के अव्वल आख़िर में इज्तिमाअ व फ़राक़ के वक़्त, वुजू करते वक़्त जब कोई चीज़ भूल जाये उस वक़्त।

मसला:- नाम अक़दस लिखे तो दरूद ज़रूर लिखे कि बाज़ उलेमा के नज़दीक उस वक़्त दरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसला:- अक्सर लोग आजकल दरूद शरीफ़ के बदले सलअम अलैहिस्सलाम के बदले अम या स.स. लिख दिया करते हैं यह नाजायज़ व सख़्त हराम है उलमा-ए कराम फ़रमाते हैं कि सबसे पहले जिसने ऐसा लिखा उसके हाथ क़लम कर दिये गये कि ऐसे मुक़द्दस नाम के लिए ज़रा से वक़्त, ज़रा से काग़ज़ात और ज़रासी सियाही में इतना बुख़्ल। यूंही रज़ि० अल्लाहु तआला की जगह रज़ि० रहमतुल्लाह तआला की जगह रह० लिखते हैं। यह भी न चाहिए जिन लोगों के नाम मुहम्मद, अहमद, अली, हसन, हुसैन, वग़ैरह होते हैं। इन नामों पर स्वाद बनाते हैं। यह भी ममनूअ है कि उस जगह तो यह शख़्स मुराद है। उस पर दरूद शरीफ़ या दूसरे अल्फ़ाज़ के इशारों का क्या मतलब। (तहतावी, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

कुरआन मजीद पढ़ने के फ़ज़ायल व आदाब

कुरआन करीम अल्लाह तआला का कलाम है। उस पर इस्लाम और अहकाम इस्लाम का दारो मदार है। उसकी तिलावत करना उ... के मानी व मफ्हूम को समझना और उसके मानी व मतालिब में ग़ौर व फ़िक्र आदमी को खुदा का मुकर्रब बनाता और उसकी दुनिया व आखिरत संवारता है।

यही वह किताब है जिसका देखना सवाब, छूना सवाब, पढ़ना सवाब, और समझना मोअजब नजात है। इस मौक़ा पर चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं–

हुजूर अक्दस नूर मुजस्सम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

१. तुम में बेहतर वह शख़्स है जो कुरआन सीखे और सिखाये। (बुख़ारी)

२. जो मोमिन कुरआन पढ़ता है उसकी मिसाल तरबख की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा। और जो मोमिन कुरआन नहीं पढ़ता वह खजूर की मिस्ल है कि उसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा शीरीं है और जो मुनाफ़िक़ कुरआन नहीं पढ़ता वह अन्दराईन की मिस्ल है कि उस में खुशबू भी नहीं और मजा कडवा है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. जो कुरआन पढ़ने में माहिर है (कि ख़ूब आसानी व रवानी से पढ़ता है) वह किरामन कातिबीन के साथ है और जो शख्स रुक-रुक कर पढ़ता है और वह उस पर शाक़ है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती तकलीफ के साथ पढ़ता है उसके लिए दो अज्र

Scanned by CamScanner

(दोहरे सवाब) हैं।

४. जिस के पेट में कुछ कुरआन नहीं है वह वीराने मकान की मिस्ल है। (तिर्मिज़ी)

५. जो शख़्स किताबुल्लाह का एक हर्फ़ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ़ है बल्कि अलिफ़ एक हर्फ़, लाम दूसरा हर्फ़ और मीम तीसरा हर्फ़ है।

६. जिसने कुरआन पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया उसके वालदैन को कियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिस की रोशनी सूरज से अच्छी है। अगर वह तुम्हारे घरों में होता, तो अब खुद उस अमल करने वाले के मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या गुमान है। (अबूदाऊद)

७. जिसने कुरआन पढ़ा और उसको याद कर लिया। उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना। उस के घर वालों में से दस शख़्सों के बारे में अल्लाह तआला उसकी शफ़ाअत कुबूल फ़रमायेगा। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था।

८. इन दिलों में भी ज़ंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से ज़ंग लगती है। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह उसकी जिला (सफ़ाई) किस चीज़ से होगी? फ़रमाया कसरत से मौत को याद करने और तिलावते कुरआन से।

९. अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। शैतान उस घर से भागता है जिस में सूरः बक़रः पढ़ी जाती है। (मुस्लिम शरीफ़)

१०. जो शख़्स सूरः कहफ़, जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिए दो जुमा के माबैन नूर रोशन होगा। (बिहैक़ी)

११. हर चीज़ के लिए दिल है और कुरआन का दिल यासीन है जिस ने यासीन पढ़ी दस मर्तबा कुरआन पढ़ना, अल्लाह तआला उसके

Scanned by CamScanner

लिए लिख देगा। (तिर्मिज़ी)

१२. जो शख़्स अल्लाह तआला की रिज़ा के लिए यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मग़फ़िरत हो जायेगी। लिहाजा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। (बिहैक़ी)

१३. कुरआन की तीस आयात की एक सूरत है। आदमी के लिए शफ़ाअत करेगी। यहां तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी वह तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्क है। (अबूदाऊद)

१४. जो शख़्स सूरः वाक़िआ हर रात में पढ़ लेगा। उसको कभी फ़ाक़ा नहीं पहुंचेगा। इब्ने मसऊद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु अपनी अपनी साहबज़ादियों को हुक्म फ़रमाते थे कि रात में उसको पढ़ा करें। (बिहैक़ी)

१५. सूरए बक़रा के ख़ातिमा की दो आयतें, अल्लाह तआला के उस ख़ज़ाना में से हैं जो अर्श के नीचे हैं। अल्लाह तआला ने मुझे यह दोनों आयतें दीं उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वह रहमत हैं और अल्लाह से नज़दीकी और दुआयें। (दारमी)

१६. जो हर नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ मानिअ़ नहीं सिवा मौत के यानी मरते ही जन्नत में चला जाएगा और लेटते वक़्त जो उसे पढ़े अल्लाह तआला उसके और उसके पड़ोसी के घर को और आस-पास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा। (बहेक़ी)

आदाब तिलावत व मसायल क़राअत

मसला:- कुरआन मजीद देखकर पढ़ना, जुबानी पढ़ने से अफ़ज़ल

है कि यह पढ़ना भी है और देखना और हांथ से उसका छूना भी और यह सब इबादत है।

मसला:- तिलावत शुरू करते वक़्त आउज़ुबिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और सूरत से पहले जहां बिस्मिल्लाह कुरआन में लिखी होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब है।

मसला:- तिलावत के दौरान कोई दुनियावी काम करे तो आउज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या कलिमा तैय्यबा वग़ैरह अज़्कार पढ़े तो आउज़ुबिल्लाह फिर पढ़ना उसके ज़िम्मा नहीं। (ग़ुनीया वग़ैरह)

मसला:- सूरः बराअत (तौबा) से अगर तिलावत की तो आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरः बराअत आ गयी तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं। (ग़ुनीया) और सूरः तौबा की इब्तिदा में नया आउज़ुबिल्लाह जो आजकल के हाफ़िज़ों ने निकाला है बे असल है। और यह जो मशहूर है कि सूरः तौबा की इब्तिदाअन पढ़े जब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े तो यह महज़ ग़लत है। (बहारे शरीअत)

मसला:- गर्मियों में सुबह को कुरआन मजीद ख़त्म करना बेहतर है। और जाड़ो में अव्वल शब को हदीस शरीफ़ में है जिसने शुरू दिन में कुरआन ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिसने इब्तिदाए शब में ख़त्म किया सुबह तक फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तिग़फ़ार मलाइका ज़्यादा होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में ख़त्म करने से ज़्यादा होगी। (ग़ुनीया)

मसला:- जब ख़त्म हो तो तीन बार कुल हुवल्लाह पढ़ना

Scanned by CamScanner

बेहतर है। (ग़ुनीया)

मसला:– लेट कर कुरआन पढ़ने में हर्ज नहीं जबकि पांव समेटे हों और मुंह खुला हो और यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जायज़ है जबकि दिल न बंटे और दिल बंटे तो मकरूह है। (ग़ुनीया)

मसला:– गुसलख़ाने और नजासत की जगहों पर कुरआन पढ़ना नाजायज़ है। (ग़ुनीया)

मसला:– कुरआन करीम जब बुलन्द आवाज़ से पढ़ा जाये तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है जबकि वह मजमा सुनने की ग़र्ज़ से हाज़िर हो। वरना एक का सुनना काफी है। अगरचे और अपने कामों में हों। (ग़ुनीया, फ़तावा रिज़विया)

मसला:– मजमे में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ें कि आवाज़ें टकरायेंगी यह हराम है अक्सर मजमों में जहां कुरआन ख़्वानी होती है मसलन तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं। यह हराम है ऐसे मौक़ों पर कि पढ़ने वाले जमा हों हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत को औरत से कुरआन मजीद पढ़ना, ग़ैर महरम नाबीना से पढ़ने से बेहतर है कि अगरचे वह उसे नहीं देखता मगर आवाज़ सुनता है और औरत की आवाज़ भी औरत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। (ग़ुनीयतुलमुस्तमली)

मसला:– कुरआन करीम पढ़ कर भुला देना गुनाह है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब (के काम) मुझ पर पेश किये गये यहां तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो उससे बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई उसने याद कर ली और भुला दिया। (तिर्मिज़ी)

Scanned by CamScanner

मसला:– आदाब तिलावत में से यह बात भी है कि तिलावत करने वाला, बावुज़ू, क़िबलारू यक जहत हो कर कि तिलावत में ख़लल डालने वाली चीज़ें रू बरू न हों, अच्छे कपड़े पहन कर, कुरआन करीम को किसी पाक ऊंची चीज़ या मसलन तकिया पर रख कर और ठहर ठहर का तिलावत करे। सही तर्जुमा वाला कुरआन करीम मसलन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी का मिल जाये और हर जगह मिलता भी है तो उसी के तर्जुमा और मानी को भी ग़ौर से पढ़े कि क़ल्ब व क़ब्र की रोशनी और बढ़े और तिलावत से फ़ारिग़ हो कर अपने लिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ करना न भूले।

मसला:– जुनुब और हैज़ न निफ़ास वाली औरत, अगरचे ख़ुद न कुरआन पढ़ सकती है न छू सकती है लेकिन अगर कोई कुरआन करीम पढ़े और उसके पास कोई जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली या निफ़ास से निकली हुई, बे नहाई औरत बैठी हो तो कुरआन अज़ीम की तिलावत में कोई हरज नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– कुरआन मजीद पुराना बोसीदा हो गया इस क़ाबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाये और यह अन्देशा है कि उसके औराक़ मुन्तशिर होकर ज़ाया होंगे। तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफ़न कर दिया जाये और दफ़न करने में उसके लिए लहद बनाई जाये ताकि उस पर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगा कर छत बनाकर मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी न पड़े। हां मुसहफ़ शरीफ़ पुराना बोसीदा हो जाये तो उसको जलाया न जाये। (आलमगीरी)

मसला:– कुरआन करीम को दूसरी किताबों मसलन फ़िक़्हा व तफ़सीर, सब से ऊपर रखें और कुरआन करीम जिस सन्दूक़ में हो उस पर कपड़ा वग़ैरह न रखें। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

मसला:– किसी ने महज़ ख़ैर व बरकत के लिए अपने मकान या दुकान में कुरआन मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो यह गुनाह नहीं बल्कि उसकी यह नीयत बाअस सवाब है। मगर तिलावत कुरआन से ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए। (खानिया वग़ैरह)

मसला:– जिस कमरा में कुरआन मजीद रखा हो उस में बीवी से सोहबत करना जायज़ है जब कि कुरआन करीम पर पर्दा पड़ा हो। (आलमगीरी)

मसला:– मुसलमानों में यह दस्तूर है कि कुरआन मजीद पढ़ते वक़्त अगर उठ कर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते हैं। खुला हुआ छोड़ कर नहीं जाते। यह अदब की बात है मगर बाज़ लोगों में यह मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जायेगा तो शैतान पढ़ेगा इसकी असल नहीं। मुम्किन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ़ तव्वजोह दिलाने के लिए किसी ने अपनी तरफ़ से यह बात कह दी हो जो मसला बन गई।

मसला:– कुरआन करीम के आदाब में यह भी है कि उसकी तरफ़ पीठ न की जाये न पांव फैलाये जायें न पांव को उससे ऊंचा करें न यह कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरआन मजीद नीचे हो। (बहारे शरीअत)

मसला:– कुरआन मजीद को जुज़दान और ग़िलाफ़ में रखना अदब है सहाबा व ताबईन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के ज़माना से उस पर मुसलमानों का अमल है। (बहारे शरीअत)

मसला:– मुसहफ़ यानी कुरआन शरीफ़ को बोसा देना भी सहाबा किराम के फ़ेअल से साबित है हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु रोज़ाना सुबह बोसा देते थे और कहते थे यह मेरे रब का अहद और उसकी किताब है और हज़रत उसमान रज़ि अल्लाहु अन्हु भी मुसहफ़ को

Scanned by CamScanner

बोसा देते और चेहरे से मस करते थे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसलाः– कुरआन की कसम भी कसम है अगर उसका ख़िलाफ़ होगा कुफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः– कुरआन की किसी आयत को ऐब लगाना, या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसख़िरापन करना या मज़ाक़ व दिल लगी में कुरआन मजीद की आयतें बे मौक़ा पढ़ देना कि लोग सुन कर हंसें यह सब बातें कुफ़्र हैं। (बहारे शरीअत वग़ैरह) अल्लाह तआला हम सब को इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत पर साबित कदम रखे। आमीन०

मसला ज़रूरीया

यह बात बताई जा चुकी है कि किरअत व तिलावत में इतनी आवाज़, आहिस्ता पढ़ने में भी ज़रूरी है कि पढ़ने वाला खुद सुन सके। अगर किसी ने नमाज़ व तिलावत में इस कद्र आहिस्ता पढ़ा कि खुद न सुन सका और कोई मानेअ मसलन शोर व गुल या सकले समाअत (ऊंचा सुनना) भी नहीं तो नमाज़ होगी न तिलावत।

इसी तरह जिन मामलात में नतक़ को दखल है यानी जहां कुछ पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है। उससे यही मक़सूद है कि कम अज़ कम इतना हो कि खुद सुन सके। मसलन जानवर ज़िब्ह करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, या तलाक़ देना या मसलन आयत सजदा पढ़ने पर सजदा वाजिब होना वग़ैरह। (आलगीरी)

दुआ और उसके फ़ज़ायल व आदाब

दुआ, अल्लाह तआला की बारगाह में मुनाजात व अर्ज़ हाजत का दूसरा नाम है। दुआ एक अजीब नेमत और उम्दा दौलत है कि

Scanned by CamScanner

परवरदिगार आला ने अपने बन्दों को इनायत फ़रमाई और उन्हें तालीम दी।

मुश्किलात को हल करने में इससे ज़्यादा कोई चीज़ मोअस्सिर नहीं और बला व आफ़त के टालने मे कोई बात इससे बेहतर नहीं कि इबादत भी है और मग़ज़ इबादत भी एक इबादत से आदमी को पांच फ़ायदे हासिल होते हैं–

१. आदमी इबादत गुज़ारों के गिरोह में दाख़िल होता है।

२. जो शख़्स दुआ करता है वह अपने अिज्ज़ व एहतियाज का इक़रार अपने परवरदिगार के करम व क़ुदरत का एतराफ़ करता है।

३. दुआ करने वाला, हुक्म शरई की तकमील करता है कि शरीअत ने उस पर ताकीद फ़रमाई और दुआ न करने वालों पर ग़ज़ब इलाही की वईद आई।

४. इत्तिबाअ सुन्नत भी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगते और दूसरों को भी ताकीद फ़रमाते।

५. दुआ से बलायें टलती हैं और मुद्दआ भी हासिल होता है। आदमी अगर बला से पनाह चाहता है। ख़ुदाए तआला पनाह देता है और जो किसी बात की तलब करता है। अपनी रहमत से उसको अता फ़रमाता है या आख़िरत में सवाब बख़्शता है।

सरवरे माअसूम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है। दुआ बन्दे की तीन बातों से खाली नहीं होती। या उसका गुनाह बख़्शा जाता। या दुनिया में उसे फ़ायदा हासिल होता है या उसके लिए आख़िरत में भलाई जमा की जाती है कि ज़ब बन्दा अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा। जो दुनिया में मुस्तहजाब (मकबूल) न हुई थीं

तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कुबूल न होती और सब यहीं के वास्ते जमा रहतीं। (अहसनुलवआत)

मगर ऐसे शख़्स को जो अपनी दुआ का कुबूल होना और मुद्दआ का हासिल न होने की सूरत में सवाब आख़िरत उसके एवज़ लेना चाहता है मुनासिब है कि दुआ में उसके सवाब आदाब की रियाअत करे, जब आदाब दुआ, दुआ के साथ जमा हो जाते हैं तो कुबूलियत की तवक़्क़ोअ ज़्यादा होती है जबकि मौला करीम के फ़ज़्ल व करम की कोई निहायत नहीं। आदाब दुआ जो बड़ी किताबों में मज़्कूर हैं उन में बाज़ यह हैं–

१. दिल को हत्तुलइम्कान, दूसरे ख़्यालात से पाक रखो।

२. बदन लिबास और मकान पाक साफ़ हों।

३. दुआ से पहले कोई अमल सालेह, नमाज़ तिलावत कुरआन वग़ैरह को लो कि खुदाए तआला करीम की रहमत मुतवज्जह हो, सदक़ा ख़सूसन पोशीदा दुआ में बड़ा असर रखता है।

४. दुआ से क़ब्ल गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करो कि नाफ़रमानी पर क़ायम रह कर, अता मांगना बेहयाई है।

५. वक़्त कराहत न हो तो दो रकअत नमाज़ खुलूस क़ल्ब से पढ़ो कि रहमत मुतवज्जा हो।

६. दुआ के वक़्त, बा वुज़ू किबला रू, आदाब के साथ जैसे नमाज़ में बैठते हैं। बैठों दिल हाज़िर और निगाह नीची रखो।

७. दुआ के लिए अव्वल आख़िर हम्द इलाही बजा लाओ और दरूद शरीफ़ पढ़ो कि उसके बग़ैर दुआ बुलन्द नहीं होने पाती।

८. अब कि मांगने का वक़्त आया जलाल इलाही के तसव्वुर में डूब जाओ और उसकी अज़ीम रहमतों को जो बा वजूद गुनाह तुम्हारे हाल पर फ़रमाता रहा याद करके शर्मिन्दा हो और बड़े अदब के

साथ हाथ आसमान की तरफ़ उठाओ और सीने के मुक़ाबिल और खुले रखो।

९. जिस क़द्र आजिज़ी का इज़हार कर सकती हो इतनी ही बेहतर है और दुआ में भी इस क़द्र आवाज़ ज़रूरी है कि अपने कान तक पहुंच सके।

१०. जब अपने लिये दुआ मांगो तो सब अहले इस्लाम को उसमें शरीक कर लो साथ ही वालदैन और मशायख़ के लिए भी ज़रूर दुआ करो कि अगर खुद क़ाबिल अता नहीं तो किसी बन्दे का तुफ़ैली हो कर मुराद को पहुंच जाओगी।

११. आमीन पर ख़त्म करो कि दुआ की मुहर है और फ़ारिग़ होकर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लो खुदाए तआला शर्म व कर्म वाला है। जब बन्दा अपने दोनों हाथ उठाता है और सवाल करता है तो अल्लाह तआला खाली हाथ फेरने से शर्माता है। किसी तरह की ख़ैर व खुबी ज़रूर मरहमत फ़रमाता है। तो बनज़र उस नेमत व बरकत के दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेर लेना मुकर्रर हुआ।

१२. तन्हा अपनी दुआ पर कनाअत न करो बल्कि अल्लाह के नेक बन्दों, बच्चों मिस्कीनों और बेवा औरतों के साथ नेक सलूक करके उनसे भी दुआ चाहो कि जल्द कुबूल होती है कि जब एहसान किया वह राज़ी होंगे और दिल से उसके लिए दुआ करेंगे और मुसलमान की दुआ मुसलमान के लिए उसकी ग़ैर मौजूदगी में निहायत जल्द कुबूल होती है कि उनकी रज़ामन्दी से अल्लाह राज़ी होगा और उनका मुंह उसके लिए दुआ में उसके मुंह से बेहतर होगा। अमीरूलमोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ि अल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से अपने लिए दुआ कराते थे कि दुआ करो उमर बख़्शा जाये।

Scanned by CamScanner

कुबूलियत दुआ के औक़ात

अहादीस और अइमाए दीन के इरशादात के मुताबिक़, जिन औक़ात व हालात में, कुबूलियत की उम्मीद क़वी है उनमें चन्द यह हैं:-

१. शबे कद्र कि अक्सर उलेमा के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक की २७ वीं शब है।

२. शबे जुमा और रोज़ जुमा बिलख़सूस सूरज डूबने से कुछ ही पहले।

३. रोज़े अर्फ़ा यानी ज़िल्हिज्जा की नवीं तारीख़।

४. ठीक आधी रात को, कि उस वक़्त तजल्ली ख़ास होती है।

५. पंचगाना फ़र्ज़ों बल्कि हर नमाज़ के बाद।

६. तिलावत कुरआन करीम के बाद और ख़त्म कुरआन करीम के वक़्त।

७. रोज़ा इफ़्तार करते वक़्त।

८. जब मुर्ग अज़ान दे कि हदीस में आया वह रहमत के फ़रिश्तों को देख कर बोलता।

९. अज़ान के वक़्त हदीस में है उस वक़्त आसमान के दरवाज़े खोलें जाते हैं।

१०. रजब की चाँद रात।

११. शबे बराअत, शबे ईदुल्फ़ित्र और शबे ईदुज़्ज़ुहा।

बशारतें

१. हदीस शरीफ़ में आयते करीमा لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ की निस्बत फ़रमाया कि यह इस्म आज़म है जो इस के साथ दुआ करे कुबूल हो उलेमा-ए किराम फ़रमाते हैं यह आयते करीमा दुआ की कुबूलियत और बलाओं को दफ़ा करने में अज़ीम असर रखती है।

२. हदीस शरीफ़ में आया कि जब बन्दा या रब या रब (बार-बार) कहता है तो रब्ब अज़्ज़ोजल फ़रमाता है ऐ मेरे बन्दे मांग कि तुझे दिया जाये।

३. जो शख़्स يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ तीन बार कहे। फ़रिश्ता कहता है "मांग कि اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ तेरी तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई।

४. हुज़ूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जो किसी तकलीफ़ में मुझ से मदद मांगे वह तकलीफ दूर हो और जो किसी सख़्ती में मेरा नाम ले कर पुकारे वह सख़्ती दफ़ा हो और जो किसी हाजत में मुझे वसीला करे वह हाजत रवा हो।''

इसीलिए उलमा-ए किराम ने फ़रमाया कि महबूबाने ख़ुदा के वसीले से दुआ कुबूल होती है।

मुफ़ीद निहायत मुफ़ीद

दुआ के कुबूल में जल्दी न करे। हदीस शरीफ़ में है कि ख़ुदाए तआला तीन आदमियों की दुआ कुबूल नहीं फ़रमाता। एक वह कि गुनाह की दुआ मांगे। दूसरा वह कि ऐसी बात चाहे कि क़तअ रहम (रिश्ता दारों से क़तअ ताल्लुक़) हो। तीसरा वह कि कुबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कुबूल न हुई। ऐसा शख़्स घबरा कर दुआ छोड़ देता है और मतलब से महरूम रहता है।

ऐ अज़ीज़ ! तेरा परवर दिगार फ़रमाता है اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

Scanned by CamScanner

मुझ से दुआ मांगो मैं कुबूल फ़रमाऊं। पस यक़ीन समझ कि वह तुझे अपने दर से महरूम नहीं करेगा और अपने वायदे को वफ़ा फ़रमायेगा बल्कि वह तेरे ऊपर नज़र करम रखता है कि तेरी दुआ के कुबूल करने में देर करता है तू क्या जाने कि तेरे लिए भलाई काहे में है तू क्या जाने कि कैसी सख़्त बला आने वाली थी कि इस दुआ ने दफ़ा की। तू क्या जाने कि इस दुआ के एवज़ कैसा सवाब तेरे लिए ज़ख़ीरा हो रहा है। उसका वायदा सच्चा है हां बे एतक़ादी आई तो यक़ीन जान कि मारा गया और इब्लीस लईन ने तुझे अपना सा कर लिया। वालअियाज़ बिल्लाह।

और हरगिज़ हरगिज़ अपने और अपने अज़ीज़ों रिश्तेदारों बल्कि मिलने जुलने वालों की जान व माल और औलाद और अहल व अयाल पर बददुआ न करो क्या मालूम कि कुबूलियत का वक़्त हुआ और जो तुम ने मांगा वह वाक़ेअ हो जाये तो नदामत के सिवा कुछ हासिल न होगा। (अहसनु व आलाम अहमद रज़ा बरेलवी)

क़सम और उसके कफ़्फ़ारा का बयान

मसला:– कसम खाना जायज़ है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खाना न चाहिए। बाज़ लोगों ने क़सम को तकिया कलाम बना रखा है कि क़स्द व बिला क़स्द ज़बान पर जारी रहती है और इसका भी ख़्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूठी। यह सख़्त माअयूब और बड़े ऐब की बात है और ख़ुदा के सिवा किसी और की क़सम खाना मकरूह और बुरी बात है और

Scanned by CamScanner

यह शरअन क़सम भी नहीं। यानी उसके तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:– यह अल्फ़ाज़ क़सम नहीं अगरचे आदमी उनके बोलने से गुनाहगार होगा। जबकि अपनी बात मे झूठा हो "अगर ऐसा करूं तो मुझ पर खुदा का ग़ज़ब हो उसकी लानत हो। उस का अज़ाब हो। खुदा का क़हर टूटे। मुझ पर आसमान फट पड़े वग़ैरहा। यूंही रसूलुल्लाह की शफ़ाअत न मिले। खुदा का दीदार मुझे नसीब न हो। मरते वक़्त कलिमा नसीब न हो। (बहारे शरीअत)

मसला:– जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे मसलन कहे कि फ़लां चीज़ मुझ पर हराम है तो इस कह देने से वह चीज़ हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया उसे कौन हराम कर सके। मगर उसके बरतने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा। यानी यह भी क़सम है। (तबीय्युनुलहक़ायक़)

मसला:– तुझ से बात करना हराम है यह क़सम है बात करेगा तो कुफ़्फ़ारा लाजिम आयेगा। (आलमगीरी)

मसला:– खुदा और रसूल की क़सम यह काम न करूंगा। यह क़सम नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होती मसलन तुम्हें खुदा की क़सम यह काम कर दो इस कहने पर उस पर क़सम न होगी यानी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– जान बूझ कर झूठी क़सम खाई जिसे ग़मोस कहते हैं तो यह सख़्त गुनाह है उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार फ़र्ज़ है मगर कुफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं।

और अगर अपने ख़्याल में उसने सच्ची क़सम खाई थी मगर

Scanned by CamScanner

हक़ीक़त में झूठी है मसलन जानती थी (जानता था) कि फलां शख़्स नहीं आया है और कसम खाई कि नहीं आया है और हक़ीक़त में वह आया है तो ऐसी क़सम को लगू कहते हैं उसमें कफ़्फ़ारा भी नहीं और अगर आईन्दा के लिए क़सम खाई तो उसको मुन्अक़िद कहते हैं। ऐसी कसम अगर तोड़ेगी कुफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। और बाज़ सूरतों में गुनहागार भी होगी। (आमए कुतुब)

मसला:– कसम तोड़ने का कुफ़्फ़ारा, गुलाम आज़ाद करना या दस मिसकीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना है। यानी यह अख़्तियार है कि इन तीनों में से जो चाहे करे और जो शख़्स इन में से किसी बात पर क़ादिर न हो तो पे दर पे तीन रोज़े रखे। (आमए कुतुब)

मसला:– औरत को इन रोज़ों के दरमियान अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का एतबार न होगा यानी अब पाक होने के बाद लगातार तीन रोज़े रखे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– कसम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा नहीं और दिया तो अदा न होगा। यानी अगर कुफ़्फ़ारा देने के बाद कसम तोड़ी तो अब फिर कुफ़्फ़ारा दे कि जो पहले दिया है वह कुफ़्फ़ारा नहीं मगर फ़क़ीर के दिये हुए को वापस नहीं ले सकती। (आलमगीरी)

मसला:– कुफ़्फ़ारा उन्हीं मसाकीन को दे सकती है जिन को ज़कात दे सकती है यानी अपने मां बाप औलाद वग़ैरहुम को जिन को जक़ात नहीं दे सकती कुफ़्फ़ारा भी नहीं दे सकती यूंही कुफ़्फ़ारा की कीमत मस्जिद में सर्फ़ नहीं कर सकती वहां कुफ़्फ़ारा की कीमत भी नहीं दे सकती। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसला:– क़सम में एक क़ायदा यह याद रखना चाहिए कि जिसका

Scanned by CamScanner

क़सम में हर जगह लिहाज़ ज़रूरी है कि क़सम के तमाम अल्फ़ाज़ से वह मानी लिये जायेंगे जिन में अहले उर्फ़ इस्तेमाल करते हों मसलन किसी ने क़सम खाई कि किसी मकान में नहीं जाऊंगी और मस्जिद या काबा मोअज़्ज़मा में गई तो क़सम नहीं टूटी। अगरचे यह भी मकान हैं यूंही लफ़्ज़ों के बोल चाल में जो मानी हैं वह मुराद लिये जायेंगे। क़सम खाने वाले की नीयत और मक़सद का एतबार न होगा। मसलन क़सम खाई कि दरवाज़ा से बाहर न जाऊंगी और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चली गई तो क़सम नहीं टूटी। अगरचे उससे मुराद यह है कि घर से बाहर न जाऊंगी। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- क़सम खाई कि फ़लां के घर न जाऊंगी तो जिस घर में वह रहता है उसमें जाने से क़सम टूट गई अगरचे वह मकान उसका न हो बल्कि किराया पर या आरियतन उसमें रहता है। यूंही जो मकान उसकी मिल्क में है अगरचे उसमें रहता न हो उसमें जाने से भी क़सम टूट जायेगी। (आलमगीरी)

मसला:- जो चीज़ ऐसी हो कि चबा कर हल्क़ से उतारी जाती हो, उसके हल्क़ से उतारने को खाना कहते हैं अगरचे उसने बग़ैर चबाये उतार ली और पतली चीज़, बहती हुई को हल्क़ से उतारने को पीना कहते हैं मगर क़सम में यहां भी मुहावारात का ज़रूर ख़्याल करना होगा कि कहां खाने का लफ़्ज़ बोलते हैं और कहां पीने का। मसलन उर्दू में दूध पीने को भी दूध खाना कहते हैं। लिहाज़ा अगर क़सम खाई कि दूध नहीं खाऊंगी तो पीने से भी क़सम टूट जायेगी और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में दूध मिला हुआ है। मगर उसका मज़ा महसूस नहीं होता

Scanned by CamScanner

तो उसके खाने से क़सम नहीं टूटी। (बहारे शरीअत)

मसला:– चखने के मानी हैं, किसी चीज़ को मुंह में रख कर उसका मज़ा मालूम करना और उर्दू मुहावरा में अक्सर मज़ा दरयाफ़्त करने के लिए थोड़ा सा खा लेने या पी लेने को भी चखना कहते हैं। अगर क़रीना से यह बात मालूम हो कि इस कलाम में चखने से मुराद थोड़ा सा खा कर मज़ा मालूम करना है तो यह मुराद लेंगे मसलन कोई शख़्स कुछ खा पी रहा है उसने दूसरे को बुलाया। उसने इन्कार किया, उसने कहा ज़रा चख कर तो देखो कैसी है तो यहां चखने से मुराद थोड़ी खाना लेना है। और अगर क़रीना न हो तो मुतलक़न मज़ा मालूम करने के लिए मुंह में रखना मुराद होगा कि इस मानी में भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है। (बहारे शरीअत)

मसला:– क़सम खाई कि खाना नहीं खाऊंगी और कोई ऐसी चीज़ खाली जिसे उर्फ़ में खाना नहीं कहते। मसलन दूध पी लिया या मिठाई खाली तो क़सम नहीं टूटी। (बहारे शरीअत)

मसला:– किसी से कलाम न करने की क़सम खा ली तो ख़त भेजने या किसी के हाथ कुछ कहला भेजने या इशारा करने से क़सम टूटेगी। (आलमगीरी)

मसला:– क़सम खाई कि फ़लां का ख़त न पढ़ूंगी और ख़त को देखा और जो कुछ उस में लिखा है उसे समझा तो क़सम टूट गई कि ख़त पढ़ने से यही मक़सूद होता है। ज़बान से पढ़ना नहीं जैसा कि कलाम न करूंगी। (आलमगीरी)

मसला:– क़सम खाई कि तेरे मकान का खाना पीना मुझ पर हराम है या कहा कि तेरे मटके का पानी पीना हराम है तो यह क़सम है अगर उसके घर का खाना खायेगी पीयेगी या दूसरी सूरत में उसके

Scanned by CamScanner

मटके का पानी पीयेगी तो क़सम का कफ़्फ़ारा देना आयेगा। (फ़तावा रिज़्वियह)

मसला:- क़सम खाई कि फ़लां के घर नहीं जाऊंगी तो जिस घर में वह रहता है उस में जाने से क़सम टूट गई अगरचे वह मकान उस का न हो बल्कि किराया पर या आरियतन उसमें रहता हो यूंही जो मकान उसकी मिल्क में है अगरचे उसमें रहता न हो उसमें जाने से भी क़सम टूट जायेगी। (आलमगीरी)

मसला:- क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगी तो मछली खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूंही कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, औझड़ी दुम्बा की चिकती के खाने से भी नहीं टूटेगी कि उन चीज़ों को उर्फ़ में गोश्त नहीं कहते और अगर किसी जगह उन चीज़ों का भी गौश्त में शुमार हो तो वहां उनके खाने से भी क़सम टूट जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- मन्नत की बाज़ सूरतों में भी कुफ़्फ़ारा होता है मसलन कहा कि अगर मैं तुम से बात करूं या तुम्हारे घर आऊं तो मुझ पर इतने रोज़े हैं कि उस का मक़सद यह है कि मैं तुम से बात नहीं करूंगी या तुम्हारे यहां नहीं आऊंगी ऐसी सूरत में अगर शर्त पाई गई यानी उसके यहां गई या उससे बात की तो अख़्तियार है कि जितने रोज़े कहे थे वह रख ले या कफ़्फ़ारा दे दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- जिस मन्नत में शर्त का ज़िक्र न हो तो मन्नत का पूरा करना ज़रूरी है हज या उमरा या रोज़ा या नमाज़ या ख़ैरात या एतकाफ़ जिसकी मन्नत मानी हो वह करे। (आलमगीरी)

मसला:- मन्नत या कसम में इन्शाअल्लाह तआला कहा तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं। बशर्ते कि इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ उसके

Scanned by CamScanner

कलाम से मुत्तसिल हो और अगर फ़ासला हो गया, मसलन कसम खाकर चुप हो गई या दरमियान में कुछ और बात की फिर इन्शाअल्लाह कहा तो कसम बातिल न हुई। यूंही हर वह काम जो कलाम करने से होता है। मसलन तलाक़, वायदा इक़रार वग़ैरह, यह सब ख़िलाफ़ करने से कफ़्फ़ारा वग़ैरह लाज़िम नहीं आता।

फ़ायदा जलीला

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं ख़ुदा की क़सम इन्शाअल्लाह मैं कोई क़सम खाऊं और उसके ग़ैर में भलाई देखूं तो वह करूंगा। जो बेहतर है और क़सम का कुफ़्फ़ारा दे दूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और दूसरी हदीस में है कि जो शख़्स क़सम खाए और दूसरी चीज़ उससे बेहतर पाये तो क़सम का कुफ़्फ़ारा देदे और वह काम करे। (मुस्लिम व तिर्मिज़ी)

तो वह जो बाज़ मर्दों और औरतों में आदत होती है कि ज़रा ज़रा सी बात पर न करने की क़सम खा बैठते हैं बल्कि बाज़ तो ऐसे बेबाक होते हैं कि मरने के बाद ज़नाज़ा पर न जाने की कसम खा बैठते हैं हलांकि वह अपने अज़ीज़ और मुसलमान होते हैं उन्हें इन हदीसों से सबक़ हासिल करना चाहिए कि कसम तोड़ दें कुफ़्फ़ारा अदा करने और ताल्लुकात को बरक़रार रखें। अल्लाह तआला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाये।

بجاہ النبی الامی الامین علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسلیم۔

Scanned by CamScanner

हदूद और ताज़ीरात (जुर्म व सज़ा) का बयान

हद एक किस्म की सज़ा है जिसकी मिक्दार शरीअत की जानिब से मुकर्रर है इस में कमी बेशी नहीं हो सकती। इससे मक्सूद लोगों को ऐसे कामों से बाज़ रखना है जिसकी यह सज़ा है कि हद कायम करना बादशाह इस्लाम या उसके नायब का काम है यानी बाप अपने बेटे पर या मसलन उस्ताद अपने शागिर्द पर, शौहर अपनी बीवी पर या बड़ा अपने छोटे पर कायम नहीं कर सकता।

और ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो किसी गुनाहगार पर बग़र्ज़ तादीब दी जाये शरीअत मुतहहरा में उसके लिए कोई मिक्दार मोअय्युन नहीं बल्कि उसे हाकिम इस्लाम (काज़ी) की राय पर छोड़ा है जैसा मौका हो उसके मुताबिक अमल करे। ताज़ीर का अख़्तियार सिर्फ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं शौहर बीवी को, मां बाप अपनी औलाद को और उस्ताद शागिर्द को ताज़ीर कर सकता है।

क़ाबिले हिफ़्ज़ फ़ायदा जलीला

इस्लाम ने इन्सानी बिरादरी को जो क्वानीन अता फ़रमाए हैं वह अपनी जगह इतने कामिल और मुकम्मल हैं कि उन पर अमल पैरा होने वाला इन्सान अपनी ज़िन्दगी बड़ी आसाइश व सहुलत और फ़ारिगुलबाली से बसर कर सकता हैं अब जो लोग इन आसाइशों और माआशिरा में पायी जाने वाली नेमतों के निज़ाम को दरहम बेरहम करना चाहते हैं वह दरअसल अमने आमा पर डाका डालना और निज़ामे हयात को बरबाद करना चाहते हैं लिहाज़ा ये मुस्तहिक भी

Scanned by CamScanner

ऐसी ही सज़ाओं के हैं जो शरीअत मुतहहरा ने मुकर्रर की हैं या जिन का अख़्तियार हाकिम इस्लाम को दिया गया है।

मसलन औरत की इज़्ज़त व नामोस, ख़ान्गी ज़िन्दगी की जान है। अब अगर एक मर्द और एक औरत बग़ैर उसके कि उन के दरमियान जायज़ रिश्ता, मीयां बीवी का हो, बाहम मुबाशिरत व हम बिस्तरी का इरतिकाब करें तो यह कोई मामूली बात और क़ाबिले माफ़ी जुर्म नहीं। बल्कि ग़ौर करें तो यह वह जुर्म है जिससे इज्तिमाई ज़िन्दगी की जड़ ही कट कर रह जाती है। इसी वजह से हर ज़माने में इन्सानी बिरादरी बशर्ते कि वह नफ़्स परस्ती की असीर न हो। इन्सानी मआशिरा को पाकीज़ा रखने के लिए निकाह को (ख़्वाह वह किसी भी सूरत में अन्जाम पज़ीर हो) रिवाज देती रही और साथ ही साथ नाजायज़ मेल मिलाप को ख़त्म करने के लिए कोशिश में मसरूफ़ रही।

इस्लामी कानून ने ज़िना को एक बदतरीन मआशिरती जुर्म क़रार देकर, ज़ानी व ज़ानिया के लिए सख़्त सज़ायें तजवीज़ कीं और मंशा उसका यह है कि लेाग इन सज़ाओं के ख़ौफ़ से उस जुर्म ख़बीस का इरतिकाब न करें और किसी को उस पर सज़ा देने की नौबत ही न आने पाये। यहां यह बुनियादी नुक्ता याद रहे कि इस्लाम ने मआशिरे की बुनियाद ख़ानदान ही को क़रार दिया है। अगर ख़ानदान का निज़ाम सही उसूल पर क़ायम हो गया तो इस्लाह सारे मआशिरे की हो कर रहेगी। यूंही चोरी शरीअत इस्लामिया में एक बदतरीन जुर्म है। इस्लाम ने फ़र्द व जमाअत दोनों के लिए अमन व अमान और सकून ख़ातिर का जो बेहतरीन व कामिल तरीन निज़ाम क़ायम किया है चोर उसमें रख़ना डालना और उस सारी फ़िज़ा को दरहम

Scanned by CamScanner

बेरहम कर डालना चाहता है तो चोर बद बख़्त मुजरिम है ही ऐसी सज़ा का मुसतहिक़। इसीलिए इस सज़ा में तख़फीफ़ या तरहहुम का हक़ हाकिम इस्लाम को भी हासिल नहीं जबकि जुर्म उसकी अदालत में बतरीक़ शरई साबित हो जाये।

यूंही किसी अफीफ़ व अफीफ़ा (पाक दामन मर्द ख़्वाह औरत) की जानिब ज़िना व बद चलनी जैसे बदतरीन जुर्म की निसबत भी वही लोग कर सकते हैं जो बेबाक हों। जब ज़िनाकारी खुद एक शदीद गुनाह ठहरा उसकी तोहमत भी किसी कलिमा गो के हक़ में उसकी शदीद तोहीन व तज़लील के हम मानी हुई और सज़ा भी उसके लिए ऐसी ही सख़्त लाज़िम आई।

अल्लाह अल्लाह– अल्लाह तआला को मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की इज़्ज़त व असमत और उसके नामोस तहफ़्फ़ुज़ का किस क़द्र एहतमाम है कि गवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं इकट्ठे चार गवाह, वह भी चशम दीद होना चाहिए। अगर उस ताअदाद में एक की भी कमी रह जाएगी तो जिस पर ज़िना की तोहमत लगाई वह न ज़ानी क़रार दिया जायेगा न उस पर हद ज़िना लाज़िम आयेगी। तो जो बिला ज़रूरत ऐसी बात ज़बान से निकालता है वह एक मुसलमान की ख़ामख़ाह आबरू रेज़ी करता है जो शरीअत इस्लामिया की नज़र में सख़्त नापसन्दीदा बात है।

मन्शा इस हुक्म का यह है कि मआशिरा में लोगों की "आशनाइओं" और नाजायज़ ताल्लुक़ात के चर्चे क़तई तौर पर बन्द कर दिये जायें क्योंकि इससे बेशुमार बुराईयां फैलती हैं। शरीअत इस चीज़ का सद्दे बाब पहले ही क़दम पर कर देना चाहती है। एक तरफ़ वह हुक्म देती है कि अगर कोई ज़िना करे और शहादतों से उस का

Scanned by CamScanner

जुर्म साबित हो जाये तो उसको वह इन्तिहाई सज़ा दो जो किसी और जुर्म पर नहीं दी जाती और दूसरी तरफ़ वह फ़ैसला करती है कि जो शख़्स किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाये वह या तो शहादतों से अपना इल्ज़ाम साबित करे वरना उस पर अस्सी (८०) कोड़े बरसा दो ताकि आइन्दा वह या कोई दूसरा अपनी ज़बान से ऐसी बात बिला सबूत निकालने की जुरअत न कर सके। बिलफ़र्ज़ अगर इल्ज़ाम लगाने वाले ने किसी को अपनी निगाहों से बदकारी करते देख भी लिया तब भी उसे ख़ामोश रहना चाहिए और दूसरों तक उसे न पहुंचाना चाहिए। ताकि गन्दगी जहां है वहीं पड़ी रहे आगे न फैल सके। अल्बत्ता अगर उसके गवाह मौजूद हों तो मआशिरा में बेहूदा चर्चे करने की बजाये मामला हुक्काम के पास ले जाये और अदालत में मुल्ज़िम का जुर्म साबित करके उसे सज़ा दिलवा दे।

क्या आज दुनिया के किसी क़ानून में मआशिरा की पकीज़गी व सफ़ाई का इस दर्जा एहतमाम व लिहाज़ है जितना क़दम क़दम पर शरीअते इस्लामिया में पाया जाता है। और अक़्ल के कोरे इन सज़ाओं को ज़ुल्म से ताबीर करते नहीं शर्माते।

इसी तरह मआशिरा में आज तक जितने फ़सादात, शराब नोशी से पैदा हो चुके हैं अज़हर मिनश्शम्स हैं। गालियां यह बकवाये, बेहयाई यह फैलाये हरामकारी की तरफ़ यह लाये। बलवे दंगे यह करादे। चोरी ठगी पर यह आमादा करे। क़त्ल व ग़ारत की नौबत यह ले आये। घरानों की रौनकें यह उजाड़े। ज़िन्दगी से लहलहाते चमन को यह बिगाड़े। हर इबादत से, तहारत से पाकीज़गी से यह रोक दे और इस तरफ़ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं।

इसलिए अक़्ल सलीम के लिहाज़ से शराब क़ाबिले शिर्क और

Scanned by CamScanner

वाजिबुल एहतराज़ है और यह फ़ख़्र तारीख़ में इस्लाम ही को हासिल है कि उसने हदूद मुमलिकत से उस उम्मुलख़बाइस (शराब) का ख़ात्मा ही कर दिया और उम्मत की निगाहों में "शराबी" को इन्तिहाई तहक़ीर और तज़लील का लक़ब करार दिया। यहां तक कि दुनियाए ईसाइयत को भी तस्लीम करना पड़ा कि "दुनिया में इन्सदादे मैनोशी (शराब बन्दी) की सब से बड़ी अंजुमन ख़ुद इस्लाम है। बर ख़िलाफ़ इसके यूरोपीयन तिजारत के क़दम जहां जहां पहुंचते जाते हैं- मैनोशी व बदकारी और लोगों की अख़्लाक़ी पस्ती बढ़ती ही चली जाती है।

अब शराब बन्दी के लिए ज़लील व कमीना सिफ़्त इन्सानों की कमर पर अगर कोड़े बरसा दिये जायें तो इसमें शर्माने और लजाने की बात क्या है।

फ़िक़्ही मसायल मुताल्लिक़ ब ज़िना

मसला:- जिस मर्द औरत से ज़िना सरज़द हो और वह मुकल्लफ़ यानी आज़ाद आक़िल बालिग़ और निकाह सही के साथ, मंकूहा से सोहबत व हम बिस्तरी कर चुका हो ख़्वाह एक ही मर्तबा। ऐसे शख़्स से ज़िना साबित हो उसके लिए सज़ाए ज़िना रजम या संगसारी है ताआंकि वह मर जाये। और अगर उनसे एक बात भी न हो मसलन आज़ाद न हो या मुसलमान न हो या आक़िल बालिग़ न हो। या आक़िल बालिग़ हो लेकिन हनूज़ उसका निकाह न हुआ हो। या निकाह तो हो चुका हो लेकिन हमबिस्तरी की नौबत अभी न आई हो या जिसके साथ सोहबत की हो उसके साथ निकाह फ़ासिद हुआ हो ऐसों से ज़िना साबित होने की सूरत में सौ कोड़े मारने की सज़ा है। (आमए कुतुब)

मसला:- ज़िना का सबूत या तो चार मर्दों की गवाहियों से होता

Scanned by CamScanner

है या ज़िना करने वाले के चार मर्तबा इक़रार कर लेने से। फिर भी इमाम बार बार सवाल करेगा और दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना से क्या मुराद है, कहां किया, किससे किया, कब किया और उन सब का बयान कर दिया तो ज़िना साबित होगा वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- गवाहों से सबूत ज़िना के लिए यह बात ज़रूरी है कि चार मर्द आकिल बालिग़ मुसलमान परहेज़गार दीनदार जो न किसी कबीरा गुनाह का इरतकाब करते हों न किसी सग़ीरा पर इसरार रखते हों, न खफ़ीफ़ुल हरकात हों कि कोई बात ख़िलाफ़ मरव्वत छछोरे पन की मसलन सरे बाज़ार खाना खाना या आम गुज़रगाहों पर सबके सामने पेशाब करना। उनसे सादिर नहीं होतीं। हलफ़ शरई के साथ शहादत दें और एक ही मजलिस में सराहतन अपना मुआयना बयान करें कि उन्होंने एक ही वक़्त में फ़लां मर्द को फ़लानी औरत से ज़िना करते हुए अपनी आंखों से उसका इन्दाम उसके जिस्म में इस तरह देखा जैसे सुर्मा दानी में सलाई। इन शर्तों में से एक बात भी कम होगी तो खुद गवाही देने वालों पर हदे कज़्फ़ जारी होगी और वह शरअन ८०,८० कोड़ों के मुस्तहिक़ होंगे। मसलन गवाहों में तीन दीनदार मुसलमानों ने वैसी ही गवाही दी जैसे कि शरअन दरकार मगर चौथे ने यह गवाही दी कि मैंने दोनों को बिल्कुल सरापा बरहना एक पलंग पर बैठे हुए और बाहम लेटे हुए देखा तो ज़िना साबित न होगा। या दो ने कहा कल देखा। दो ने कहा आज "या तीन ने कहा सुबह देखा। एक ने कहा तीसरे पहर तो सब की गवाहियां मर्दूद और ज़िना साबित न होगा। यूंही बेहूदा व बे मानी व बेअसल गवाहों से ज़िना का सबूत क़ियामत तक नहीं हो सकता। औरतों की गवाहियां ज़िना के बारे में बिल्कुल क़ाबिले एतबार नहीं बल्कि मर्दूद

Scanned by CamScanner

हैं यूंही बज़ारी अफ़वाह से भी ज़िना का सबूत नहीं हो सकता। लोग महज़ अपने क़ियास व क़रीने के घोड़े दौड़ाते और अपनी तरफ़ से ख़्यालात बातिला बांध लेते या फ़क़त दो एक शख़्सों या सिर्फ़ औरतों के कहने पर उड़ा देते हैं कि फ़लां ऐसा है फ़लानी ऐसी है। यह न शरअन मोअतबर है न उस पर सुनने वालों को एतबार हलाल। (फ़तावा रिज़वियह)

हदे क़ज़फ़ का बयान

मसला:- किसी को ज़िना की तोहमत लगाने को क़ज़फ़ कहते हैं। और जो शख़्स मर्द हो या औरत, किसी पारसा मुसलमान, मर्द ख़्वाह औरत को जबकि आज़ाद आक़िल बालिग़ हों, ज़िना की तोहमत लगाये और उस पर चार मुआयना के गवाह पेश न कर सके उस पर हद वाजिब हो जाती है हदे क़ज़फ़ आज़ाद पर अस्सी (८०) कोड़े हैं और ग़ुलाम पर चालीस (४०) (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- किसी पारसा औरत को रन्डी या कसबी कहा (जैसा कि जाहिल औरतें एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में कह देती हैं) तो यह क़ज़फ़ है और जिसने कहा वह हद की मुस्तहिक़ है कि यह अल्फ़ाज़ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ज़िना को पेशा कर लिया है।

मसला:- बाज़ औक़ात तम्बीह और सरज़िन्श के लिए बाप का नाम लेकर कह दिया करते हैं कि तू फ़लां का बेटा नहीं और मक़सद यह होता है कि तू आदत व ख़सलत में अपने बाप जैसा नहीं तो इस सूरत में हद नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतों बल्कि बाज़ मर्दों में भी वाही तबाही बातें मुंह से निकालने और ख़्वाह मख़ाह बक बक झक झक की आदत होती

Scanned by CamScanner

है मुंह से ऐसे करीह और फुहश अल्फ़ाज़ अदा किये जाते हैं। जिन्हें सुनना भी कोई शरीफ़ बरदाशत नहीं कर सकता। फिर नाम दिया जांता है इन बेहूदगियों, बदज़बानियों और गालियों को मज़ाक का दिल लगी का भई यह कौन सा मज़ाक है कि तुमने बिला बात दूसरे को हराम ज़ादा, भड़ुवा, हरामी हराम का बच्चा, या कुत्ता, गधा, सुअर, बन्दर, उल्लू वग़ैरह कह दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसे अल्फ़ाज़ से दूसरों को कितनी अज़ीयत व तकलीफ़ बल्कि इज़्ज़त वाले की कैसी तौहीन व ज़िल्लत व रुसवाई होती है। यह सब बातें गुनाह की बातें हैं और कहने वाले ताज़ीर के मुस्तहिक़ होते हैं जिस का अख़्तियार हाकिमे शरअ को है जो सज़ा मुनासिब जाने दे। यहां यह बात याद रखने की है कि हर वह गुनाह जिस पर शरीअत ने कोई ख़ास सज़ा मुकर्रर नहीं की है ख़्वाह वह कहने में आये या करने में हाकिमे इस्लाम मुख़्तार है कि उस पर जो चाहे सज़ा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

ताज़ीर का बयान

मसला:- ताज़ीर की बाज़ सूरतों में महज़ ज़जर व तो बीख़ और तफ़हीम व तम्बीह भी काफ़ी हो सकती है तो यही दरकार है कोड़े मारना ही ज़रूरी नहीं। यूंही हाकिम इस्लाम ही की तरफ़ हर मामला में रूजूअ न किया जायेगा। मसलन छोटे बच्चे को भी ताज़ीर कर सकते हैं और उसको सज़ा उसका बाप या दादा या उसका वसी या मुअल्लिम देगा और मां को भी सज़ा देने का अख़्तियार है। कुरआन पढ़ने और अदब हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उसके मां बाप मजबूर कर सकते हैं। यूंही यतीम बच्चा जो किसी की परवरिश में है उसे भी इन बातों पर मारा जा सकता। जिन

Scanned by CamScanner

पर अपने लड़के को मारता। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार) क्योंकि अगर यतीम बच्चा को मुतलकुलअनान, बिल्कुल आज़ाद, छोड़ दिया जाये और उसकी किसी हरकत पर बाज़ पुरस न की जाये तो वह इल्म व अदब और शर्म व लिहाज़ से बिल्कुल महरूम रह जायेगा। और अमूमन बच्चे बग़ैर तम्बीह काबू में नहीं आते और जब तक उन्हें ख़ौफ न हो कहना नहीं मानते। मगर मारने का मकसद सही होना ज़रूरी है। ऐसे ही मौका पर फरमाया गया। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ। अल्लाह को मालूम है कौन मुफसिद है और कौन मुसलह। असातज़ा भी बच्चों को न पढ़ने या शरारतें करने पर सज़ायें दे सकते हैं। मगर कुल्लिया उनके पेशे नज़र भी होना चाहिए कि अपना बच्चा होता तो उसे भी इस कसूर पर इतनी ही सज़ा देते। जितनी अपने शागिर्द को दी है। बल्कि ज़ाहिर तो यह है कि हर शख़्स को अपने बच्चा की तालीम व तरबीयत का जितना ख़्याल होता है दूसरे का इतना ख़्याल नहीं होता तो अगर उस काम पर अपने बच्चे को न मारा या कम मारा और दूसरे के बच्चे को धुन डाला तो यह महज़ गुस्सा उतारने के लिए है। सुधारना मकसूद नहीं वरना अपने बच्चे के सुधारने का ख़्याल ज़्यादा होता। बच्चे अगर सादात किराम के हों और ऐसी वैसी हरकतें करें या पढ़ने में जी न लगायें या उस्ताद का अदब बड़ों की ताअज़ीम न बजा लायें तो सज़ा नहीं भी दी जा सकती है मगर यहां नीयत इस्लाह के साथ यह भी ख़्याल दिल में रहना चाहिए कि साहबज़ादे के कपड़ों पर कीचड़ लग गई है मैं उसे छुटा रहा हूं। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- बाज़ हालतों में शौहर अपनी बीवी को इसी इसलाह की नीयत से सज़ा दे सकता है। मसलन अगर औरत बावजूद कुदरत

बनाव सिंगार न करे सर झाड़ मुंह फाड़ रहे या गुस्ले जनाबत न करे। या जिस मौका पर उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है बिला इजाज़त घर से चली जाये। या शौहर ने अपने पास बुलाया और नहीं आई जबकि हैज़ व निफास से पाक थी और फर्ज़ रोज़ा भी रखे हुए न थी। या छोटे नासमझ बच्चे को मार दिया या ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोल दिया। या अजनबी मर्द से कलाम किया शौहर को गाली दी या उसके कपड़े फाड़ दिये।

मसला:- शौहर को जहां यह अख्तियार दिया गया है कि वह औरत की कोताहियों पर उसे मार सकता है। इसका मतलब यह नहीं शौहर इस कमज़ोर मख़लूक पर ज़ोर आज़माई करे और लाठी या डंडा उठा कर इस पर बरसाना शुरू कर दे कि यह सुलूक तो जानवरों से भी नाहक रवा नहीं। तो अगर किसी बेरहम ने अपनी बीवी को इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई या खाल फट गई या न सही उसके जिस्म पर नीला दाग़ पड़ गया तो अब लेने के देने पड़ जायेंगे। फ़र्ज़ कर लो औरत ने खिसया कर हाकिमे इस्लाम के यहां दावा कर दिया और अपने दावा के सुबूत में गवाहों को पेश कर दिया और उनकी गवाही से शौहर की यह हरकत साबित हो गई तो शौहर की उस बेजा मार पीट की वजह से ताज़ीर हो गई। हाकिम इस्लाम जो चाहेगा उसे मुनासिब सज़ा देगा। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला:- किसी जाहिल खबीस के बहकाये में आकर या खुद औरत इस ग़र्ज़ से मआज़अल्लाह कुफ्र की कोई बात ज़बान से निकाल बैठी या कोई और ऐसी हरकत कर बैठी जिससे कुफ्र लाज़िम आता है और यह सब क्या उस नीयत व ग़र्ज़ से कि शौहर से पीछा छूट जाये तो उसे सज़ा दी जायेगी और उसे दोबारा अज़ सरे नो इस्लाम लाने और

Scanned by CamScanner

फिर उसी शौहर से निकाह करने पर मजबूर किया जायेगा वह हरगिज़ दूसरे से निकाह नहीं कर सकती इसे कहते हैं गू खाया और काल भी न कटा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

एक नफ़ीस फ़ायदा

गुनाह तीन क़िस्म के हैं एक हल्के कि हद की हद तक न पहुंचे जैसे अजनबीया से बोस व कनार। उन पर हद मुकर्रर नहीं होगी कि हद ऐसे गुनाहों की मिक्दार से ज़ायद है और मौला अज़्ज़ोजल उससे पाक है कि किसी मुजरिम को उसकी हद जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे। ऐसे गुनाहों पर ताज़ीर रखी जाती है। दूसरे वह अखबस दरजा कि गुनाह की हद की हद से गुज़रे हुए हैं। (जैसे मां बहन वग़ैरह अबदी महर्रमात से जान बूझ कर निकाह और हमबिस्तरी) उन पर हद नहीं रखी जाती कि हद उस गुनाह से पाक करने को होती है और ऐसा ख़बीस गुनाह उस हद से पाक नहीं होता। तीसरे मुतवस्सत दरजा इन पर हदूद हैं। इसकी नज़ीर पेशाब और शराब। पेशाब शराब से ख़बीस तर है कि कभी किसी शरीअत में उसकी एक बूंद हलाल या ज़ाहिर न ठहर सकी। बई हमा शराब पीने पर हद है और पेशाब पीने पर हद नहीं। यूंही अजनबीया पर ज़िना से हद है और महारम (वह औरत जो हमेशा हराम हैं उन से) निकाह (व हमबिस्तरी) पर नहीं कि वह ख़बीस का काम है। जिसे हद संभाल नहीं सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

शराब नोशी की हद का बयान

शराब नोशी एक ऐसी लानत है जिसे कुरआन करीम ने

Scanned by CamScanner

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ फ़रमाया यानी गन्दा शैतानी काम, महज़ तहरीक शैतानी का नतीजा। शराब नोशी के नुक़्सान रसां असरात शर व फ़साद की शक्ल में हमारे रोज़मर्रह के मुशाहिदे हैं।

हदीस शरीफ़ में इसे उम्मुलख़बाइस और बुराई की कुंजी फ़रमाया। बाज़ अहादीस में इरशाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लानत फ़रमाई। बनाने वाला। बनवाने वाला पीने वाला उठाने वाला। जिस के पास उठा कर लाई गई। पिलाने वाला। बेचने वालां उसकी कमाई खाने वाला ख़रीदने वाला और जिसके लिए ख़रीदी गई। (तिर्मिज़ी) ग़र्ज़ जिस तरह शराब पीना नाजायज़ व हराम और मोजब लानत इलाही है। इसी तरह उसके कारोबार में हिस्सा लेना और उससे किसी भी तरह का नफ़ा उठाना हराम, हराम हराम, और लानते ख़ुदावन्दी का बाअस है।

यहां तक कि हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वह ऐसे दस्तरख़ान पर न बैठे जिस पर शराब पी जाती है। (तबरानी) अबूदाऊद में रिवायत है कि एक साहब ने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह हम एक ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जो निहायत सर्द है और हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। हम गेहूं की शराब बनाते हैं और उससे थकान और सर्दी का मुकाबला करते हैं। जिस की वजह से हम काम करने के क़ाबिल हो जाते हैं और सर्दी का भी असर नहीं होता। "इरशाद फ़रमाया गया उसमें नशा होता है। अर्ज़ किया हां। फ़रमाया तो उस से परहेज़ करो" उन्होंने ने अर्ज़ किया मगर हमारे इलाके के लोग तो न छोड़ेंगे फ़रमाया "अगर वह न मानें तो उनसे क़िताल (जंग) करो।"

Scanned by CamScanner

सही मुस्लिम में है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया हम तो शराब को दवा के लिए बनाते हैं "तो क्या बतौर दवा उसके इस्तेमाल की इजाज़त है। फरमाया "वह दवा नहीं यह तो खुद एक बीमारी है।"

दुनियावी नुक़सानात जो मैनोशी का नतीजा होते हैं वही इबरत के लिए बहुत काफी हैं। लेकिन अखरवी कबाहतें जो सज़ा के तौर पर कल शराब नोशों को भुगतनी पड़ेंगी। उनके तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख़्स नशा पीयेगा उसे अल्लाह طِينَةُ الْخَبَالِ से पिलायेगा। लोगों ने अर्ज़ की طِينَةُ الْخَبَالِ क्या चीज़ है फरमाया जहन्नमियों का पसीना या उसका असारा (निचोड़) (मुस्लिम शरीफ) इमाम अहमद ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता है। कसम है मेरी इज़्ज़त की। मेरा जो बन्दा शराब का एक घूंट भी पियेगा मैं उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा। और जो बन्दा मेरे खौफ से उसे छोड़ देगा उसको हौज़े कौसर से पिलाऊंगा।"

इमाम अहमद ही की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि शराब की मदावमत करने वाला (आदी शराबी) खुदा से ऐसे मिलेगा जैसा बुत परस्त "

अफ्सोस कि मग़रिबी तहज़ीब ने औरतों में भी इस लानत को रिवाज दे दिया।

चन्द मसायल मुताल्लिक़ा

मसला:- मुसलमान आकिल बालिग़ कि न गूंगा हो और न किसी ने उसे शराब पीने पर मजबूर किया हो अगर खमर यानी अंगूरी

कच्ची शराब का एक क़तरा भी पीये। या और दूसरी कोई शराब पी कर उसे नशा आ जाये तो उस पर हद क़ायम की जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- नशा यह है कि बात चीत साफ़ न कर सके। और कलाम का अक्सर हिस्सा हिज़यान (बकवास) हो अगरचे कुछ बातें ठीक भी हों। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- शराब नोशी का सबूत, दो मर्दों की गवाही से होगा और अगरचे खुद इक़रार करता हो तो एक बार इक़रार काफ़ी है। हद क़ायम कर देंगे। जबकि इक़रार होश में करता हो और नशा में इक़रार किया तो काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- किसी जगह चन्द अशख़ास बैठे हैं और वहां शराब भी रखी है और उनकी मजलिस इस क़िस्म की है जैसे शराब पीने वाले, शराब पीने बैठते हैं अगरचे उन्हें पीते हुए किसी ने न देखा तो उन पर हद नहीं मगर सज़ा सब को दी जायेगी। (रद्दुलमुहतार) शराब नोशी की हद में अस्सी (८०) कोड़े मारे जायेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मजबूरी के यह मानी हैं कि जान जाने या अज़ू कटने या ज़र्ब शदीद का सही अन्देशा हो। (आमए कुतुब)

मसला:- नशा की हालत में वह तमाम अहकाम जारी होंगे जो होश में होते हैं। मसलन अपनी बीवी को तलाक़ देदी तो तलाक़ हो गयी या अपना कोई माल बेच डाला तो बैअ हो गयी। हां चंद बातों में उसका अहकाम होश की हालत के अहकाम से अलहदा हैं। मसलन नशा की हालत में कोई कलिमा कुफ़्र बका तों उसके मुरतद होने का हुक्म न देंगे यानी उसकी औरत बाइन न होगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

मसला :- भंग और अफ़ीम पीने से नशा हो तो हद क़ायम न करेंगे मगर सज़ा दी जायेगी और उनसे नशा की हालत में तलाक़ दी तो हो जाएगी। जबकि नशा के लिए इस्तेमाल की हो, और अगर इलाज के तौर पर इस्तेमाल की हो तो नहीं (रददुलमुहतार)

तम्बीह

अगर शराब नोशी, चोरी और इल्ज़ाम ज़िना पर कहीं हदूद जारी न हों तो चारह कार तर्क ताल्लुक़ है अव्वलन उसे समझाएं तम्बीह करें, तौबा कराएं वह बाज़ आ जायें फ़बिहुमा वरना मुसलमान मर्द और मुसलमान बीवियां ऐसों से मिलना जुलना उनके पास उठना बैठना उनके यहां शादी ब्याह में शरीक होना, उन्हें अपने यहां की तक़ारीब में शरीक करना, यक कलम सब छोड़ दें। बल्कि जो लोग उनके हम प्याला व हम निवाला हों और हरकतो से बाज़ न आएं तो उनके साथ भी यही सलूक करें कि यहां तर्क ताल्लुक़ के सिवा कोई सज़ा जारी नहीं हो सकती। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

हज़रत अमीरुलमोमिनीन अली मुर्तज़ा करम तआला वजहुल करीम ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर शराब का एक क़तरा कुंए में गिर जाए फिर उस जगह मिनारह बनाया जाए तो मैं उसपर अज़ान न कहूं। और अगर दरिया में शराब का क़तरा पड़े फिर वहां घास पैदा हो उसमें अपने जानवरों को न चराऊँ।'' सुबहानल्लाह, गुनाह से इस दर्जा नफ़रत अल्लाह तआला के ऐसे ही मुक़र्रबीन बारगाह और सालेहीन का हिस्सा है। मौलाए करीम हमें उनके ज़मरे में शुमार फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन०

Scanned by CamScanner

मुरतद का बयान

मुरतद वह शख़्स है कि कलिमा गो होकर कुफ़्र करे। ख़्वाह यूं कि पहले मुसलमान था फिर ऐलानिया इस्लाम से फिर गया। कलिमा इस्लाम का मुन्किर हो गया। या यूं कि कलिमा इस्लाम अब भी पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान ही कहता है मगर ज़रूरियाते दीन में से किसी का इंकार करता है। ग़र्ज़ ज़ुबान से कलिमा कुफ़्र बकता है जिसमें सही तावील की गुंजाइश नहीं या दीन का मज़ाक उड़ाकर और ज़रूरियाते दीन बल्कि तालीमाते इस्लाम को मज़हका खेज़ समझता है। बल्कि उलमाए किराम ने फरमाया कि जो शख़्स बतौर तमसखुर और हंसी मज़ाक में कुफ़्र करेगा वह भी काफ़िर है अगरचे कहता है कि ऐसा एतकाद नहीं रखता। बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिनसे आदमी इस्लामी बिरादरी से निकल कर काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना कुरआन शरीफ़ को नजासत की जगह फेंक देना। यूं ही वे आमाल जो कतअन ईमान के मुनाफी हों उनके मुरतकिब को काफ़िर कहा जाएगा जैसे किसी बुत को या चांद सूरज को सज्दा करना। अंबिया व मुरसलीन में से किसी की तौहीन करना या मुसहफ शरीफ या काबा मोअज़्ज़मा की तौहीन करना या ज़ुन्नार बांधना, सर पर चोटियां रखना, कशका लगाना कि यह आमाल कुफ़्र की अलामत हैं।

और ज़रूरियात दीन वह मसायले दीन हैं जिन को ख़ास व आम जानते हों कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब के पास से लाये। जैसे अल्लाह अज़्ज़ोजल शानहु की वहदानीयत, अम्बीया की नुबूवत, जन्नत दोज़ख़, हश्र व नशर वग़ैरह या मसलन यह

एतकाद कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ग़र्ज़ इस्लाम के बाद दीन की ऐसी बातों का इन्कार इरतिदा है और इसके मुरतकिब को मुरतद कहा जाता है। इरतिदाद कुफ़्र की बदतरीन सूरत है। कुरआन करीम ने ऐसों ही के लिए फ़रमाया فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ यही वह लोग हैं जिनके आमाल दुनिया व आख़िरत में अकारत गये।

आमाल की बरबादी का असर, आख़िरत में तो यूं ज़ाहिर होगा कि यह बदनसीब मुरतद अपने को हर इबादत के सवाब और हर एक नेक अमल के अज्र से महरूम पायेगा और दुनिया में उसका ज़हूर यह होगा कि न मुसलमान बीवी से उसका निकाह क़ायम रह सकता है न मुसलमान की मीरास में उसे हिस्सा मिल सकता है। बल्कि हुकूमत अगर इस्लामी हो तो ऐसे बद अहद बाग़ी व ग़द्दार को ज़िन्दा रहने का भी हक नहीं रहता। अगर वह मुसलमान हो जाये और अपने कुफ़्र से तौबा कर ले फ़बिहा वरना क़त्ल कर दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरह) हुजूर अक्दस सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख़्स अपने दीन को बदल दे (कलिमा गो हो कर इस्लाम से फिर जाये) उसे क़त्ल कर डालो। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने अबू हुरैरह रज़ि अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बन्दा कभी अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी की बात कहता है और उसकी तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता। (यानी अपने नज़दीक एक मामूली बात समझता है) अल्लाह तआला उसकी वजह से बहुत दर्जे बुलन्द

करता है और कभी अल्लाह की नाराज़गी की बात करता है और उस का ख़्याल भी नहीं करता इसकी वजह से जहन्नम में गिरता है और एक रिवायत में कि मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान जो फ़ासला है उससे भी फ़ासला पर गिरता है'' (वलअियाज़ बिल्लाह)

तम्बीह ज़रूरी

कुफ्र शिर्क से बद तर गुनाह नहीं और वह भी इरतिदाद, कि यह कुफ्र असली से भी बाएतबार अहकाम सख़्त तर है जैसा कि उसके अहकाम से मालूम होगा मुसलमान को चाहिए कि इस से पनाह मांगता रहे कि शैतान हर वक़्त ईमान की घात में है और हदीस में फरमाया कि शैतान इन्सान के बदन में ख़ून की तरह तैरता है। आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी ताअत व आमाल पर भरोसा न करना चाहिए। हर वक़्त खुदा पर भरोसा करे और उसी से बकाए ईमान की दुआ चाहे कि उसी के हाथ में कल्ब है और कल्ब को कल्ब इसी वजह से कहते हैं कि लोट-पोट होता रहता है। ईमान पर साबित कदम रहना उसकी तौफीक से है जिसके दस्त कुदरत में कल्ब है।

हदीस शरीफ में फरमाया कि शिर्क से बचो कि वह चींयूंटी की चाल से ज़्यादा मख़फी है और उससे बचने की हदीस शरीफ में एक दुआ इरशाद फरमाई है। उसे हर रोज़ तीन मर्तबा पढ़ लिया करो कि शिर्क से महफ़ूज़ रहोगे। वह दुआ यह है-

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ اُشْرِکَ بِکَ شَیْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُکَ لِمَا اَعْلَمُ اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ۔

इरतिदाद से मुताल्लिक़ चन्द अहकाम

मसला:– औरत या नाबालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाये उसको क़त्ल न करेंगे बल्कि क़ैद करेंगे यहां तक कि तौबा करे और मुसलमान हो जाये और औरत मुरतद हो गई फिर इस्लाम लाई तो शौहर अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जायेगी यह नहीं हो सकता कि दूसरे से निकाह करे उसी पर फ़तवा है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसला:– मुरतद अगर अपने इरतिदाद से तौबा करे तो उसकी तौबा मक़बूल है मगर बाज़ मुरतदीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने वाला कि उसकी तौबा मक़बूल नहीं तौबा क़ुबूल करने से मुराद यह है कि तौबा करने के बाद बादशाह इस्लाम उसे क़त्ल न करेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– मुरतद का ज़बीहा मुरदार है। अगरचे बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़िबह करे। मुरतद किसी मामला में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता। यूंही इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है। यानी जो कुछ उसके इमलाक व अमवाल थे सब उसकी मिल्क से ख़ारिज हो जायेंगे और ज़माना इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं। हां औरत को तलाक़ दी थी वह अभी इद्दत ही में थी कि शौहर मुरतद हो गया और उसी हालत में उसे क़त्ल कर दिया गया तो वह औरत वारिस होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार, हिदाया वग़ैरह)

मसला:– किसी दीन बातिल को अख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गई तो दोबारा वह मुसलमान उस वक़्त समझी जायेगी

कि उस दीन बातिल से बेज़ारी और न फ़रत का इज़हार करे और दीन इस्लाम कुबूल करे और अगर ज़रूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जबतक उसका इक़रार न करे जिस से इन्कार किया था महज़ कलिमा शहादत पढ़ लेने पर उसके इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा कि कलिमा शहादत का उसने बज़ाहिर इन्कार न किया था। मसलन नमाज़ या रोज़े की फ़रज़ियत का इन्कार कर दे या शराब और सुअर की हुर्मत न माने तो उसके इस्लाम के लिए यह शर्त है कि जब तक ख़ास उस अम्र का इक़रार न करे उसका इस्लाम कुबूल नहीं। या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हो तो जबतक ख़ास उससे तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

ज़रूरी नसीहत

मुरतद को कैद करना और इस्लाम न कुबूल न करने पर कत्ल कर डालना बादशाह इस्लाम का काम है। और उससे मक़सूद यह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उससे बाज़ पुर्स न की गई तो मुल्क में तरह तरह के फ़ितने होंगे और फ़ितनों का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक़्क़ी पज़ीर होगा। जिसकी वजह से अम्ने आमा में ख़लल पड़ेगा। लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ख़त्म कर देना ही मुक़तज़ाए हिक्मत था। अब चूंकि हुकूमत इस्लाम बाकी नहीं कोई रोक थाम करने का मोअस्सिर ज़रिया नहीं हर शख़्स जो चाहता करता और बकता फिरता है और उसी बाअस आये दिन मुसलमानों में सर फुटव्वल और धींगा मशती के मनाज़िर देखने में आते हैं नये नये

Scanned by CamScanner

मज़हब पैदा होते रहते हैं एक खानदान बल्कि बाज़ जगह एक घर में कई मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं और बात बात पर लड़ाई झगड़े हैं। इन तमाम खराबियों के बाअस यही नये नये मज़हब और नई-नई मज़हबी टोलियां हैं जो नई तराश ख़राश से और चोले बदल बदल कर रोनुमा होती रहती हैं।

ऐसी सूरत में सब से बेहतर तर्कीब वह है जो ऐसे वक़्त के लिए कुरआन व हदीस में इरशाद हुई। अगर मुसलमान उस पर अमल करें तो तमाम किस्सों से नजात पायें और दुनिया व आखिरत की भलाई मुफ़्त कमायें। ख़ानदानों और घरानों के खरखशे ख़त्म हों और खुदा और रसूल की रिज़ा हाथ आये।

और वह तरकीब यह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़ दें। सलाम कलाम तर्क कर दें। उनके पास उठना, बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके यहां शादी ब्याह या उनकी तकरीबों में, ग़र्ज़ हर किस्म के ताल्लुकात उनसे कतअ कर लें गोया समझें कि अब वह दुनिया में रहा ही नहीं। वल्लाहुल मुवाफ़िक़ (बहारे शरीअत वग़ैरह)

चन्द ग़लतफ़हमियों का इज़ाला

दुश्मनाने दीन कि खुद ज़रूरियात दीन का इन्कार करते हैं, अपने ऊपर से सरीह कुफ्र के बावजूद, नाम कुफ्र मिटाने के लिए खुदा और रसूल के अहकाम में, मनघड़त तावीलें करके मुसलमानों को अपने मकर व फ़रेब की बातों में फांस लेते हैं और अव्वामुन्नास बिलख़सूस उनकी औरतें उनके मकर का शिकार हो कर, इस्लाम से दूर जा पड़ती हैं। अल्लाह तआला हमें इस्लाम व ईमान पर साबित कदम

रखे और उनके कलिमा गोयों के अग़वा व तलबीस से बचायें। आमीन०

मुसलमानों के यह दुश्मन, अवाम को छलने और ख़ुदाए वाहिद क़हहार का दीन बदलने के लिए चन्द शैतानी मकर पेश करते हैं:-

पहला मकर

इस्लाम कलिमा गोई का नाम है हदीस में फ़रमाया जिसने ला-इला-हा इल्लल्लाह कह लिया वह जन्नत में हो जायेगा। फिर किसी क़ौल या फ़ेअल की वजह से कैसे काफ़िर हो सकता है। मुसलमानों! ज़रा होशियार खबरदार- इस मकरे मलऊन का हासिल यह है कि इस्लाम फ़क़त तोते की तरह ज़बान से कलिमा रट लेने का नाम है। कलिमा इस्लाम ज़बान से कह लेना, गोया ख़ुदा का बेटा बन जाता है कि आदमी का बेटा कुछ भी करे उसे उसके बेटे होने से नहीं निकल सकता। यूंही जिस ने ला-इला-हा-इल्लल्लाह कह लिया, अब वह चाहे ख़ुदा को झूठा कहे रसूल को सड़ी सड़ी गालियां दे क़ुरआन को झुठलाये, इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाये, कुफ़्र व इस्लाम को हक़ीक़त में एक बताये उसका इस्लाम नहीं बदल सकता।

इस मकर का जवाब ख़ुद क़ुरआन करीम ने जा बजा दिया। मुनाफ़िक़ीन कैसी कैसी ताकीदों से मोवक्किद और कैसी-कैसी क़स्मों से मुअय्यद, इस्लाम का दावा करते और कलिमा इस्लाम पढ़ते लेकिन उन की यह लम्बी चौड़ी कलिमा गोई, उनके हक़ में हर्गिज़ मोजबे इस्लाम न हुई और अल्लाह वाहिद क़हहार ने उनके झूठे कज़्ज़ाब होने की गवाही दी। तो हदीस का वह मतलब घड़ना सराहतन क़ुरआन अज़ीम का रद्द करना है।

हां जो कलिमा पढ़ता और अपने आप को मुसलमान कहता हो

Scanned by CamScanner

उसे मुसलमान जानेंगे जबतक उससे कोई कलिमा कोई हरकत कोई फ़ेअल इस्लाम के मुनाफ़ी न सादिर हो। मुनाफ़िए इस्लाम किसी बात के सादिर होने के बाद हरगिज़ कलिमा गोई काम न देगी।

मसलन हर मुसलमान जानता है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताअज़ीम मदार ईमान भी है मदार नजात भी है और मदार कुबूल आमाल भी। और कुरआन करीम का फ़ैसला यह है कि आदमी कैसा ही कलिमा गो हो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हो जाता है। इसलिए कि नबी की शान में बेअदबी का लफ़्ज़, कलिमा कुफ्र है और उसका कहने वाला अगरचे लाख मुसलमानी का मुद्दई हो, करोड़ बार कलिमा पढ़े, कलिमा होकर, इस्लामी बिरादरी से निकल जाता है। कालल्लाहु तआला

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

दूसरा मकर

यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ि० का मज़हब है कि हम अहले किबला में से किसी को काफ़िर नहीं कहते और हदीस में है जो हमारी सी नमाज़ें पढ़े और हमारे किबला को मुंह करे और हमारा ज़बीहा खाये वह मुसलमान है।

मुसलमानों ! इस मकर ख़बीस में उन लोगों ने निरी कलिमा गोई से हट कर अब सिर्फ़ किबला रूई का नाम ईमान रख दिया यानी जो किबला रू होकर नमाज़ पढ़ ले मुसलमान है। अगर अल्लाह अज़्ज़ोजल को झुठा कहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गालियां दे। किसी सूरत किसी तरह

Scanned by CamScanner

उसका ईमान नहीं टलता-

चूं वूज़ू ये मोहकिम बीबी तमीज़

हलांकि कुरआन करीम ने साफ़ फ़रमा दिया कि ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना ही असल कार है। बग़ैर उसके नमाज़ में किबला को मुंह करना कोई चीज़ नहीं। चुनांचे इरशाद गरामी है

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

एक और जगह कुरआन करीम ने मुनाफ़िक़ों का नमाज़ पढ़ना बयान किया और फिर उन्हें काफ़िर फ़रमाया। क्या वह किबला को नमाज़ नहीं पढ़ते थे। फ़क़्त किबला कैसा, किबला दिल व जान काबा दीन व ईमान, सरवरे आलमीयान सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे जानिब किबला नमाज़ पढ़ते थे। बल्कि इसी कमाश के लोगों को खुद कुरआन करीम में कुफ़्र का पेशवा, काफ़िरों का सरगना फ़रमाया। और वजह यह बयान फ़रमाई कि यह लोग नमाज़ रोज़ा वाले होकर, दीन पर तअन करते, और आयात इलाहिया का मज़ाक़ उड़ाते हैं।

असल बात यह है कि आईमा दीन की इसतिलाह में अहले किबला वह है कि तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता हो। उनमें से एक बात का भी मुन्किर हो तो कतई यकीनी इजमाई तौर पर काफ़िर मुरतद है ऐसा कि जो उसे काफ़िर न कहे खुद काफ़िर है।

भला सोचो तो सही कि राफ़ज़ी जो बकते हैं कि जिबरइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वही में धोखा हुआ। अल्लाह तआला ने उन्हें मौला अली करम अल्लाह तआला वजहु की तरफ़ भेजा था और वह चले गये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जानिब और बाज़ तो मौला अली को खुदा कहते हैं। क्या वह मुसलमान कहे जा

Scanned by CamScanner

सकते हैं।

यूंही जो शख़्स कलिमा गो होकर, मुद्दई इस्लाम बन कर रसूलुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी तरह का ऐब लगाये या किसी भी तरह से हुजूर की शान घटाये वह यक़ीनन काफ़िर होकर इस्लामी बिरादरी से निकल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी के साथ न क़िबला न कलिमा मक़बूल।

आदमी अक़्ल से काम ले तो खुद समझ सकता है कि निरी क़िबला रोई कोई चीज़ नहीं। क्या जो शख़्स पांच वक़्त क़िबला की तरफ़ नमाज़ पढ़ता और एक वक़्त किसी महादेव को सज्दा कर लेता हो किसी आक़िल के नज़दीक मुसलमान हो सकता है। हालांकि मुहम्मद रसूलुल्लाहं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने अक़दस में गुस्ताख़ी करना महादेवों के सज्दे से कहीं बदतर है अगरचे कुफ्र होने में बराबर है। एलानिया कुफ्र करके मुसलमानों से कहना कि किसी को काफ़िर न कहो अपनी तरफ़ से रोकना और दीन इस्लाम के अलावा दूसरा दीन गढ़ना है और यह काम नहीं मगर निचरियों बे दीनों का।

तीसरा मकर

यह कि फ़िक़्हा में लिखा है जिस में ९९ बातें कुफ्र की हों और एक बात इस्लाम की, तो उसे काफ़िर न कहना चाहिए।

मुसलमानों ! होशियार ख़बरदार यह मकर ख़बीस सब मकरों से बदतर व ज़ईफ़ है जिस का हासिल यह कि जो शख़्स दिन में एक बार अज़ान दे या दो रकअत नमाज़ पढ़ ले और ९९ बार बुत पूजे, शंख फूंके, घंटी बजाये और कुफ्र को अपनाए वह मुसलमान है कि

उसमें ९९ बातें कुफ़्र की हैं तो एक इस्लाम की भी है यही काफ़ी है। हालांकि मोमिन तो मोमिन इसके लिए ख़ुदा और रसूल की अमान है, कोई ग़ाफ़िल उसे मुसलमान नहीं कह सकता बल्कि इसकी रू से, सिवाए दहरए के, कि सिरे से ख़ुदा के वजूद का मुन्किर हो, तमाम काफ़िर, मुशरिक, मजूसी, नसरानी, यहूदी वग़ैरहुम दुनिया भर के कुफ़्फ़ार सबके सब मुसलमान ठहर जाते हैं के और बातों के मुन्किर सही। आख़िर वजूद ख़ुदा के क़ायल हैं और एक यही बात, सब से बढ़ कर इस्लाम की बात, बल्कि तमाम इस्लामी बातों की असलल उसूल है, और यहूद व नसारा तो बड़े भारी मुसलमान ठहरेंगे कि तौहीद के साथ अल्लाह तआला के बहुत से कलिमों और हज़ारों नबियों और क़ियामत व हश्र व हिसाब व सवाब व अज़ाब, जन्नत व दोज़ख़ वग़ैरह बकसरत इस्लामी बातों के क़ायल हैं तो यह मुसलमानों का अक़ीदा नहीं बल्कि क़ुरआन गवाह है कि ख़ुद सरीह कुफ़्र है।

फ़र्ज़ कर लें कि कलाम इलाही में अगर हज़ार बातें हों तो उन में से हर एक बात का मनना एक इस्लामी अक़ीदा है अब अगर कोई शख़्स ९९९ माने और सिर्फ़ एक न माने तो क़ुरआन अज़ीम का फ़ैसला है कि वह इन ९९९ के मानने से मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ़ उस एक के न मानने से काफ़िर है। दुनिया में उसकी रूसवाई होगी और आख़िरत में उस पर सख़्त अज़ाब।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

असल बात यह है कि फ़ुक़हाए किराम पर उन लोगों ने खुला इफ़तिरा उठाया उन्होंने कहीं हरगिज़ ऐसा न फ़रमाया बल्कि उन लोगों ने, यहूदीयों की पैरवी में, तहरीफ़ व तबदील करके कुछ का कुछ बना लिया। फ़ुक़हा ने यह नहीं फ़रमाया कि जिस शख़्स में ९९

बातें कुफ्र की और एक इस्लाम की हो वह मुसलमान है। हाशालिल्लाह बल्कि तमाम उम्मत का इजमाअ है कि जिस में ९९ हज़ार बातें इस्लाम की हों और एक कुफ्र की हो तो वह यकीनन कतअन काफ़िर है।

निन्नानवे (९९) कतरे गुलाब में एक बूंद पेशाब पड़ जाये सब पेशाब हो जायेगा। मगर यह जाहिल कहते हैं कि ९९ कतरे पेशाब में एक बूंद गुलाब डाल दो सब तय्यब व ताहिर हो जायेगा। हाशा फुकहा तो फुकहा कोई अदना तमीज़ वाला भी ऐसी जिहालत की बात मुंह से नहीं निकाल सकता। बल्कि फुकहाए किराम ने यह फरमाया है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस में सौ पहलू निकल सके। उन में ९९ पहलू कुफ्र की तरफ जाते हों और एक इस्लाम की तरफ, तो उसे काफ़िर न कहेंगे। कि आख़िर एक पहलू इस्लाम का भी है क्या मालूम शायद उसकी मुराद यही पहलू हो। हां अगर मालूम व साबित हो जाये कि कहने वाले ने वही कुफ्री मानी का कोई पहलू मुराद लिया है, मसलन वह खुद कहता है कि मेरी मुराद यही है तो हमारी तावील से उसे कोई फायदा न मिलेगा वह अिन्दल्लाह काफ़िर ही होगा।

कहां यह साफ सुथरी निखरी पाकीज़ा तालीम और कहां यह गन्दगी घिनौनी नापाक बात। ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

चौथा मकर

यह है कि हम तो काफ़िर को भी काफ़िर न कहेंगे हमें क्या मालूम कि उस का ख़ात्मा कुफ्र पर होगा।'' मुसलमानों! आदाए दीन का यह मकर भी कतअन यकीनन कुरआनी अहकाम के ख़िलाफ है। कुरआन अज़ीम फरमाता है। कुल-या अय्युहल काफ़िरून।

Scanned by CamScanner

यहां कुरआन करीम, हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इरशाद फ़रमाता है कि ऐ महबूब ! तुम काफ़िरों को यह कह कर पुकारो कि ऐ काफ़िरो! यानी काफ़िरों को काफ़िर कह कर ख़िताब करना, मतलूब शरअ और मकसूद शरअ है काफ़िर को बहुक्म शरीअत उसी वक़्त तक कहा जायेगा जब तक वह काफ़िर है और जब बतौफ़ीक़ तआला वह मुसलमान हो जायेगा। उस वक़्त उसको मुसलमान ही कहा जायेगा। मुसलमान को उसी वक़्त तक मुसलमान कहेंगे जबतक वह मुसलमान है और जिस वक़्त कोई मुसलमान मआज़ अल्लाह किसी ज़रूरी दीनी बात का इन्कार करके काफ़िर हो जायेगा। उस वक़्त उसको काफ़िर मुरतद ही कहेंगे। मुसलमान नहीं।

और यह कहना कि "हमें क्या मालूम कि उस का ख़ात्मा कुफ़्र पर होगा'' ऐसा ही है जैसे कोई कहे मुसलमान को मुसलमान मत कहो शायद वह कभी माअज़ अल्लाह इस्लाम से निकल जाये हमें क्या मालूम कि उस का ख़ात्मा इस्लाम व ईमान पर होगा।

यानी शर्बत अंगूर को अंगूर को मत कहो। शायद कभी उस में नशा पैदा हो जाये और शर्बत बन जाये। शराब को शराब मत कहो शायद किसी वक़्त सिरका हो जाये। सुअर को सुअर मत कहो। गधे को गधा मत कहो शायद कभी काने नमक में जाकर नमक बन जाये हत्ता कि बीवी को बीवी मत कहो शायद किसी वक़्त तलाक़ दे बैठे और वह अजनबिया बन जाये। ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

मुसलमानों ! असल बात यह है कि मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरियात दीन से है अगरचे किसी ख़ास शख़्स की निसबत यह यकीन नहीं किया जा सकता कि उसका ख़ात्मा ईमान या माज़अल्लाह कुफ़्र पर हो जब तक कि उसके ख़ात्मे का

Scanned by CamScanner

हाल दलीले शरई से साबित न हो। मगर इससे यह न होगा कि जिस शख़्स ने क़तअन कुफ़्र किया हो उसके कुफ़्र में शक किया जाये कि क़तई काफ़िर के कुफ़्र में शक भी आदमी को काफ़िर बना देता है। ख़ात्मा पर बिना। रोज़ क़ियामत और ज़ाहिर पर अहकाम शरई का दारोमदार है उसको यूं समझो कि कोई काफ़िर मसलन यहूदी या नसरानी या बुत परस्त मर गया तो यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि कुफ़्र पर मरा मगर हम को खुदा व रसूल का हुक्म यही है के उसे काफ़िर ही जानें और उसकी ज़िन्दगी व मौत में तमाम वही मामलात उसके साथ बरतें जो काफ़िरों के लिए हैं।

मसलन मेल जोल शादी ब्याह, नमाज़ जनाज़ा कफ़न दफ़न जब उसने कुफ़्र किया तो फ़र्ज़ है कि हम उसे काफ़िर ही जानें और ख़ात्मा का हाल इल्मे इलाही पर छोड़े दें।

जिस तरह जो ज़ाहिरन मुसलमान हो और उस से कोई क़ौल व फ़ेअल, ख़िलाफ़ ईमान सरज़द न हो फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही जानें अगरचे हमें उसके ख़ात्मे का भी हाल मालूम नहीं ख़ात्मा का हाल तो खुदा जाने और उसके बताये से उसका रसूल मगर शरीअत इस्लामिया ने काफ़िर मुस्लिम में फ़र्क़ रखा है। अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाये तो क्या उसके साथ वही मामलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं। हालांकि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ़्फ़ार के अहकाम मुसलमानों से बिल्कुल जुदा हैं। मसलन उनके जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ना उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करना। उनको मुसलमानों की तरफ़ दफ़न न करना। उनको अपनी लड़कियां न देना। उन पर जिहाद करना वग़ैरहा। (हिसामुलहरमैन, बहारे शरीअत वग़ैरहा)

Scanned by CamScanner

तम्बीह:- बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि हम किसी को काफ़िर नहीं कहते। आम लोग जाने वह काफ़िर कहें। मगर क्या यह लोग नहीं जानते कि अवाम के तो वही अकायद होंगे जो कुरआन हदीस वग़ैरहुमा से उलमा ने उन्हें बताये। या अवाम के लिये कोई शरीअत जुदागाना है। जब ऐसा नहीं तो फिर आलिमे दीन के बताये पर क्यों नहीं चलते नीज़ यह कि ज़रूरियाते दीन का इंकार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जाने। अवाम जो उलेमा की सोहबत से मुशर्रफ होते रहते हैं वह उनसे बेख़बर नहीं होते फिर ऐसे मामले में पहलूतही और एराज़ के क्या मायने। इस ज़माने में बाज़ लोग यह कह दिया करते हैं कि मियां जितनी देर उसे काफ़िर कहोगे——————उतनी देर अल्लाह अल्लाह करो। यह सवाब की बात है इसका जवाब यह है कि हम कब कहते हैं काफ़िर–काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो। मकसूद यह है कि उसे काफ़िर जानो और पूछा जाए तो कतअन काफ़िर कहो काफ़िर जानो। यह न हो कि अपनी सुलहकुन रविश के मातहत उसके कुफ़्र पर पर्दा डालो (बहारे शरीअत) मौलाए करीम हमें कुबूले हक और उस पर अमल की तौफ़ीक दे। आमीन०

एक और नसीहत

मुसलमानो ! माओ बहनों और बेटियो ! ज़रा इधर ख़ुदा और रसूल की ख़ातिर तास्सुब और नाहक पासदारी से हट कर, ईमान के दिल पर हाथ रख कर, इन्साफ की निगाहों से देखो और फैसला करो कि अगर कुछ लोग तुम्हारे किसी मोअज़्ज़म दीनी व दुनियावी मसलन तुम्हारे पीर, तुम्हारे उस्ताद या तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे आबा अजदाद तुम्हारे भाई बिरादर, या तुम्हारे किसी जिगरी दोस्त को, रात

दिन बिला वजह महज़ फ़ुहश मुग़ल्लिज़ा, गालियां देना। उनकी बुराईयां करना। उन पर तोहमतें तराशना, उन पर लअन तअन करना, अपना वतीरा, अपना पेशा बल्कि अपना दीन ठ्हरा लें। क्या तुम उनसे बकुशादा पेशानी मिलना पसन्द करोगी। क्या अज़मत व इज़्ज़त के साथ उनका ख़्याल तुम्हारे ज़ेहनों में आयेगा और क्या तुम सिर्फ़ यह कह कर ख़ामोश हो जाओगी कि लकुम-दीनुकुम वलिय-दीन। या सिर्फ़ इतना कहना काफ़ी जानोगी कि हमें क्या वह अपनी क़ब्र में जायेंगे हम अपनी क़ब्र में। क्या सिर्फ़ इतना कहने से तुम्हारे दिल की तस्कीन हो जायेगी कि हम क्या कर सकते हैं। हाशा व कल्ला हरगिज़ नहीं। अगर तुम में नाम को ग़ैरत बाकी है। अगर तुम में इन्सानियत बाक़ी है। अगर तुम्हारे दिलों में अज़मत मुसतुफ़ा का फ़ानूस रोशन है अगर तुम्हें मोअज़मान दीनी, आबा व अजदाद, अपने मां बाप की इज़्ज़तें का पास है अगर तुम्हें अपने शौहरों भाईयों अपने बड़ों या अपने जिगरी दोस्तों की बड़ाई या मुहब्बत और चाहत का लिहाज़ है तो यह बातें सुन कर तुम्हारे दिमाग़ खौल जायेंगे। उन्हें देख कर तुम्हारे दिल भर जायेंगे। तुम्हारी आंखों में ख़ून उतर आयेगा और अगर तुम कुछ भी न कर सको तो उन की तरफ़ निगाह उठाना भी तुम्हें गवारा न होगा। तिनका तोड़ उस से अलग हो जाओगी और उन से मुंह फेर लोगी।

लिल्लाह इन्साफ़:- मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिही व बारक व सल्लम अजमईन, उनकी अज़वाज मुतहहरात, उनके अहले बैत, उनके असहाब, उनके दीन के औलिया, उनकी शरीअत के उलमा, खुलफ़ाए राशिदीन, बिलख़सूस सिद्दीक़ अक्बर फ़ारूक़ आज़म, उनकी औलाद अमजाद ख़सूसन

शहज़ादा गुलगों कबा इमाम हुसैन शहीद करबला रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन की इज़्ज़तें अज़मतें व चाहतें रफ़अतें ज़ायद या तुम्हारे आबा व अजदाद तुम्हारे बाप तुम्हारे बिरादर ख़्वाहर शौहर की। उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा जिनकी पाक दामनी पर कुरआन गवाह है। ज़ायद या तुम्हारी मां, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मती सिद्दीक व फ़ारूक रज़ि अललाहु अन्हुम के गुलाम, बांदियां और उम्मुलमोमिनीन के बेटे, बेटियां कहलाते और पुकारे जाते हैं। उनकी इज़्ज़तों पर हमला करने वालों, उनको गालियां देने वालों, उन्हें ग़ासिब व बाग़ी व चनीं व चूनां कहलाने वालों से अगर तर्क ताल्लुक़ न करें और वह बरताव न बरतें जो ऐसे दुश्मनाने दीन व आदाये इस्लाम के साथ बरतना चाहिए और जो हम अपने बदगोयों बदकिरदार बद कमाशों बदमाशों से बरतते हैं तो फिर क्या हम उनके नमक हलाल गुलाम बांदी और लायक़ व काबिल फ़ख़्र बेटे बेटी कहलाये जाने के मुस्तहिक़ हैं। और क्या हमें यह हक़ है कि हम उन आली मर्तबा जनाबों से अपनी निसबतों को ज़बान पर लायें। नहीं हरगिज़ नहीं। तो बस अब फ़ैसला यही है कि जो इन मुकर्रबीने बारगाह से जितना दूर है उतनी ही नफ़रत व हिकारत का मुस्तहिक़ है न कि इज़्ज़त व करामत का।

क़ादयानी हुये, राफ़ज़ी हुये, वहाबी हुए, चकरालवी हुए, नेचरी हुए और ऐसे ही और हुए। उनके अक़वाल व अहवाल और अक़ायद व आमाल उनकी किताबों से ज़ाहिर हैं उन्हें उठा कर देख लो, तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान आप ही बता देगा कि जिनके यह अक़ीदे यह अक़वाल हैं वह अल्लाह व रसूल के दुशमन हैं या दोस्त और उनके

दिलों में इस्लाम का मग़ज़ है या पोस्त। और जो इन्साफ़ न करे उसका हिसाब अल्लाह वाहिदे कहहार के यहां है और अल्लाह व रसूल की सच्ची मुहब्बत सामने रख कर जांचे तो बेहम्दही तआला हक़ आफ़्ताब से ज़्यादा अयां है। व अयां राचे बयां।

फ़क़ीर गुनाहगार उम्मीद करता है कि हमारी मायें बहनें और बेटियां इस तमाम बयान को हमेशा जेहन नशीन रखेंगी और दूसरों को बताने और अपनी औलाद को इस नहज पर तर्बियत देने में दरेग़ न करेंगी कि आज की तालीम बच्चों के दिल पर नक़्श हो जाती हैं।

मौलाए करीम हम सब को हक़ व सदाक़त पर साबित क़दम रखे। आमीन०

चन्द कुफ़्रिया कलिमात

अपनी ज़बान को अपने काबू में न रखना और बेबाकी से हर बात ज़बान से निकाल देना बाज़ औक़ात आदमी को इस्लाम व शरअ का मुजरिम बना देता है। हंसी मज़ाक़ दिल लगी या ग़ज़ब व गुस्सा के आलम में बाज़ औक़ात ऐसे कलिमात मुंह से निकल जाते हैं जिससे ईमान के लाले पड़ जायें।

हम चन्द कलिमात इसलिए ज़िक्र करते हैं कि हमारी बीबीयां उन से वाकिफ़ रहें। खुद भी उनसे बचें दूसरों को भी बचायें और कभी ग़लती हो जाये तो सिद्क़ दिल से ख़ुदा की बारगाह में तौबा करें औरों से कराएं। नई तहज़ीब ने ऐसे गन्दा ज़ेहन बहुत से पैदा कर दिये हैं। उनसे दूर ही से दुआ सलाम भली कि शैतान को बहकाने और बुरी बात दिल में उतारते देर रहीं लगती।

Scanned by CamScanner

मसला:– जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो यानी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यक़ीन नहीं या कहता है मालूम नहीं मेरा ख़ात्मा ईमान पर होगा या नहीं तो काफ़िर नहीं। (आलमगीरी)

मुसलमान का काम यह है कि वह अपनी बदआमालियों से डरे और रहमत ख़ुदावन्दी पर भरोसा रखे और हर वक़्त उससे उसके फ़ज़्ल का सवाल करता रहे।

मसला:– कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं। उसके लिए यह कहना कि उसे अल्लाह मियां भूल गये हैं या किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि ख़ुदा तुम्हारी ज़बान का मुक़ाबला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूं यह कुफ़्र है। (ख़ुलासतुलफ़त्तावा)

मसला:– किसी बाअसर या मालदार आदमी या हाकिम की तवज्जोह हासिल करने के लिए लोग कह बैठते हैं ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम यह कलिमा कुफ़्र है (खनिया) हरगिज़ यह बात मुंह से न निकालें।

मसला:– एक ने दूसरे से कहा कि तू ख़ुदा से नहीं डरता। उसने गुस्सा में कहा "नहीं" या कहा इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डाल दे। या इसने कहा ख़ुदा से डर। उसने कहा ख़ुदा कहां है। यह सब कुफ़्रिया कलिमात हैं। (आलमगीरी)

मसला:– किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी व परेशान हाली को देख कर यह कहा कि 'ऐ ख़ुदा फ़लां भी तेरा बन्दा है उसको तूने कितनी नेमतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस क़द्र रंज व तकलीफ़ देता है आख़िर यह इन्साफ़ है'' ऐसा कहना कुफ़्र है। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

كاد الفقر ان يكون كفرا

हदीस में ऐसों ही के लिए फ़रमाया

मोहताजी कुफ़्र के करीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुलायम और ख़िलाफ़ शरअ कलिमात मुंह से निकलें जो कुफ़्र हैं तो गोया ख़ुद मोहताजी करीब ब कुफ़्र है।

मसला:- अल्लाह अज़्ज़ोजल के नाम की तसग़ीर करना कुफ़्र है। जैसे किसी का नाम अब्दुल्लाह या अब्दुलखालिक या अब्दुर्रहमान हो। उसे पुकारने में आख़िर में अलीफ़ वग़ैरह ऐसे हरूफ़ मिला दें जिनसे तसग़ीर समझी जाती है।

मसला:- अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तौहीन करना। उनकी जनाब में गुस्ताखी करना या उनकी ख्वाहिश व बे हयाई की तरफ़ निसबत करना कुफ़्र है मसलन मआज़अल्लाह युसूफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िना की तरफ़ निसबत करना।

मसला:- जो शख़्स हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अम्बिया में आख़िरी नबी न माने या हुजूर के ज़माना में या हुजूर के बाद किसी को नूबुवत मिलना माने या जायज़ जाने या किसी भी तौर पर ख़त्म नुबूवत का इन्कार करे..... माज़अल्लाह, मसीह मोऊद या मेहदी या मुजद्दद बल्कि उसे अदना दरजा का मुसलमान माने या किसी मुद्दई नुबुवत के अकवाल मलऊना पर मुत्तलअ होकर उसके काफ़िर होने में अदना शक करे वह काफ़िर है और दायरा इस्लाम से कतअन ख़ारिज। (आमए कुतुब)

मसला:- जो शख़्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जानिब मंसूब, किसी चीज़ की तौहीन करे या ऐब लगाये मसलन आपके मोये मुबारक को तहकीर से याद करे, या आपके लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताये या हुजूर के नाखुन बड़े-बड़े कहे यह कुफ़्र है बल्कि

Scanned by CamScanner

अगर किसी के इस कहने पर कि हुजूर को कददू पसन्द था कोई यह कहे कि मुझे पसन्द नहीं तो बाज़ उलमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीक़त यह है कि अगर उस हैसियत से उसे नापसन्द है कि हुजूर को पसन्द था तो वह काफ़िर है यूंही किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खाना तनावुल फ़रमाने के बाद तीन बार अंगुशत हाये मुबारक चाट लिया करते थे।'' उस पर किसी ने कहा यह अदब के खिलाफ़ है तो यह कहना उलमा के नज़दीक कुफ्र है।

मसला:– हज़रत जिबरील अलैहिस्ससलाम या हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को कि सब मलाईका पर फ़ज़ीलत रखते हैं या किसी भी फरिश्ते के साथ अदना गुस्ताख़ी कुफ्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुशमन या मबगूज़ को देख कर कह बैठते हैं कि मलकुलमौत या इज़राईल आ गया, यह करीब करीब कलिमा कुफ्र है, हरगिज़ मुंह से न निकालें।

मसला:– कुरआन पाक की किसी आयत को ऐब लगाना या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसखरा पन करना कुफ्र है। मसलन दाढ़ी मुंढवाने से मना करने पर, अक्सर दाढ़ी मुंढे कह देते हैं।

और मतलब उसका यह बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो। यह कुरआन मजीद की तहरीफ़ व तबदील भी है और उसके साथ मज़ाक व दिल लगी भी और यह दोनों बातें कुफ्र हैं।

मसला:– जो शख़्स यह कहे कि कुरआन के कुछ पारे या सूरतें या आयतें बल्कि एक हर्फ़ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया, या बदल दिया वह क़तअन काफ़िर है।

मसला:– किसी ने नमाज़ पढ़ने को कहा उसने जवाब दिया पढता

Scanned by CamScanner

तो हूं लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं। या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी तो क्या फ़ायदा हुआ। या कहा नमाज़ पढ़ के क्या करूं किस के लिए पढ़ूं मां बाप तो मर गये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं। ग़र्ज़ इस क़िस्म की बातें करना जिससे नमाज़ की फ़रज़ियत का इंकार समझा जाता हो या नमाज़ की तहक़ीर होती हो यह सब कुफ़्र है।

मसला:- रोज़ा रमज़ान नहीं रखती और कहती है कि रोज़ा वह रखे जिसे रोज़ी न मिले या कहती है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरें या इसी क़िस्म की और बातें बक दे जिन से रोज़ा की हतक या तहक़ीर होती है, यह कुफ़्र है।

मसला:- किसी शख़्स को शरीअत का कोई हुक्म बताया गया उसनें कहा हम शरीअत पर अमल नहीं करेंगे हम तो खानदानी रस्म व रिवाज की पाबन्दी करेंगी या कहा शरीअत देखें कि रस्म व रिवाज को देखें। ऐसी बातें भी मुंह से निकालना उलेमा के नज़दीक कुफ़्र है।

मसला:- दो शख़्स झगड़ रहे थे एक ने कहा वलाहौला वला कुव्वत इल्लाबिल्लाह। दूसरे ने कहा यहां लाहौल का क्या काम। या कहा लाहौल को मैं क्या करूं। या लाहौल रोटी की जगह काम न देगा। यूंही सुब्हानल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताल्लिक़ इसी क़िस्म के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकालना कुफ़्र है।

मसला:- बीमारी में घिर कर कहने लगी तुझे अखतियार है चाहे काफ़िर या मुसलमान मार यह कुफ़्र है यूंही मुसीबतों से घबरा कर यह कहना कि तूने माल लिया औलाद ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा। इसी तरह बकना कुफ़्र है।

Scanned by CamScanner

मसला:- मुसलमान मर्द ख़्वाह औरत को, कलिमात कुफ़्र की तालीम व तलक़ीन करना कुफ़्र है अगरचे खेल और मज़ाक़ में ऐसा करे। यूंही किसी की औरत को कुफ़्र की तालीम की और यह कहा कि तू काफ़िर होजा ताकि ऐसे शौहर से पीछा छूटे, तो औरत कुफ़्र करे या न करे यह कहने वाला काफ़िर हो गया।

मसला:- होली और दीवाली पूजना कुफ़्र है कि यह ग़ैर अल्लाह की इबादत है। काफ़िर के मेलों त्योहारों में शरीक हो कर उनके मेले और मज़हबी जुलूस की शान व शौकत बढ़ाना कुफ़्र है जैसे राम लीला और जन्म अशटमी और राम नवमी वग़ैरह के मेलों झमेलों में शरीक होना। यूंही उनके त्योहारों के दिन महज़ इस वजह से चीज़ें ख़रीदना कि काफ़िरों का त्योहार है यह भी कुफ़्र है जैसे दीवाली में खिलौने और मिठाईयां ख़रीदी जाती हैं कि इन दिनों में ख़रीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। यूंही कोई चीज़ ख़रीद कर उस रोज़ मुश्रिकीन के पास हदया करना या उन्हें मुबारकबादी देना जबकि मकसूद उस दिन की ताज़ीम हो तो कुफ़्र है। (बहरुर्राइक़, ख़ानिया, आलमगीरी, बहारे शरीअत वग़ैरह) अज़ीज माओं ! प्यारी बहनों ! लाडली बेटियो ! और मुसलमान भाईयो ! कुरआन करीम का यह इरशाद ज़रा कान लगा कर, ग़ौर से, पूरी तवज्जोह से सुनो और दिल नशीन कर लो يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दमों पर न चलो। बे शक वह तुम्हारा सरीह दुश्मन है।

यानी मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है कि इस्लाम के अहकाम की पूरी पूरी इतबाअ करें। अपनी पूरी ज़िन्दगी, इस्लामी

अहकाम के तहत लायें। यहां तक कि उनके ख़्यालात, उनके नज़रियात, उनके तौर तरीक़े उनके मामलात और तमाम तर सई व अमल के रास्ते सबके सब, मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात, इस्लामी क़वानीन और इस्लामी दस्तूर के मुवाफ़िक़ हों।

अज़ीज़ो ! इस्लाम सिर्फ़ चन्द अक़ायद या सिर्फ़ चन्द इबादत या सिर्फ़ क़वानीन का नाम नहीं वह तो एक जामेअ व मानेअ निज़ामे हयात है। एक मुकम्मल व मुनज़्जम दस्तूर ज़िन्दगी है। इन्सानियत के एक एक शोबे पर और हर हर गोशा पर हावी है। किसी और दीन, किसी और नज़रिया की पेबन्दकारी उसके साथ निभ नहीं सकती।

शैतान के नक़्शे क़दम पर चलना यूंही है कि इस्लाम में ग़ैर इस्लाम की आमेज़श की जाने लगे और यहूद व नसारा के तौर तरीक़े, और दूसरे ग़ैर मुस्लिमों के तरज़े ज़िन्दगी को "रोशन ख़्याली" का नाम दे कर मार्डन इस्लाम के नाम पर उसे अपने किरदार व गुफ़्तार और निज़ामे हयात पर ग़ालिब कर लिया जाये।

मौलाए करीम हमें तुम्हें और सब मुसलमानों को हक़ क़ुबूल करने और हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और हमारा तुम्हारा मुआविन व मददगार हो। आमीन०

लुक़्ता का बयान

लुक़्ता उस माल को कहते हैं जो कहीं पड़ा हुआ मिल जाये।

मसला:- पड़ा हुआ माल कहीं मिल जाये और यह ख्याल हो कि उसके मालिक को तलाश करके मैं यह माल उसे दे दूंगा तो उठा लेना मुस्तहब है और अगर अन्देशा हो कि शायद मैं खुद रख लूं

Scanned by CamScanner

और मालिक को तलाश न करूं तो छोड़ देना बेहतर है। और अगर ग़ालिब गुमान यह हो कि मैं मालिक को न दूंगा तो उठाना नाजायज़ है और अपने लिए उठाना हराम है। और यह ऐसा है जैसा किसी का माल झपट लेना जिसे ग़सब कहते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– लुक़्ता, उठाने वाले के हाथ में अमानत है यानी अगर तल्फ़ हो जाये तो उस पर तावान नहीं। बशर्ते कि उठाते वक़्त किसी को गवाह बना लिया यानी दूसरे से कह दिया कि अगर कोई शख़्स अपनी गुमी हुई चीज़ को तलाश करता हुआ आये तो मेरे पास भेज देना और अगर गवाह न किया और चुप चाप चीज़ उठाली तो तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पड़ेगा। हां वहां कोई था ही नहीं तो बेशक तावान नहीं या अन्देशा हो कि गवाह बनाये तो कोई ज़ालिम छीन लेगा तो भी ज़मान नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसला:– मुलतक़ित यानी पड़ी हुई चीज़ पाने वाले पर तशहीर लाज़िम है यानी बज़ारों आम गुज़रगाहों और मस्जिदों में इतने ज़माना तक एलान करे या कराये कि गुमान ग़ालिब हो जाये कि मालिक अब तलाश न करता होगा। यह मुद्दत पूरी होने के बाद उसे अख़्तियार है कि लुक़्ता की हिफ़ाज़त करे कि जब भी मालिक आयेगा अपनी चीज़ लेलेगा या किसी मिसकीन पर सदक़ा कर दे। अब अगर मालिक आ गया और अपनी चीज़ तलब करता है और वह चीज़ भी मौजूद है तो अपनी चीज़ें ले और हलाक हो गई है तो तावान ले सकता है। (आलमगीरी)

मसला:– बच्चे को कोई चीज़ पड़ी हुई मिली और उठा लाया तो उस का वली या वसी तशहीर करे और मालिक का पता न मिला और बच्चा खुद फ़क़ीर है तो वली या वसी खुद उस बच्चे पर तसदीक़

Scanned by CamScanner

कर सकता और बाद में मालिक आया और अपनी चीज़ मांगता है तो वली या वसी को ज़मान देना होगा। (बहरुर्राइक़)

मसला:– उठाने वाला अगर फ़क़ीर है तो मुद्दत मज़कूरा तक एलान के बाद खुद अपने सर्फ़ में भी ला सकता है और मालदार है तो अपने रिशते वाले फ़क़ीर यानी नादिर को कि साहिब निसाब नहीं दे सकता है। मसलन अपने मां बाप बेटे बेटी वग़ैरह को जबकि बालिग़ हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– लुक़्ते का दावेदार पैदा हो गया और वह निशान और पता बताता है जो लुक़्ते में मौजूद है तो दे देना जायज़ है हां उसका ज़ामिन ले सकता है। और अलामत बताने की सूरत में अगर देने से इन्कार कर दिया तो दावेदार को गवाह से साबित करना होगा कि यह उसी की मिल्क है।

लुक़्ता के मुनासिब कुछ और मसायल

मसला:– निकाह में छुवारे लुटाये जाते हैं। एक के दामन में गिरे थे और दूसरे ने उठा लिये। इसकी दो सूरतें हैं जिसके दामन में गिर थे अगर उसने उसी ग़र्ज़ से दामन वग़ैरह फैलाया था तो दूसरे को लेना जायज़ नहीं वरना जायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:– शादी ब्याह वग़ैरह तक़रीबों में रुपये लुटाने के लिए जिस को दिये। वह खुद लुटाये और दूसरे को लुटाने के लिए नहीं दे सकता। और कुछ बचा कर अपने लिए रख ले या गिरा हुआ खुद उठाले यह जायज़ नहीं। और शकर छुवारे वग़ैरह लुटाने को दिये तो बचा कर कुछ रख सकता है और दूसरे को भी लुटाने के लिये दे सकता है और दूसरे ने लुटाये

Scanned by CamScanner

तो अब वह भी लूट सकता है। (खानिया)

मसला:– मजमों या मस्जिदों में अक्सर जूते बदल जाते हैं। उनको काम में लाना जायज़ नहीं। या उस का अच्छा जूता कोई ले गया और अपना खराब छोड़ गया और बज़ाहिर मालूम होता है कि उसने कसदन ऐसा किया है धोके से नहीं हुआ है तो जब यह शख्स खराब जोड़ा उठा लाया उस को पहन सकता है। कि यह उसका इवज़ है। (बहरुर्राइक़)

मसला:– मकान ख़रीदा और उसकी दीवार वग़ैरह में रुपये मिले अगर बाइअ कहता है कि यह मेरे हैं तो उसे देदे वरना लुक़्ता है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– जिस की कोई चीज़ गुम हो गई है उसने एलान किया कि जो उसका पता बतायेगा उसको इतना इनाम दूंगा और किसी ने पता बता दिया तो वह रक्म बतौर इनाम देना चाहे तो दे सकता है। शरअन यह इजारा नहीं न उस पर इजारा के अहकाम। (बहरुर्राइक़)

मसला:– लोगों के दैन (कर्ज़) या हक़ूक़ उसके ज़िम्मा हैं मगर न उनका पता है न उसके वरसा का जैसा कि अमूमन रिशवत वग़ैरह के लेन देन में होता है कि रिशवत ली जाती दी जाती है। मगर देने वाले का पता मालूम नहीं होता न उसकी फ़िक्र होती है, तो इतना ही अपने माल में से फ़क़ीरों पर सदक़ा करे कि आख़िरत के मुआख़िज़े (पकड़) से बच जाये और अगर कसदन ग़सब किया और किसी का माल दबा लिया है तो तौबा भी करे और अगर किसी का मुतालबा उसके ज़िम्में है और उसके पास माल नहीं कि अदा करे और मालिक का पता भी नहीं कि माफ कराये तो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और

Scanned by CamScanner

मालिक के हक में दुआये ख़ैर करे। उम्मीद है कि अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उसे बरी कर दे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- चोर ने अगर किसी को कोई चीज़ दी उसने ले ली अगर मालूम है कि यह फ़लां की चीज़ है तो मालिक को दे दे वरना सदका कर दे। खुद उस चोर को वापस न करे। (बहरुर्राइक़)

मसला:- किसी के मकान पर कोई अजनबी मुसाफिर आया और मर गया। तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद उस के तर्के में कुछ रुपया बचा तो मालिक मकान अगरचे फ़क़ीर हो उन रुपयों को अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि यह लुक़्ता नहीं। (आलमगीरी)

हां अगर उसका तर्का पांच दिरहम तक है और वरसा का पता न चले और यह खुद मोहताज है तो अपने सर्फ़ में ला सकता है वरना मसाकीन को देदे और उस से ज़ायद हो और वरसा का पता न चले तो बैतुलमाल में जमा कर दे। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर बैतुलमाल न हो तो दूसरे मुसलमानों के मशवरे पर अमल करे।

मसला:- बारिश में इसलिए बर्तन रख दे कि उन में पानी जमा हो तो दूसरे को बग़ैर इजाज़त इन बर्तनों का पानी लेना जायज़ नहीं। और अगर इसलिए नहीं रखे हैं तो जायज़ है।

मसला:- जंगली कबूतर ने किसी के मकान में अण्डे दिये। अगर मालिक मकान ने पकड़ने के लिए दरवाज़ा भेड़ा था कि दूसरे ने आकर पकड़ लिया तो यह मालिक मकान का है वरना जो पकड़े उसका है। **फ़ायदा:-** जब किसी की कोई चीज़ गुम हो जाये तो यह दुआ पढ़े:-

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ، اِنَّ اللّٰهَ

لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ . اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ضَالَّتِيْ

ज़ाल्लती की जगह पर उस चीज़ का नाम ले। इन्शाअल्लाह

तआला वह चीज़ मिल जायेगी। इमाम नूदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फ़रमाते हैं इसको मैंने आज़माया है। गुमी हुई चीज़ जल्द मिल जाती है।

दूसरी तरकीब यह है कि बुलन्द जगह किबला मुंह करके खड़ी हो और फातिहा पढ़ कर उसका सवाब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को नज़र करे फिर सय्यदी अहमद बिन अलवान को हदिया करके यह कहे। يَا سَيِّدِيْ اَحْمَدْ يَا ابْنَ عَلْوَانْ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ وَاِلَّا نَزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ ۰

इन्शाअल्लाह तआला उनकी बरकत से वह चीज़ मिल जाये। (बहारेशरीअत) किसी चीज़ की गुमशुदगी का इल्म होते ही फौरन पढ़ लें। खुदा व रसूल ने चाहा तो वह चीज़ मिल जायेगी। ख़्वाह जल्द ख़्वाह बदेर वल्लाहु आलम।

मफ़कूद का बयान

मफ़कूद उस शख़्स को कहते हैं जिसका कोई पता न हो। यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मर गया।

मसला:- मफ़कूद खुद अपने हक में ज़िन्दा करार पायेगा। लिहाज़ा उसका माल तकसीम न किया जाये और उसकी औरत निकाह नहीं कर सकती और उसका इजारा फ़सख़ न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मफ़कूद पर जिन लोगों का नुफ़का वाजिब है यानी उसकी ज़ोजा, उसकी औलाद और उसके मां बाप, उनको नफ़का उसके माल से दिया जायेगा यानी रुपया सोना चान्दी, जो कुछ घर में है या किसी के पास अमानत या देन है। उनसे नुफ़का दिया जाये। हां नफ़का के लिए उसकी जायदाद मंकूला ख़्वाह

Scanned by CamScanner

ग़ैर मंकूला बेची न जाये। (आलमगीरी)

मसला:- दूसरों के हक़ में मफ़कूद मुर्दा है यानी उस ज़माना में किसी का वारिस नहीं होगा। यानी दूसरे के अमवाल लेने के लिए मफ़कूद को मुर्दा तसव्वुर किया जाये। मोरिस की मौत के वक़्त जो लोग ज़िन्दा थे वही वारिस होंगे मफ़कूद को वारिस करार दे कर उसके वरसा को वह अमवाल नहीं मिलेंगे। (दुर्रे मुख़्तार) यह उस वक़्त से है जब से गुम हुआ है उसका अब तक कोई पता न चला हो अगर दरमियान में कभी उसकी ज़िन्दगी का इल्म हुआ है तो उस वक़्त से पहले जो लोग मरे हैं उनका वारिस है। बाद में जो मरेंगे उनका वारिस नहीं होगा। (बहरुर्राइक)

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

वह खल्लाके आलम जिसकी कुदरतें कामिला का इदराक इन्सानी ताकत से बाहर है अर्श से फ़र्श तक जिधर नज़र कीजिए उसी की कुदरत जलवागर है। हैवानात नबांतात जमादात और तमाम मखलूकात उसी के मज़हर हैं उसने अपनी मखलूकात में इन्सान के सर पर ताज करामत व इज़्ज़त रखा और उसको मदनी युत्तबअ बनाया यानी यह कि ज़िन्दगी बसर करने में यह अपनी नोअ का मोहताज है। क्योंकि इन्सानी ज़रूरियात इतनी ज़ायद और उन के तहसील में इतनी दुशवारियां हैं कि हर शख़्स अगर अपनी तमाम ज़रूरियात का तन्हा मुतकफ़्फ़िल (कफ़ील) होना चाहे ग़ालिबन आजिज़ होकर बैठ रहेगा। और अपनी तमाम ज़िन्दगी के अय्याम ख़ूबी के साथ न गुज़ार सकेगा लिहाज़ा उस हकीम मुतलक ने इन्सानी जमाअत को मुख़्तलिफ़ शोबों और मुतअद्दिद किसमों पर मुन्कसिम

फ़रमाया कि हर एक जमाअत एक एक काम अंजाम दे और सब के मजमूआ से ज़रूरियात पूरी हों। मसलन कोई खेती करता है कोई कपड़ा बुनता है कोई दूसरी दस्तकारी करता है।

जिस तरह खेती करने वाले को कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा बुनने वालों को ग़ल्ला की हाजत है न यह उस से मुस्तग़ना, न वह उससे बे नियाज़, बल्कि हर एक को दूसरे की तरफ़ एहतियाज। लिहाज़ा ज़रूरियात पैदा हुई कि उसकी चीज़ उसके पास जाये और उसकी उसके पास आये ताकि सब की हाजतें पूरी हों और कामों में दुशवारियां पेश न आयें। यहां से मामलात का सिलसिला शुरू हुआ और बेअ वग़ैरह वग़ैरह हर किस्म के मामलात वजूद में आये।

इस्लाम चूंकि मुकम्मल दीन है और इन्सानी ज़िन्दगी के हर शोबा पर उसका हुक्म नाफ़िज़ है। जहां इबादत के तरीके बताता है। मामलात के मुताल्लिक भी पूरी रोशनी डालता है ताकि ज़िन्दगी का कोई शोबा तिशना बाकी न रहे और मुसलमान किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज न रहे।

जिस तरह इबादत में बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़। उसी तरह तहसीले माल की भी बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़ और हलाल रोज़ी की तहसील उस पर मोकूफ़ कि जायज़ ना जायज़ को पहचाने। जायज़ तरीके पर अमल करे। नाजायज़ से दूर भागे कि कुरआन मजीद में नाजायज़ तौर पर हासिल करने की सख़्त मुमानिअत आई।

तहसीले माल के जराए में जिसकी सब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ग़ालिबन रोज़ाना जिससे साबका पड़ता है वह खरीद व फ़रोख़्त है।

Scanned by CamScanner

फ़ायदा ज़रूरिया

तिजारत बहुत उम्दा और नफ़ीस काम है मगर अक्सर तज्जार (तिजारत पेशा हज़रात) किज़्ब बयानी से काम लेते बल्कि झूठी क़स्में खा लेते हैं। इसीलिए अक्सर अहादीस में जहां तिजारत का ज़िक्र आता है। झूठ बोलने और झूठी क़स्में खाने के साथ ही साथ मुमानिअत भी आई है। और यह वाक़िया भी है कि अगर ताजिर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो इन बुरी बातों से गुरेज़ करे। ताजिरों की उन्हीं बदउनवानियों की वजह से बज़ार को बदतरीन बक़िआ ज़मीन फ़रमाया गया है और यह कि शैतान हर सुबह को अपना झंडा ले कर बाज़ार में पहुंच जाता है और बे ज़रूरत बाज़ार में जाने को बुरा बताया गया है।

क़ुरआन करीम का यह इरशाद कि रे जाल لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ भी इसी तरफ़ इशारा करता है कि तिजारत व बैअ, यादे खुदा से ग़ाफ़िल करने वाली चीज़ है और उससे दिलचस्पी ग़फ़लत लाने वाली है। लिहाज़ा फ़र्ज़ है कि तिजारत में इतना इनाहिमाक (मसरूफ़ियत) न हो कि यादे खुदा से ग़फ़लत का मोजब हो। सहीह बुखारी शरीफ़ में है कि सहाबा किराम ख़रीद व फ़रोख़्त व तिजारत करते थे। मगर जब हक़ूक़ुल्लाह में से कोई हक़ पेश आ जाता तो तिजारत व बैअ उनको ज़िकरुल्लाह से नहीं रोकती थी वह उस के हक़ को अदा करते थे। (बहारे शरीअत)

एक नफ़ीस दुआ

बाज़ार में दाख़िल होने के वक़्त यह दुआ पढ़ लिया करो-

Scanned by CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बाज़ार में दाखिल होते वक़्त यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उसके लिए एक लाख नेकी लिखेगा और एक लाख गुनाह मिटा देगा और एक लाख दर्जे बुलन्द फरमायेगा और उसके लिए एक घर जन्नत में बनायेगा। (तिर्मिज़ी, इब्नेमाजा)

कसबे हलाल की फ़ज़ीलत

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि "अल्लाह पाक है और पाक ही को दोस्त रखता है और अल्लाह तआला ने मोमिन को भी उसी का हुक्म दिया जिस का रसूलों को हुक्म दिया। उसने रसूलों से फरमाया يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ऐ रसूलो ! पाक चीज़ों से खाओ और अच्छे काम करो" और मोमिन से फरमाया يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ऐ ईमान वालो! जो कुछ हम ने तुम को दिया उन में पाक चीज़ों में से खाओ। फिर बयान फरमाया कि एक शख़्स तवील सफ़र करता है जिस के बाल परेशान हैं और बदन गर्द आलूद हैं। (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वह क़ुबूल हो) मगर हालत यह है कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम और ग़िज़ा हराम। फिर उसकी दुआ क्यों क़ुबूल हो। (यानी अगर क़ुबूल की ख़्वाहिश हो तो कसबे हलाल अख़्तियार करो कि बग़ैर उसके क़ुबूल दुआ के असबाब बेकार हैं।)

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद

गरामी है कि तमाम कमाईयों में ज़्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वह बात करें झूठ न बोलें और जब उनके पास अमानत रखी जाये ख्यानत न करें और जब वायदा करें उसके खिलाफ़ न करें और जब किसी चीज़ को खरीदें तो उसकी मुज़म्मत (बुराई) न करें और जब अपनी चीज़ बेचें तो उनकी तारीफ़ में मुबालग़ा न करें और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील न डालें और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती न करें। (बिहैकी शोबुलईमान)

मसायल मुताल्लिक़ा

मसला:– इस्तिलाह शरअ में बैअ के मानी यह हैं कि दो शख्सों का बाहम माल को माल से एक मखसूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ कभी क़ौल से होती है और कभी फ़ेअल से अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब व कुबूल हैं। मसलन एक ने कहा मैंने बेचा दूसरे ने कहा मैंने खरीदा और फ़ेअल से हो तो चीज़ का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं और यह फ़ेअल ईजाब व कुबूल के क़ायम मुकाम हो जाता है। मसलन तरकारी वग़ैरह की गडिडयां बना कर अक्सर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर कर देते हैं कि आने आने या मसलन दो दो आने की गड्डी है। ख़रीदार आता है। मुकर्रर पैसे डाल देता है और एक गड्डी उठा लेता है तरफ़ैन बाहम कोई बात नहीं करते। मगर दोनों के फ़ेअल ईजाब व कुबूल के क़ायम मुक़ाम शुमार होते हैं शरीअत में इस किस्म की बैअ को बैअ तआती कहते हैं। (आमए कुतुब)

Scanned by CamScanner

मसला:- यह ज़रूरी नहीं कि खरीदना और बेचना ही कहें तो बैअ हो वरना न हो बल्कि यह मलतब अगर दूसरे अल्फ़ाज़ से अदा होता हो तब भी बैअ हो सकती है मसलन दुकानदार ने पूछने पर किसी चीज़ के दस रुपये बताये, उसने कहा दस रुपया। उसने कहा आठ रुपया में दो। उसने जवाब दिया। ले लो बैअ हो गई। (आलमगीरी)

मसला:- जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उसके मौजूद न होने का अन्देशा हो, उसकी बैअ नहीं हो सकती। मसलन थन में जो दूध है उसकी बैअ नाजायज़ है कि हो सकता है उसमें दूध न हो।

मसला:- जो चीज़ बेची या खरीदी जाये उसकी कीमत साफ़ साफ़ इस तरह मालूम हो कि निज़ाअ और झगड़ा बखेड़ा न पड़े और अगर बात मजहूल यानी गोल मोल रही कि निज़ाअ हो सकता है तो बैअ सही नहीं। मसलन उस रेवड़ में से एक बकरी बेची और यह मालूम नहीं कि कौन सी बेची या कहा कि मैंने उस चीज़ को वाजिबी कीमत में बेचा या ख़रीदार ने कहा कि जो कुछ मेरी मुट्ठी में है उस के बदले मैंने फलां चीज़ ख़रीदी और मालूम नहीं कि मुट्ठी में है क्या तो यह बैअ दुरुस्त न हुई। (आमए कुतुब)

मसला:- एक शख़्स ने कहा यह सामान ले जाओ और उसके मुताल्लिक आज ग़ौर कर लो अगर तुम को पसन्द हो तो एक हज़ार की है। दूसरा उसे ले गया बैअ जायज़ हो गई। (ख़ानिया)

मसला:- दुकानदारों के यहां से खर्च के लिए चीज़ें मंगवा ली जाती हैं और खर्च कर डालने के बाद कीमत का हिसाब होता है ऐसा करना जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- बाइअ़ (बेचने वाला) और मुशतरी (ख़रीदने वाला)

Scanned by CamScanner

उन दोनों को यह हक़ है कि वह कतई तौर पर बैअ न करें अक़्द में यानी बेचते खरीदते वक़्त यह शर्त रख दें कि अगर मंजूर न हुआ या चीज़ पसन्द न आई तो बैअ बाक़ी न रहेगी। उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं और उसकी ज़रूरत तरफ़ैन को हुआ करती है क्योंकि कभी बाइअ अपनी नावाकफ़ियत से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुशतरी अपनी नादानी से ज़्यादा दामों में मशवरा करके सही राय क़ायम करे और अगर उस वक़्त न खरीदी तो चीज़ जाती रहेगी। या बाइअ को अन्देशा है कि गाहक हाथ से निकल जायेगा। ऐसी सूरत में शरअ मतहर ने दोनों को यह मौक़ा दिया है कि ग़ौर कर लें अगर नामन्जूर हो तो ख़्यार की बिना पर बैअ को नामन्जूर कर दें। (बहारे शरीअत)

मसला:- ख्यार की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन है। उससे कम हो सकती है ज़्यादा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो जल्द खराब हो जाने वाली है और मुशतरी (खरीदार) को तीन दिन का ख्यार था तो उससे कहा जायेगा के बैअ को फसख़ कर दे या बैअ को जायज़ कर दे। और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख्यार खरीदी और बग़ैर कब्ज़ा किये और बग़ैर समन (कीमत जो तै पाई) अदा किये चल दिया। और ग़ायब हो गया तो बाइअ उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ कर सकता है और उस दूसरे खरीदार को यह मालूम होते हुए भी खरीदना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुतार वग़ैरह)

मसला:- अगर ख्यार की कोई मुद्दत ज़िक्र नहीं की सिर्फ़ इतना कहा मुझे ख्यार है या मुद्दत मजहूल है मसलन मुझे चन्द दिन का अख़्तियार है या हमेशा के लिए ख्यार रखा उन सब सूरतों में ख्यार फ़ासिद है।

Scanned by CamScanner

ख़्यारे रोयत का बयान

कभी ऐसा होता है कि बग़ैर देखे भाले चीज़ खरीद लेते हैं और देखने के बाद वह चीज़ पसन्द होती है ऐसी हालत में शरअ मुतहहरा ने मुशतरी को यह अख़्तियार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ फ़सख़ कर दे इसको ख्यारे रोयत कहते हैं। (बहारे शरीअत)

मसला:- बाइअ ने ऐसी चीज़ बेची जिसको उसने देखा नहीं मसलन उसे मीरास में कोई शै मिली है और बिना देखे बेच डाली तो बैअ सही है। मगर उसको यह अख़्तियार नहीं कि देख़ने के बाद बैअ को फ़सख़ कर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- ख़्यार रोयत के लिए किसी वक़्त की हद शरअन मुकर्रर नहीं कि उसके गुज़रने के बाद ख्यार बाकी रहे बल्कि यह ख्यार देखने पर है। जब देखे और देखने के बाद फ़सख़ का हक उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जबतक सराहतन या किसी और तौर पर रज़ामन्द न पाई जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- बिना देखे चीज़ खरीदी है तो देखने से पहले भी उसकी बैअ फ़सख़ कर सकता है क्योंकि यह बैअ मुशतरी (ख़रीदार) के ज़िम्मे लाज़िम नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अगर मुशतरी मुबीअ (खरीदी हुई चीज़) पर क़ब्ज़ा कर लिया और देखने के बाद अपनी रज़ा मन्दी ज़ाहिर कर दी या उसमें कोई ऐब पैदा हो गया या उसमें ऐसा तसर्रुफ़ कर दिया जो क़ाबिल फ़सख़ नहीं है तो इन सब सूरतों में ख्यारे रोयत जाता रहा और अब बैअ को फ़सख नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

Scanned by CamScanner

मसला:– नाबीना (अंधे) की बैअ व शरा (खरीद व फरोख़्त) दोनों जायज़ हैं। अगर किसी चीज़ को बेचेगा तो ख़्यार हासिल न होगा और खरीद लेगा तो ख़्यार हासिल होगा और बैअ (ख़रीदी हुई चीज़) को उलट पलट कर टटोलना देखने के हुक्म में है कि टटोल लिया और पसन्द कर लिया तो ख़्यार साकित हो गया और खाने की चीज़ का चखना और सूंघने की चीज़ का सूंघना और जो चीज़ टटोलने से मालूम न हो न चखने सूंघने से वहां उस चीज़ के औसाफ़ बयान करने होंगे। जो औसाफ़ बयान कर दिए गये मुबीअ उनके मुताबिक़ है तो फ़सख़ नहीं कर सकता वरना फ़सख़ कर सकता है। अंधा मुशतरी यह भी कर सकता है कि किसी को क़ब्ज़ा करने या ख़रीदने के लिए वकील कर दे, वकील का देख लेना उसके देखने के कायम मुकाम हो जायेगा और अंधा किसी चीज़ को अपने लिए ख़रीदे या दूसरे के लिए मसलन किसी ने अंधे को वकील कर दिया कि हमारे लिए फ़लां चीज़ खरीद लेना और उसने खरीद ली तो दोनों सूरतों में उसे ख़्यार हासिल होगा। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– शै मुअय्यन की बैअ शै मुअय्यन से हुई मसलन किताब को कपड़े के बदले में खरीदा या बेचा तो ऐसी सूरत में बाइअ व मुशतरी दोनों को ख़्यार रोयत हासिल है क्योंकि यहां दोनों मुशतरी भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

ख़्यारे ऐब का बयान

शरीअत की ज़बान में ऐब, जिसकी वजह से मुबीअ को वापस कर सकते हैं वह है जिससे ताजिरों की नज़र में कीमत कम हो जाये।

मुबीअ में ऐब हो तो उसका ज़ाहिर कर देना बाइअ़ पर वाजिब

Scanned by CamScanner

है छुपाना गुनाह कबीरा है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस ने ऐब वाली चीज़ बैअ की और उसको ज़ाहिर न किया वह हमेशा अल्लाह तआला की नाराज़ी में है या फ़रमाया कि हमेशा फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं (इब्न माजा) एक और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐब हो तो जबतक बयान न करे उसे बेचना हलाल नहीं। (इमाम अहमद, इब्ने माजा)

यूंही समन का ऐब (यानी जिसके बदले में कोई चीज़ खरीदी उसका ऐब) मुशतरी पर ज़ाहिर कर देना वाजिब है अगर बग़ैर ऐब ज़ाहिर किए चीज़ बैअ़ कर दी तो मालूम होने के बाद वापस कर सकते हैं उसको ख्यारे ऐब कहते हैं।

ख्यार ऐब के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वक़्त अक़दिया कह दे कि ऐब होगा तो फेर देंगे कहा हो न कहा, बहरहाल ऐब मालूम होने पर मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा। लिहाज़ा अगर मुश्तरी को न खरीदने से पहले ऐब पर इत्तला थी न वक़्ते खरीदारी उसके इल्म में यह बात आयी बाद में मालूम हुआ कि उसमें ऐब है। थोड़ा ऐब हो या ज़्यादा, ख़यार ऐब हासिल है कि मुबीअ़ को लेना चाहिए तो पूरे दाम पर लेले वापस करना चाहे वापस कर दे। यह नहीं हो सकता कि वापस न करे बल्कि दाम कम कर दे। (आलमगीरी) हां, बाइअ खुद कीमत कम दे तो और बात है।

मसला:– खरीदार को अक़्द या कब्ज़ा के वक़्त ऐब पर इत्तला हो गयी उसके बावजूद ऐब जानकर खरीद लिया या कब्ज़ा किया तो ख़्यार ऐब न रहा। यूंही अगर बाइअ ने ऐब से बराअत कर दी

और कह दिया कि उसके किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं और खरीदार ने मंजूर कर लिया तब भी ख़्यार ऐब साबित नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- कोई चीज़ ग़बन फ़ाहिश के साथ खरीदी है उसकी दो सूरते हैं, धोका देकर नुक्सान पहुंचाया या नहीं। अगर ग़बन फ़ाहिश के साथ धोका भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं।

ग़बन फ़ाहिश का मतलब यह है कि इतना टूटा है जो कीमत लगाने वालों के अंदाज़ा से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रुपया में खरीदी कोई उसकी कीमत पाचं बताता है कोई छह, कोई सात, तो यह ग़बन फ़ाहिश है। और अगर उसकी कीमत आठ बताता है और कोई नौ कोई दस तो यह ग़बन यसीर (मामूली नुक़्सान) है। धोके की तीन सूरते हैं। कभी बाइअ मुश्तरी को धोका देता और पांच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाइअ को, कि दस की चीज़ पांच में खरीद लेता है। कभी दलाल धोका देता है। इन सूरतों मे जिसको ग़बन फ़ाहिश के साथ नुक़्सान पहुंचा है वह चीज़ को वापस कर सकता है और किसी अजनबी शख़्स ने धोका दिया ख़्वा-मख़ाह चीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ा बयान कर दी और यह उसके चक्कर में आ गया तो अब वापस नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- मोज़े या जूते खरीदे वह उसके पांव में नहीं आते वापस कर सकती है। अगरचे खरीदते वक़्त यह न कहा हो कि पहनने के लिए खरीदती है क्योंकि आदतन एक जोड़ा मोज़ा या जूता पहनने ही के लिए खरीदा जाता है। हां अगर जूता खरीदा जो तंग था बाइअ ने कह दिया कि पहन लो ठीक हो जाएगा उसने एक दिन पहना मगर ठीक न हुआ तो अब वापस नहीं कर सकती। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

मसला:- अंडा खरीदा, उसे तोड़ा तो गंदा निकला तो कुल वापस होंगे कि वह चीज़ बेकार है बैअ के काबिल नहीं खरबूज़ा तरबूज़ खीरा ककड़ी वग़ैरह कोई चीज़ खरीदी और काटी तो खराब निकली या बादाम अखरोट खरीदा तोड़ने पर मालूम हुआ कि खराब है मगर बावजूद खराबी के, काम के लायक है। कम से कम यह कि जानवर ही के खिलाने में आ सकता है। तो वापस नहीं कर सकती। और अगर बाइअ उसी हालत में लेने को तैयार है तो वापस कर दे। नुक्सान नहीं ले सकती और अगर ऐब मालूम हो जाने के बाद कुछ भी खा लिया तो नुक्सान नहीं ले सकती यहां महज़ चखकर देखा और खाया नहीं तो अब नुक्सान ले सकती है और अगर काटने तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीजें बिल्कुल बेकार हैं मसलन खीरा, कड़वा या बादाम अखरोट में गिरी नहीं तरबूज या खरबूजा सड़ा हुआ है तो पूरे दाम वापस लेकर यह बाइअ बिल्कुल हुई नहीं। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

बैअ़ बातिल व बैअ़ फ़ासिद का बयान

जिस सूरत में बैअ़ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ बैअ़ के काबिल ही न हो शरीअत में उसे बैअ़ बातिल कहते हैं यानी ऐसी बैअ़ जो शरअन महज़ नाक़ाबिले एतबार है गोया कि यह बैअ़ वजूद में आयी ही नहीं। न बेची गई न खरीदी गई पहली सूरत कि मिसाल यह है कि मजनू या नासमझ बच्चा ने ईजाब या कुबूल किया कि उनका क़ौल शरअन मोतअबर ही नहीं। दूसरी सूरत कि मुबीअ, बैअ़ के क़ाबिल ही नहीं उसकी मिसाल यह है कि मुबीअ़ मुरदार या ख़ून या शराब हो कि यह चीज़ें बैअ़ के क़ाबिल नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

और अगर बैअ़ के रुक्न या महल बैअ़ (जिस की बैअ़ की जा रही है) में जो कोई खराबी नहीं बल्कि उसके अलावा कोई खराबी पाई जाती है तो वह बैअ़ फ़ासिद कहलाती है। मसलन शराब का बतौर कीमत देना ते पाया। बैअ़ में कोई ऐसी शर्त लगा दी जिस का पूरा करना बैअ़ में शामिल नहीं या शरीअत ने उसे जायज़ नहीं रखा या दीनदार मुसलमानों का उस पर अमल नहीं मसलन कपड़ा खरीदा और यह शर्त लगाई कि बाइअ उसको काट कर सी देगा (आलमगीरी) तो यह बैअ़ फ़ासिद है।

मसला:– बैअ़ बातिल का हुक्म यह है कि उस चीज़ पर मुशतरी का कब्ज़ा भी हो जाये जब भी मुशतरी उसका मालिक नहीं होगा वह चीज़ अब तक बाइअ की मिल्क है और मुशतरी का यह कब्ज़ा ऐसा है जैसे किसी अमानत पर कब्ज़ा। लिहाज़ा उसमें से खरीदार को खाना पीना, या उसे किसी तरह अपने तसर्रुफ़ में लाना जायज़ नहीं मुशतरी पर लाज़िम है कि वह चीज़ें वापस करे और अपनी क़ीमत वापस ले। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– बैअ़ फ़ासिद का हुक्म यह है कि अगर मुशतरी ने बाइअ़ की इजाज़त से मुबीअ़ पर क़ब्ज़ा कर लिया तो वह मुबीअ़ का मालिक हो गया। मगर यह मिल्क ख़बीस है क्योंकि जो चीज़ें बैअ़ फ़ासिद से हासिल होगी उसे वापस करना वाजिब है और मुशतरी को उसमें तसर्रुफ़ करना मना है। लिहाज़ा अगर वह खाने की चीज़ है तो उसका खाना और पहनने की चीज़ है तो उसका पहनना हलाल नहीं। हां अग़र यह उसे बेच डाले तो समन (क़ीमत) का मालिक यही होगा कि अगरचे मिल्क खबीस है मगर मालिक तो यही है बैअ़ फ़ासिद की सूरत फसख़ करना बाइअ व मुशतरी दोनों पर वाजिब है और

Scanned by CamScanner

अगर बैअ़ फ़ासिद की सूरत में मुशतरी ने मुबीअ़ पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो उसकी मिल्क साबित नहीं होगी और न उसपर उसकी मिल्कीयत के अहकाम जारी होंगे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- बैअ़ फ़ासिद में अगर मुशतरी ने मुबीअ पर बाइअ़ की इजाज़त के बग़ैर क़ब्ज़ा कर लिया तो न क़ब्ज़ा हुआ न यह मालिक हुआ और न उसके तसर्रुफ़ात जारी होंगे। (आलमगीरी)

मसला:- बैअ़ फ़ासिद में मुशतरी ने क़ब्ज़ा करने के बाद उस चीज़ को बाइअ के अलावा दूसरे के हाथ बेच डाला या हिबा करके क़ब्ज़ा दिला दिया। या ग़ल्ला था उसे दूसरे ग़ल्ला में मिला दिया या पिसवा लिया या जानवर था ज़िब्ह कर डाला। या वसीयत करके मर गया या सदक़ा दे डाला ग़र्ज़ यह कि किसी तरह मुशतरी की मिल्क से वह चीज़ निकल गई तो अब वह बैअ़ फ़ासिद नाफ़िज़ हो जायेगी और अब फ़सख़ नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- बाइअ व मुशतरी में से कोई मर गया जब भी (बैअ बातिल व फ़ासिद की सूरत में) फ़सख़ का हुक्म बदस्तूर बाक़ी है उसका वारिस उसके क़ायम मुक़ाम है वह फ़सख़ करे। (दुर्रे मुख़्तार)

बैअ़ फ़ासिद व बातिल की चन्द सूरतें

मसला:- बैअ़ में समन का ज़िक्र न हुआ यानी बाइअ़ ने मुशतरी से यह कह दिया कि जो नर्ख़ बाज़ार में है वह दे देना, यह बैअ़ फ़ासिद है और अगर यह कहा कि समन कुछ नहीं तो बैअ़ बातिल है कि बग़ैर समन बैअ़ नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- तालाबों झीलों का मछिलयों के शिकार के लिए ठेका

Scanned by CamScanner

देना जैसा कि बहुत ज़मींदारा करते हैं यह नाजायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- जो दूध थन में है उसकी बैअ़ नाजायज़ है। इसी तरह उस ऊन की बैअ़ जो दुम्बा या भेड़ के जिस्म में है अभी काटी न हो। या घी की बैअ़ जो अभी दूध से निकाला न हो नाजायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- पानी जब तक कुएं या नहर में है उसकी बैअ़ जायज़ नहीं और जब उसको घड़े मटके बाल्टी डोल वग़ैरह में भर लिया तो भरने वाला मालिक हो गया। बैअ़ कर सकता है। यूंही बारिश का पानी जमा कर लेने से मालिक हो जाता है। बैअ़ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसला:- भिश्ती से पानी की मशकें मोल लीं यानी अभी उसने भरी भी नहीं हैं उनको खरीद लेना दरूस्त है कि मुसलमानों का उस पर अमल दरआमद है। (आलमगीरी)

मसला:- इन्सान के बाल की बैअ़ दुरूस्त नहीं और उन्हें काम में लाना जायज़ नहीं मसलन उनकी चूटियां बना कर औरतें इस्तेमाल करें हराम है। हदीस शरीफ़ में उस पर लानत फ़रमाई। (आमए कुतुब)

फ़ायदा नफ़ीसा

हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के मूए मुबारक जिसके पास हों उससे दूसरे ने लिये और हदया में कोई चीज़ पेश की यह दुरूस्त है जब कि बतौर बैअ़ न हों

और मूए मुबारक से बरकत हासिल करना, उसका ग़साला (जिसमें मुए मुबारक को गु स्ल दिया जाये यानी उसमें हुसूल बरकत

Scanned by CamScanner

के लिए डाल दिया जाये उस पानी का पीना, आंखों पर मलना और बग़र्ज़ शिफ़ा मरीज़ को पिलाना दरूस्त है जैसा कि अहादीस सहीहा से साबित है।) (बहारे शरीअत)

हज़रत खालिद बिन वलीद से मरवी है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उमरा अदा फ़रमाने के बाद सर मुबारक को हल्क कराया (यानी सर अकदस से मूए मुबारक उतारे गये) तो सहाबा किराम ने मूए मुबारक को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबक़्क़त ले जाने की कोशिश की मैंने उन सब पर सबक़्क़त की और पेशानी के मूए मुबारक हासिल कर लिए और उन्हें अपनी टोपी में रख लिया। उसकी यह बरकत हुई कि जब भी किसी जंग में शामिल हुआ और यह टोपी मेरे साथ हुई ज़रूर मुझे फतह हासिल हुई। (सीरत नबवियह)

इस हदीस से साफ़ साफ ज़ाहिर है कि सहाबा किराम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आसार मुबारक से इन्तहा दर्जा का इश्क था। उन्हें जान की तरह साथ रखते थे, सर पर रखते उनकी हिफाज़त करते, उनसे बरकतें हासिल करने, नफ़ा पाने और आदाए दीन पर कामियाब होने का एतकाद रखते और हमेशा इस एतकाद के मुताबिक़ कामियाब होते और मुरादें पाते थे। बल्कि उन्हें जान की तरह अज़ीज़ रखते बल्कि उनकी हिफ़ाज़त के लिए अपनी जानें खतरा में डाल दिया करते थे। चुनांचे इन्हीं ख़ालिद बिन वलीद रज़ि अल्लाहु अन्हु की वह कलाह मुबारक यानी टोपी जिस में मूए मुबारक थे एक माअरका में गिर गई। जब आप को उसका इल्म हुआ तो निहायत तेज़ी से पलट कर, दुश्मनों पर सख्त हमला किया और अपनी जान खतरे में डाल कर उस टोपी को हासिल कर लिया।

Scanned by CamScanner

बाज़ सहाबा किराम ने इस वाकिया से , ज़्यादा मुसलमानों को शहीद हो जाने के बाअस एतराज़ किया तो आपने फ़रमाया मैंने यह जो कुछ किया अपनी टोपी के लिए नहीं बल्कि उन मुबारक बालों की वजह से किया जो इस टोपी में मौजूद थे। ताकि मैं उन मूए मुबारक की बरकतों से महरूम न हो जाऊं और वह दुश्मनों के हाथ न आजायें। दर हकीकत यही एकतज़ाए मुहब्बत है और यही तकाज़ाए ईमान।

हज़रत उलेमाए किराम का इरशाद गरामी है कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम का एक जुज़ यह भी है कि जिस चीज़ को हुजूर से कुछ इलाका हो हुजूर की तरफ मंसूब हो। हुजूर ने उसे छुआ हो या हुजूर के नाम पाक से पहचानी जाती हो, उस सबकी ताज़ीम की जाये। (शिफ़ाशरीफ़ अल्लामा काज़ी अियाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैहि)

यहां तक कि आईमा दीन और उलमाए मुतकदमीन व मुताखिरीन, जिन के इल्मी और रूहानी और तबलीग़ी कारनामों पर तारीख़ इस्लाम गवाह है, नअल अक्दस की शबीह व मिसाल, उसके नक़्शे और खाकों की बराबर ताज़ीम फरमाते रहे। उससे बरकतेंऔर ग़ैबी मद्दें पाते रहे जब नक़्शे की यह बरकत व अज़मत है तो खुद नअल अक्दस की अज़मत व बरकत का ख्याल कीजिए। फिर रोये अक्दस (चादर मुबारक) जुब्बा मुकद्दस और अमामा मुकर्रमा पर नज़र कीजिए फिर उन तमाम आसार व तबर्रुकात शरीफ़ा से हज़ारों दर्जे आज़म व आला व अकरम औला हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नाखुन पाक का तराशा है कि वह सब मलबूसात (इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जो बदन से मस रहे) थे और यह

जुज़ बदन वाला है।

और इससे अजल व आज़म व अरफ़अ अकरम, हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रेश मुबारक का मूए मतहर (बाल मुबारक) है। मुसलमान का ईमान गवाह है कि हफ्त आसमान व ज़मीन हरगिज़ उस मूए मुबारक की अज़मत को नहीं पहुंचते।

यूंही रोज़ा मुनव्वरा हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की नक्ले सहीहा बिला शुबह उन चीज़ों में से है जो शरअन वाजिबुल ताज़ीम हैं। उसकी ताज़ीम व तकरीम, बर वजह शरई हर मुसलमान सहीहुलईमान का मुकतज़ाए ईमान है-

ऐ गुल बतो खर सन्दम तो बोए कसे दारी

मसला:- तेल नापाक हो गया उसकी बैअ़ जायज़ है और खाने के अलावा उसको दूसरे काम में लाना भी जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार) मगर यह ज़रूर है कि मुशतरी को उसके नजस होने की इत्तलाअ देदे ताकि वह खाने के काम में न लाये और यह भी वजह है कि नजासत ऐब है और ऐब पर मुत्तलअ करना ज़रूरी है। नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है। घर में जला सकते हैं उसका इस्तेमाल अगरचे जायज़ है मगर बदन या कपड़ा में जहां लग जायेगा नापाक हो जायेगा। पाक करना पड़ेगा।

बाज़ दवायें इस किस्म की बनाई जाती हैं जिसमें कोई नापाक चीज़ शामिल करते हैं। मसलन जावनर का पित्ता, उसको अगर बदन पर लगाया तो पाक करना ज़रूरी है। (बहारे शरीअत)

मसला:- जिस बैअ़ में मुबीअ या समन मजहूल (नामालूम) हों वह बैअ फ़ासिद है जबकि ऐसी जिहालत हो कि उसे सोंपते वक्त झगड़ा पैदा हो जाये और अगर बैअ़ को सोंपने में कोई दुशवारी न हो तो

Scanned by CamScanner

बैअ़ फ़ासिद नहीं। मसलन गेहूं की पूरी बोरी मसलन सौ रुपया में खरीदी औ.र मालूम नहीं कि उसमें कितने गेहूं हैं। या कपड़े की गांठ ली या मालूम नहीं कि उस में कितने थान हैं यह बैअ़ दुरुस्त है। (आलमगीरी)

मसला:– तेल बेचा और यह ठहरया कि बर्तन समेत तोला जायेगा और बर्तन का इतना वज़न काट दिया जायेगा मसलन एक सेर, यह नाजायज़ है और अगर यह ठहराया कि बर्तन का जो वज़न है को काट दिया जायेगा मसलन एक सेर है तो एक सेर और डेढ़ सेर है तो डेढ़ सेर। यूंही अगर दोनों को मालूम है कि बर्तन का वज़न एक सेर है और ठहराया कि बर्तन का वज़न एक सेर मुजरा किया जायेगा यह भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– बैअ़ में कभी ऐसा होता है कि मुक़र्ररा क़ीमत अदा करने की कोई मुद्दत मुकर्रर होती है और कभी नहीं। मगर मुद्दत मुकर्ररा न हो तो समन का मुतालबा बाइअ़ जब चाहे करे और जब तक मुशतरी समन न अदा करे मुबीअ को रोक सकता है और दावा करके वसूल कर सकता है और अगर मुद्दत ऐसी मुकर्रर की जो फ़रीक़ैन न जानते हों या एक को उस का इल्म न हो तो बैअ़ फ़ासिद है मसलन नौ रोज़, महरगां या होली दीवाली कि अक्सर मुसलमान यह नहीं जानतें कि कब होगी और जानते हों तो हो जायेगी। मगर मुसलमानों को अपने कामों में काफ़िरों के त्योहारों की तारीख मुकर्रर करना बहुत बुरी बात है। यूंही हाजियों की वापसी का दिन मुक़र्रर करना। खेत काटने पेड़ में से गल्ला उठाने की तारीख़ मुक़र्रर करना बैअ़ को फ़ासिद करदेगा। कि यह चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार)

Scanned by CamScanner

मसला:- मुशतरी ने मुबीअ को वापस दे दिया यानी बाइअ़ के पास रख दिया कि बाइअ़ के पास छोड़ कर चला गया तो वह बरीउज़्ज़िम्मा हो गया। वह चीज़ अगर ज़ाया होगी तो मुशतरी तावान नहीं देगा और अगर बाइअ़ के इन्कार पर मुशतरी चीज़ को वापस ले गया तो बरीउज़्ज़िम्मा नहीं कि उस सूरत में उसे ले जाना जायज़ न था कि बैअ़ फ़सख़ हो चुकी हो और फिर ले जाना ग़सब है। (रददुलमुहतार)

मसला:- एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया। मुदआ अलैहि ने दे दिया। उस माल से मुद्दई ने कुछ नफ़ा हासिल किया। फिर दोनों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक किया कि वह माल नहीं चाहिए था। तो जो कुछ नफ़ा उठाया है मुद्दई के लिए हलाल है। (हिदाया) मगर यह उस वक़्त है कि मुद्दई के ख़्याल में यही था कि माल मेरा है और अगर कसदन गलत तौर पर मुतालबा किया और मुद्दआ अलैहि ने किसी भी वजह से दे दिया और उसने ले लिया तो यह लेना हराम है और उसका नफ़ा भी नाजायज़ व ख़बीस। ग़सब करने वाले ने झपटी हुई चीज़ से जो कुछ कमाया या नफ़ा उठाया वह भी हराम है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मोरिस (यानी मरने वाला जिसने अपने वारिस छोड़े उस) ने हराम तरीक़ा पर माल हासिल किया था अब वारिस को मिला। अगर वारिस को मालूम है कि यह माल फ़लां का है तो दे देना वाजिब है और अगर यह मालूम न हो कि किस का है तो मालिक की तरफ़ से सदक़ा कर दे और अगर मोरिस का माले हराम और माले हलाल ग़लत मलत हो गया है यह नहीं मालूम कि कौन सा हराम है, कौन सा हलाल मसलन उसने रिश्वत ली है या सूद लिया है और

Scanned by CamScanner

यह माले माले हराम माले हलाल से जुदा व मुमताज़ नहीं है तो फ़तवा का हुक्म यह है कि वारिस के लिए हलाल है और दियानत का तक़ाज़ा यह है कि उससे बचना चाहिए। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- मुशतरी पर लाज़िम नहीं है कि बाइअ़ से दरयाफ़्त करे कि यह माले हलाल है या हराम। हां अगर बाइअ़ ऐसा शख़्स है कि हलाल व हराम यानी चोरी ग़सब वग़ैरह सब ही तरह की चीज़ें बेचता है तो एहतियात यह है कि दरयाफ़्त करे। हलाल हो तो ख़रीदे वरना खरीदना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

बैअ़ मकरूह का बयान

बैअ़ से मुताल्लिक़ जो मसायल आप ने अब तक पढ़े उनसे बख़ूबी इस अम्र का अन्दाज़ा आप को हो गया होगा कि इस्लामी शरीअत एक ऐसा पाकीज़ा माहौल ऐसा साफ़ सुथरा और निखरा हुआ मआशिरा क़ायम करती है। जिस में फ़र्द से ले कर जमाअत तक हक़ परस्ती और खुदा तरसी की जलवा गरी हो हर एक दूसरे के साथ खैर ख़्वाही व हमदर्दी का सुलूक करे और किसी मरहला में बददियानती, घोखा फ़रेब, मलम्मअकारी और नाहक़ सतानी का वजूद बाक़ी न रहे।

बैअ़ मकरूह भी शरअन ममनूअ है और उसका करने वाला गुनाहगार। फ़ुक़हा किराम ने उसका मर्तबा अगरचे बैअ़ फ़ासिद से कम रखा है फिर भी हुक्म यह दिया है कि ऐसी बैअ़ को फ़सख़ कर देना चाहिए। यही दियानत का तक़ाज़ा और ग़ैरत ईमानी का मुक़तज़ा है।

बैअ फ़ासिद और बैअ मकरूह में फ़र्क़ इतना है कि:-

१. बैअ़ फ़ासिद को अगर आक़िदीन (बाइअ़ व मुशतरी) फ़सख़

Scanned by CamScanner

न करें तो क़ाज़ी जबरन "फसख़ कर देगा और बैअ़ मकरूह को क़ाज़ी फसख़ न करेगा। बल्कि आकिदीन के ज़िम्मे दियानतन" फसख़ कर देना है।

२. बैअ़ फ़ासिद में कीमत (बज़ारी नर्ख़) वाजिब होती है और बैअ़ मकरूह में समन तैय शुदा बदल वाजिब होता है।

३. बैअ़ फ़ासिद में बग़ैर कब्ज़ा मिल्क नहीं हुई तो बैअ़ करदा में मुशतरी कबल कब्ज़ा मालिक हो जाता है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसायल मुताल्लिक़ा

मसला:- अज़ाने जुमा के शुरू से ख़त्म नमाज़ तक बैअ़ मकरूह तहरीमी है और अज़ान से मुराद पहली अज़ान है कि उसी वक़्त सई (नमाज़ की तैयारी) वाजिब हो जाती है। मगर वह लोग जिन पर जुमा वाजिब नहीं। मसलन औरतें या मरीज़, उनकी बैअ़ में कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- नजश मकरूह है हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उससे मना फ़रमाया। नजश यह है कि कोई मुबीअ़ की कीमत बढ़ाए और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो हालांकि खरीदार वाजबी कीमत दे कर खरीद रहा है। उससे मकसूद यह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और वह कीमत ज़्यादा देकर चीज़ खरीद ले और यह हकीकतन ख़रीदार को धोका देना है। गाहक के सामने मुबीअ़ की तारीफ़ करना और उसके ऐसा औसाफ़ बयान करना जो उसमें न हो ताकि ख़रीदार धोका खा जाये यह भी नजिस है। (हिदाया वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

बाज़ दुकानदारों के यहां इस किस्म के आदमी लगे रहते हैं। गाहक को देखकर चीज़ के खरीदार बन कर दाम बढ़ा दिया करते हैं और उनकी उस हरकत से गाहक धोका खा जाता है।

मसला:– खरीदार वाजबी कीमत से कम दे कर लेना चाहता है और एक शख़्स ग़ैर खरीदार इसलिए दाम बढ़ा रहा है कि असली कीमत तक ख़रीद पहुंज जाए यह ममनूअ नहीं कि एक मुसलमान को नफा पहुंचाना है बग़ैर उसके कि दूसरे को नुक़्सान पहुंचाए। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– एक शख़्स के दाम चुका लेने के बाद, दूसरे को दाम चुकाना ममनूअ है। उसकी सूरत यह है कि बाइअ व मुशतरी एक समन पर राज़ी हो गये सिर्फ ईजाब व कुबूल ही या मुबीह को उठा कर दाम दे देना ही बाकी रह गया है। दूसरा शख़्स दाम बढ़ा कर लेना चाहता है दाम इतने ही देगा मगर दुकानदार से उस का मेल है या यह दूसरा बा असर ज़ी वजाहत शख़्स है दुकानदार उसे छोड़ कर पहले को नहीं देगा।

और अगर दाम अब तक तै नहीं हुआ एक समन पर दोनों की रज़ामन्दी नहीं हुई है तो दूसरे को दाम चुकाना मना नहीं जैसा कि नीलाम में होता है उसको बैअ़ मन यज़ीद कहते हैं। यानी बेचने वाला कहता है कि जो ज़्यादा दे वह ले ले। इस क़िस्म की बैअ़ हदीस से साबित है।

फिर जिस खरीदार के लिए यह सूरत ममनूअ है बाइअ़ के लिए भी उसकी मुमानिअत है। मसलन एक दुकानदार से दाम तै हो गये दूसरा दुकानदार कहता है– मैं उससे कम दूंगा या उसका मुलाकाती है कहता है मेरे यहां से ले लो मैं भी इतने ही में दूंगा, यह सब सूरतें

Scanned by CamScanner

ममनूअ हैं। (फ़तहुलक़दीर, रद्दुलमुहतार)

मसला:- हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने तलक़्क़ी जलब से मुमानिअत फ़रमाई। यानी बाहर से ताजिर ग़ल्ला ला रहे हैं। उनके शहर पहुंचने से क़ब्ल, बाहर जाकर ख़रीद लेना। इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि अहले शहर को ग़ल्ला की ज़रूरत है और यह इसलिए ऐसा करता है कि ग़ल्ला हमारे क़ब्ज़े में होगा नर्ख़ ज़्यादा करके बेचेंगे। दूसरी सूरत यह है कि ग़ल्ला लाने वाले ताजिरों को शहर का ग़लत नर्ख़ बता कर ख़रीदे। मसलन शहर में गेहूं चालीस रुपया मन मिलते हैं उसने कह दिया पैंतीस रुपया का भाव है गोया धोका दे कर ख़रीदना चाहता है। यह दोनों बातें न हों तो मुमानिअत नहीं। (हिदाया फ़तहुलक़दीर)

मसला:- एहतकार यानी ग़ल्ला रोकना मना है और सख़्त गुनाह है और उसकी सूरत यह है कि गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला ख़रीदे और उसे फ़रोख़्त न करे बल्कि रोक रखे कि लोग जब ख़ूब परेशान होंगे तो ख़ूब गिरां करके बेचूंगा।

और अगर यह सूरत न हो बल्कि फ़सल में ग़ल्ला ख़रीदता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों बाद जब गिरां हो जाता है बेचता है। यह न एहतकार है न इसकी मुमानिअत है। (आमए कुतुब)

मसला:- एहतकार इन्सान के खाने की चीज़ों में भी होता है। मसलन अनाज अंगूर बादाम वग़ैरह और जानवरों के चारे में भी जैसे घास, भूसा खुश्क व तर चारा और दला हुआ दाना वग़ैरह। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- जो शख़्स रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है। अगर रास्ता कुशादा है कि उसके बैठने या कारोबार करने से राहगीर और

Scanned by CamScanner

आने जाने वालों पर तंगी नहीं होती तो हरज नहीं और अगर गुज़रने वालों को उसकी वजह से तकलीफ़ हो जाये तो उससे सौदा ख़रीदना न चाहिए कि गुनाह पर मदद देना है। क्योंकि कोई ख़रीदेगा नहीं तो बैठेगा क्यों। (आलमगीरी)

मसला:- लोहा पीतल तांबे जस्ता वग़ैरह की अंगूठी छल्ले बालियां झूमर नैकलिस वग़ैरह इस्तेमाल- मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है तो उनका बनाना और बेचना भी ममनूअ है। हां बैअ़ की मुमानिअत वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमानिअत है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

ख़रीद व फ़रोख़्त के मुतफ़र्रिक़ मसायल

मसला:- औरत के दूध को बेचना नाजायज़ है। अगरचे उसे निकाल कर किसी बर्तन में रख लिया हो। (हिदाया वग़ैरह)

मसला:- जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त के मसायल मालूम न हों कि कौन सी बैअ़ जायज़ है और कौन सी नाजायज़ उस वक़्त तक तिजारत न करे। (आलमगीरी)

मसला:- इन्सान के पख़ाना की बैअ़ करना ममनूअ है। गोबर का बेचना ममनूअ नहीं है और इन्सान के पख़ाना में मिट्टी या राख मिल कर ग़ालिब हो जाये जैसे खाद में मिट्टी का ग़लबा हो जाता है तो बैअ़ भी जायज़ है और उसको काम में लाना मसलन खेत में डालना भी जायज़ है और जब गोबर लीद की बैअ़ जायज़ है अगरचे दूसरी चीज़ों की उनमें आमेज़िश न हो तो उपले (गन्डे) का बेचना और ख़रीदना या उसका इस्तेमाल करना मकरूह व ममनूअ नहीं

Scanned by CamScanner

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार) लिहाज़ा उपले का धुवां रोटी में लगा तो रोटी नापाक न हुई। (बहारे शरीअत)

मसला:- जो शख़्स कोई चीज़ बैअ़ कर रहा है और वह चीज़ ऐसी है कि उस जैसे शख़्स की नहीं हो सकती। मसलन वह चीज़ बेश कीमत है और यह शख़्स ऐसा नहीं मालूम होता कि वह उसकी होगी तो इस सूरत में उसकी खरीदारी से बचना चाहिए। और इसके बावजूद अगर उसने खरीद ही ली तो खरीदना जायज़ है क्योंकि खरीदार ने उसे दलील शरई पर एतमाद करके खरीदा है उसके कब्ज़ा में होना, उसकी मिल्क की दलील है और उसके खिलाफ़ कोई बात पाई नहीं गई। (हिदाया)

मसला:- नजिस कपड़े को बेच सकता है मगर जब यह गुमान हो कि खरीदार उसमें नमाज़ पढ़ेगा तो उस पर ज़ाहिर कर दे कि यह नापाक कपड़ा है। (आलमगीरी)

मसला:- जितने में चीज़ ख़रीदी, बाइअ़ को उससे ज़्यादा कुछ दिया तो जब तक यह न कह दे कि यह ज़्यादती तुम्हारे लिए हलाल है या यह कि मैंने तुम्हें उसका मालिक कर दिया उस ज़्यादती को लेना जायज़ नहीं। (बहारे शरीअत)

मलसा:- अच्छे साफ़ गेहूं वग़ैरह में खाक धूल मिलाकर बेचना नाजायज़ है अगरचे वहां मिलाने की आदत हो (आलमगीरी) इसी तरह दूध में पानी मिला कर बेचना या दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों में ग़लत सलत चीज़ें ग़लत मलत कर देना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं कि यह धोका भी है नजायज़ भी और इन्सानी बिरादरी को नाहक ईज़ा देना भी। मुसलमानों पर लाज़िम है कि वह रिज़्क हलाल की तलब में रहे और खुदा पर भरोसा रखे।

Scanned by CamScanner

मसला:– अपनी ज़मीन का ग़ल्ला रोक लेना एहतकार नहीं। हां अगर यह शख़्स गिरानी या कहत का मुनतज़िर है तो बुरी नीयत की वजह से गुनाहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आम लोगों को ग़ल्ला की हाजत हो और ग़ल्ला दस्तियाब न होता हो तो क़ाज़ी (हाकिम इस्लाम) उसे भी बैअ़ करने पर मजबूर करेगा और यह हुक्म देगा कि अपने घर वालों के ख़र्च के क़ाबिल ग़ल्ला रख ले और बाक़ी फ़रोख़्त कर दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– ताजिरों ने अगर चीज़ों का नर्ख़ बहुत ज़्यादा कर दिया है और बग़ैर नर्ख़ मुकर्रर किये काम चलता नज़र न आता हो तो भले लोगों से मश्विरा ले कर क़ाज़ी नर्ख़ मुकर्रर कर सकता है और मुकर्रर शुदा नर्ख़ (कन्ट्रोल पिराईस) के मुताबिक़ जो बैअ़ हुई यह बैअ जायज़ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बैअ़ मकरूह (ज़बरदस्ती की ख़रीद व फ़रोख़्त) है। क्योंकि यहां बैअ़ पर इकराह नहीं। क़ाज़ी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया। उसे अख़्तियार है कि अपनी चीज़ बेचे या न बेचे। सिर्फ़ यह कहा है कि अगर बेचे तो जो नर्ख़ मुकर्रर हुआ है उससे गिरां न बेचे (हिदाया) फिर अवामुन्नास को नुक़सान व परेशानी से बचाने की सूरत अगर यह अख़्तियार न की जाये तो मुफ़ाद परस्त, बदन की खाल भी नोच डालें।

मसला:– छोटे बच्चे जिन की परवरिश में हों उनके लिए यह जायज़ है कि बच्चे के माल से उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ ख़रीद व फ़रोख़्त करें और उनके लिए खाने पीने वग़ैरह की ज़रूरियात मोहैया करें मगर इसका ख़्याल रखें कि फ़िज़ूल ख़र्ची न हो वरना उनकी गिरफ़्त होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

क़र्ज़ का बयान

बाज़ ज़रूरतें ऐसी दर पेश आ जाती हैं जिनको पूरा करने के लिए दूसरों से क़र्ज़ लेना पड़ता है। ज़रूरत अगर वाक़ई, ज़रूरत हो तो उसके लिए क़र्ज़ लेना भी और देना भी रवा। अहादीस में वारिद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने माल क़र्ज़ लिया और जब माल आया अदा फ़रमा दिया और दुआ दी कि अल्लाह तआला तेरे अहल व माल में बरकत दे और फ़रमाया क़र्ज़ का बदला शुक्रिया और अदा कर देना है। (नसई) बल्कि क़र्ज़ मांगने वाला अगर जायज़ ज़रूरत के लिए क़र्ज़ मांगता है तो उसकी ज़रूरत भर, उसे क़र्ज़ देना, मुस्तहब और कारे सवाब भी है कि तुम दूसरों के काम आओगी। खुदावन्द तआला तुम्हारी दस्तगीरी फ़रमायेगा और तुम्हारे काम बनायेगा। बल्कि क़र्ज़ लेने वाला अगर अदा में टाल मटोल करे तब भी उसके हक़ में बेहतर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जिसका दूसरे पर हक़ हो और वह अदा करने में ताखीर करे तो देने वाला हर रोज़ इतने ही माल सदक़ा करने का सवाब पायेगा। (इमाम अहमद) उसके साथ यह ज़रूर है कि जिस से क़र्ज़ लो, अदा करने की नीयत से लो। वक़्त पर अदा न कर सको तो नर्मी और खुश अख़्लाक़ी से माअज़रत कर लो, ख़्वाह मख़ाह टाल मटोल न करो। वरना मुफ़्त का गुनाह, नामा-ए आमाल में लिखा जायेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि कबीरा गुनाह जिन से अल्लाह तआला ने मुमानिअत फ़रमाई है, उनके बाद अल्लाह के नज़दीक, सब गुनाहों से बड़ा यह है कि आदमी अपने ऊपर दैन छोड़ कर मरे और उसके

Scanned by CamScanner

अदा के लिए कुछ न छोड़ा हो। (इमाम अहमद)

अबूदाऊद व नसई में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया मालदार का दैन अदा करने में ताख़ीर करना उसकी आबरू और सज़ा को हलाल कर देता है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि आबरू को हलाल करना यह है कि उस पर सख़्ती की जायेगी और सज़ा का हलाल करना यह है कि क़ैद किया जायेगा।

दूसरी तरफ़ तंग दस्त को मोहलत देने, उसे माफ़ करने और ख़ुश अख़्लाक़ी से तक़ाज़ा करने वालों की अहादीस में बड़ी तारीफ़ आई और फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस को यह बात पसन्द हो कि क़ियामत की सख़्तियों से अल्लाह तआला उसे नजात बख़्शे वह तंगदस्त को मोहलत दे या माफ़ कर दे'' एक हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स तंगदस्त को मोहलत देगा या उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह तआला उसको अपने साया में रखेगा। (मुस्लिम)

मसला:– अब क़र्ज़ा से मुताल्लिक़ कुछ मसायल भी सुन लो ताकि लेन देन भी शरई और इस्लामी अहकाम की हदूद में रहे।

मसला:– जो चीज़ क़र्ज़ ली जाये या दी जाये उस का मुसली होना ज़रूरी है। यानी वह चीज़ माप की हो या तोल की या गिनती की। मगर गिनती की चीज़ में शर्त यह है कि उसके अफ़राद में ज़्यादा फ़र्क़ न हो जैसे अण्डे, अख़रोट, बादाम वग़ैरह। और अगर गिनती की चीज़ में इतना फ़र्क़ हो कि उसकी वजह से क़ीमत में कमी बेशी हो जैसे आम अमरूद, मौसमी, और ऐसी ही दूसरी चीज़, उनको न क़र्ज़ दे सकते हैं न ले सकते हैं। यूंही हर क़ीमती चीज़ जैसे जानवर

Scanned by CamScanner

मकान ज़मीन उनको क़र्ज़ देना लेना सही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- क़र्ज़ का हुक्म यह है कि जो चीज़ ली गई उसकी मिस्ल अदा की जाये। (रददुलमुहतार)

मसला:- रोटियों को गिन कर भी क़र्ज़ ले सकते हैं और तौल कर भी। और गोशत वज़न करके क़र्ज़ लिया दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- आटे को नाप कर क़र्ज़ लेना देना चाहिए और अगर उर्फ़ और मामूल, वज़न से क़र्ज़ लेने का हो जैसा कि अमूमन उन इलाक़ों में मुरव्विज है तो वज़न से भी क़र्ज़ जायज़ है। (आलमगीरी) यही हुक्म दाल, चावल, चीनी शकर, घी, तेल, वग़ैरह अशया का होना चाहिए।

मसला:- पैसे (या नोट और ऐसे ही तांबे पीतल वग़ैरह के सिक्के जो अदलते बदलते रहते हैं) क़र्ज़ लिये थे और अब उनका चलन जाता रहा तो वैसे ही पैसे (नोट वग़ैरह) उसी तादाद में दे देने से क़र्ज़ अदा न होगा बल्कि उनकी कीमत का एतबार है मसलन आठ आने के पैसे (या दस बीस पच्चीस, सौ के नोट) क़र्ज़ लिये थे तो चलन बन्द हो जाने के बाद अठन्नी या दूसरा सिक्का उस किमत का देना होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- अदाये क़र्ज़ में चीज़ के सस्ते महंगे होने का एतबार नहीं। मसलन दस सेर गेहूं क़र्ज़ लिये थे उनकी कीमत उस रोज़ कुछ और थी और अदा करने के दिन उससे कम या ज़्यादा है तो उसका बिल्कुल लिहाज़ न किया जायेगा। वही दस सेर गेहूं देने होंगे। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर दोनों कीमत लेने देने पर राज़ी हो जायें तो उस रोज़ अदायगी की कीमत अदा कर दी जाये।

Scanned by CamScanner

मसला:– कर्ज़दार ने कर्ज़ की चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया तो उस चीज़ का मालिक हो गया। फ़र्ज़ करो कि एक चीज़ कर्ज़ ली थी और अभी खर्च नहीं की है कि अपनी आ गई। मसलन रुपया कर्ज़ लिया था और रुपया आ गया या आटा कर्ज़ लिया, पकने से पहले आटा पिस कर आ गया अब कर्ज़दार को अख़्तियार है कि उसकी चीज़ रहने दे और अपनी चीज़ अदा कर दे। या उसकी ही चीज़ वापस कर दे जिसने कर्ज़ दिया है वह नहीं कह सकता कि मैंने जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास मौजूद है मैं वही लूंगा। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसला:– वापसी कर्ज़ में उस चीज़ की मिसाल देनी होगी जो ली है न उससे बेहतर और न कमतर। हां अगर बेहतर अदा करता है और उसकी शर्त न थी तो जायज़ है। कर्ज़ ख़्वाह उसको ले सकता है। यूंही जितना लिया है अदा करते वक़्त उससे ज़्यादा देता है मगर उसकी शर्त न थी यह भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– कर्ज़ दिया और ठहरा लिया कि जितना दिया है उससे ज़्यादा लेगा जैसा कि आजकल सूद खोरों का क़ायदा है कि रुपया दो रुपया सैंकड़ा, माहवार सूद ठहरा लेते हैं यह हराम है। (आलमगीरी)

मसला:– जिस पर कर्ज़ है उसने कर्ज़ देने वाले को कुछ हदिया दिया तो लेने में हरज नहीं जबकि हदिया देना कर्ज़ की वजह से न हो बल्कि उस वजह से हो कि दोनों में कराबत या दोस्ती है या उसकी आदत ही ऐसी है कि लोगों को हदिया किया करता है। और अगर कर्ज़ की वजह से हदिया देता है तो उसके लेने से बचना चाहिए। जब तक यह बात ज़ाहिर न हो जाये कि कर्ज़ की वजह से नहीं है

Scanned by CamScanner

उसकी दावत का भी यही हुक्म है कि कर्ज़ की वजह से न हो तो कुबूल करने में हरज नहीं और कर्ज़ की वजह से है या पता न चले तो बचना चाहिए।

इसको यूं समझना चाहिए कि कर्ज़ नहीं दिया था जब भी वह दावत करता था तो मालूम हुआ कि यह दावत कर्ज़ की वजह से नहीं और अगर पहले नहीं करता था और अब करता है या पहले महीने में एक बार करता था अब दो बार करने लगा। या अब सामान ज़ियाफ़त ज़्यादा करता है तो मालूम हुआ कि यह कर्ज़ की वजह से है। लिहाज़ा उससे बचना ही चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:- एक ने दूसरे से कहा कि मुझे इतना रुपया कर्ज़ दो, मैं अपनी ज़मीन तुम्हें आरियतन देता हूं जब तक मैं रुपया अदा न करूं तुम उसकी काश्त करो और नफ़ा उठाओ यह ममनूअ है। (आलमगीरी) यूंही मशीन वग़ैरह कोई चीज़ आरियतन के नाम से देना और कर्ज़ लेना कि कर्ज़ देने वाला उससे काम लेता और नफ़ा उठाता रहे ममनूअ है।

मसला:- आजकल सूद ख़ोरों का आम तरीका यह है कि कर्ज दे कर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है तो उसमें मुरतहिन (रहन रखने वाला) सकूनत करता या उसको किराए पर चलाता है। और खेत है तो उसकी खुद काश्त करता है या इजारा पर दे देता है और नफ़ा खुद खाता है यह सूद है और इससे बचना लाज़िम है। (बहारे शरीअत)

ज़रूरी फ़हमाइश

जो दीन व दुनिया दोनों में मुफ़ीद व कारआमद है।

शरीअते मुतहहरा ने जिस तरह सूद लेना हराम फरमाया सूद देना भी हराम किया है। हदीसों में दोनों पर लानत फ़रमाई है और फरमाया है कि दोनों बराबर हैं।

आज कल सूद की इतनी कसरत है कि कर्ज़ हसन जो बग़ैर सूदी होता है बहुत कम पाया जाता है। दौलत वाले किसी को बग़ैर नफ़ा रुपया देना नहीं चाहते और अहले हाजत अपनी हाजत के सामने उसका लिहाज़ भी नहीं करते कि सूदी रुपया लेने में आख़िरत का कितना अज़ीम वबाल है। इससे बचने की कोशिश की जाये।

लड़के लड़की की शादी ख़त्ना और दीगर तकरीबात शादी व ग़मी में अपनी वुस्अत से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। बिरादरी और खानदान के रसूम में इतने जकड़े हुए हैं कि हर चन्द कहिए एक नहीं सुनते। रसूम में कमी करने को अपनी ज़िल्लत समझते हैं हम अपने मुसलमान भाईयों को अव्वलन यही नसीहत करते हैं कि इन रसूम के जंजाल से निकलें पावं न फैलायें और दुनिया व आख़िरत के तबाह कुन नताइज से डरें। थोड़ी देर की मुसर्रत या अबनाये जिन्स में नाम आवरी का ख्याल करके आइन्दा ज़िन्दगी को तल्ख़ न करें।

अगर यह लोग अपनी हट से बाज़ न आयें। कर्ज़ का बारे गिरां अपने सर ही रखना चाहते हैं बचने की सई नहीं करते जैसा कि मुशाहिदा उसी पर शाहिद है तो अब हमारी दूसरी फ़हमाईश उन मुसलमानों को यह है कि सूदी कर्ज़ के करीब न जायें कि बनस्से कुरआनी उस में बरकत नहीं और मुशाहिदे व तजरबे भी यही हैं कि बड़ी बड़ी जायदाद सूद में तबाह हो चुकी हैं।

अब रही यह बात कि अगर कर्ज़ सूद पर न लिया जाये तो बग़ैर

Scanned by CamScanner

सूद, कर्ज़ कौन देगा तो अव्वलन उसका जवाब वही है जो ऊपर गुज़रा कि खानदानी रसूम और बिरादरी के मामूलात को न देखें दुनिया व आख़िरत के वबाल को देखें। अज़ाबे दोज़ख के वह चहके कौन बर्दाश्त कर सकता है जो बिला वजह सूद पर क़र्ज़ लेने वालों के मुन्तज़िर हैं। हमने खुद देखा है कि ऐसे मौक़ों पर ग़रीब आदमी ने खुल कर खानदान के बा असर बुजुर्गों से कह दिया कि मैं उन रसूम पर अमल करने की ताक़त नहीं रखता। बुजुर्गों ने मान लिया और दूसरों को समझा दिया और खानदान वालो ने ख़ूबसूरती से निभा दिया। उस की इज़्ज़त भी रह गयी और वबाले आख़िरत से भी बच गया।

सानियन हमारे उलेमा-ए किराम ने चन्द सूरतें ऐसी तहरीर फ़रमाई हैं कि उन तरीक़ों पर अमल किया जाये तो सूद की नजासत व नहूसत से पनाह मिलती है और क़र्ज़ देने वाला जिस नाजायज़ नफ़ा का ख़्वाहिशमन्द था उसके लिए जायज़ तरीक़ा पर नफ़ा हासिल हो सकता हैं सिर्फ लेन देन की सूरत में कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा। मगर नाजायज़ व हराम से बचाव हो जायेगा। (बहारे शरीअत वग़ैरह) तफसील के लिए फतावा रिज़वियह या बहारे शरीअत पृ. ११ देखें या उलमा-ए अहले सुन्नत से रुजूअ करें।

मुतफ़र्रिक़ात (मसाईल)

याददाशत के लिए यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमर बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरह पर डोरा बांध लेते हैं यह जायज़ है और बिला वजह डोरा बांधना मकरूह है। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार)

Scanned by CamScanner

मसला:- बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पावं के अंगूठों में इस क़द्र खींच कर तागा बांध देते हैं कि वुज़ू या गुस्ल करते वक़्त पानी का बहना दरकिनार, तागे के नीचे का हिस्सा तर भी नहीं होता। उससे बचना लाज़िम है कि इस सूरत में वुज़ू नहीं होता और गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल नहीं उतरता और ज़ाहिर है कि उस बराए नाम वुज़ू या गुस्ल से जो नमाज़ पढ़ी जायेगी वह नमाज़ न होगी कि नमाज़ के लिए तहारत शर्त है और यह हासिल न हुई। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- गले में तावीज़ लटकाना, जायज़ है। जबकि वह तावीज़ जायज़ हो यानी आयात कुरआनिया या अल्लाह के नामों या उन दुआओं या तहरीरों पर मुशतमिल हों जो बुज़ुरगाने दीन से मासूर व मंकूल हैं या किसी इस्म का नक़्श मुतहर या मुज़हर (हिन्दसों में) लिखा जाये और अगर उस तावीज़ में नाजायज़ अल्फ़ाज़ लिखे हों या शिर्क व कुफ्र के अल्फ़ाज़ पर मुशतमिल हों या तावीज़ देने वाला काबिले एतबार आदमी नहीं, हलाल हराम और जायज़ व नाजायज़ में इम्तियाज़ नहीं रखता तो ऐसा तावीज़ लिखना भी नाजायज़ है और उसका लेना और बांधना भी नाजायज़ और गुनाह है। औरतें कि बाज़ औक़ात तावीज़ गन्डों के लिए मारी मारी फिरती हैं और ग़लत जगह पर पहुंच जाती हैं इन बातों का खास ख्याल रखें वरना फ़ायदा दरकिनार, उल्टा नुक़्सान उठायेंगी और ख़्वा मख़ाह गुनाह में पड़ेंगी।

मसला:- रेशम के कपड़े में तावीज़ सी कर गले में लटकाना या बाज़ू पर बांधना मर्द के लिए नाजायज़ है और सोने या चांदी पर तावीज़ खुदा हुआ हो तो यह बदरजा औला नाजायज़ है। (बहारे शरीअत)

Scanned by CamScanner

सोने चान्दी पर खुदे हुए तावीज़ात और नकूश को कपड़े में सी कर इस्तेमाल किया जाये तो अब मुमानिअत की कोई वजह नहीं।

मसला:– बाज़ अहादीस में तावीज़ों के इस्तेमाल से मुमानिअत आई है उस से मुराद वह तावीज़ात हैं जो नाजायज़ अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हों और जो ज़माना जाहिलियत में किये जाते थे।

मसला:– वह तावीज़ात और आयात व अहादीस या दुआयें जो बुजुर्गाने दीन के मामूलात में रहें, रकाबी में लिख कर मरीज़ को ब नीयत शिफ़ा पिलाना भी जायज़ है। जुन्ब और हैज़ व निफ़ास वाली औरतें भी तावीज़ात को गले में पहन सकती हैं। यूंही मर्द भी बल्कि मर्दों में अमूमन तावीज़ बाजू पर भी बांध सकते हैं जबकि तावीज़ात ग़िलाफ़ में हों। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– तावीज़ अगर ग़िलाफ़ में हो या मोम जामा में हो तो उसे पहन कर बैतुलख़ला में जाना मकरूह नहीं फिर भी उससे बचना अफ़ज़ल है और जिस अंगुश्तरी पर कोई मुतबरक नाम लिख़ा हो उसे पहन कर बैतुलखला में जाना मकरूह है और वक़्त इस्तिंजा उसका उतार लेना बहुत ज़रूरी है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– किसी को सांप या बिच्छू ने काटा हो उसके झाड़ने की उजरत लेना, जायज़ है। अगरचे कुरआन मजीद ही की आयत या सूरत पढ़ कर झाड़ना हो कि यह उजरत पर तिलावत नहीं। बल्कि इलाज के कबील से है। हदीस शरीफ़ में एक सहाबी का सूर: फ़ातिहा पढ़ कर दम करना और उसका अच्छा हो जाना, और उनका पहले ही से उजरत मुकर्रर कर लेना और उसके अच्छा होने के बाद लेना, फिर हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के पास मामला पेश होना और हुज़ूर का इन्कार न फ़रमाना बल्कि जायज़ रखना

Scanned by CamScanner

उसके जायज़ होने की सरीह दलील है। (रद्दुलमुहतार) और जब लेना जायज़ तो देना जायज़। यूंही तावीज़ों, गन्डों और नकूश का मुआवज़ा लेना भी जायज़।

मसला:- बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना, नाजायज़ है। यह इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो। अगरचे अलग अलग हरुफ़ लिखे हों। क्योंकि हरुफ़ मुफ़रद (हरुफ़ तहज्जी) का भी एहतराम है। (रद्दुलमुहतार) अक्सर दस्तरख़्वानों पर जो अमूमन बड़ी दावतों में इस्तेमाल किये जाते हैं उर्दू या फ़ारसी में अशआर लिखे होते हैं। ऐसे दस्तरख़्वान को इस्तेमाल में लाना इन पर खाना खाना न चाहिए। हम ने माना कि खाना उतारने वाले खाना उतारते वक़्त एहतियात से पावं रखेंगे और लिखी हुई जगह बचालेंगे। लेकिन कहां तक फिर उस पर रोटी, सालन, डोंगे, डिशें, प्लेटें वग़ैरह तो रखने ही पड़ेंगे तो उन हरुफ़ की ताज़ीम कहां रही। लिहाज़ा उनसे दूर रहना ही ठीक है। यूंही बाज़ लोगों के तकियों पर इशक़िया या दुआइया अशआर लिखे होते हैं। उनका भी यही हुक्म है कि इस्तेमाल न किया जाये कि हरुफ़ तहज्जी की बे अदबी पाई जाती है। और बाज़ जगह चादरों पर भी अशआर लिखे पाये जाते हैं। ऐसी चादरों का इस्तेमाल में लाना और भी ज़्यादा बुरा और ममनूअ कि उन पर आदमी का पैर भी पड़ेगा। (बहारे शरीअत)

मसला:- किसी से वायदा करके, उसके ख़िलाफ़ करना शरअन बहुत बुरा और बिला वजह शरई हो तो उसे निफ़ाक़ अमली की अलामत क़रार दिया गया है लेकिन वायदा पूरा करने में कोई शरई क़बाहत थी उस वजह से पूरा नहीं किया तो उसको वायदा खिलाफी

नहीं कहा जायेगा और वायदा खिलाफ़ी का जो वबाल व गुनाह है वह इस सूरत में उस पर न आयेगा। अगरचे वायदा करते वक़्त उसने इसतश्ना (इन्शाअल्लाह तआला या कोई और कलिमा कहना) न किया हो क्योंकि यहां शरीअत की तरफ़ से इसतश्ना मौजूद है उसको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। मसलन तुमने अपनी किसी सहेली से वायदा किया था कि मैं फ़लां जगह मसलन अपने मां बाप या भाई या चचा ताया के घर मिलूंगी और वहां तुम्हारा इन्तिज़ार करूंगी मगर जब वहां गई तो देखा कि नाच रंग, ढोल तमाशे की महफ़िल जमी हुई है या घर वाले ऐसे ही दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं जो शरअन जायज़ नहीं। इसलिए तुम वहां से चली आईं तो यह वायदा खिलाफ़ी नहीं और न कोई तुम पर वायदा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम दे सकता है कि शरीअत ऐसे मक़ामात से दूर भागने का हुक्म देती है न कि वहां शिर्कत करने और ऐसी महफ़िलों की रौनक़ बढ़ाने का। (तहावी शरीफ़ वग़ैरह)

मसला:- बाज़ काशतकार अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर, किसी लकड़ी पर लगा देते हैं और उससे मक़सूद, नज़र बद से खेतियों को बचाना होता है। क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले उस पर पड़ेगी उसके बाद खेती पर, और इस सूरत में नज़र नहीं लगेगी। ऐसा करना, नाजायज़ नहीं क्योंकि नज़र का लगना सही है अहादीस से साबित है उसका इन्कार नहीं किया जा सकता। हदीस शरीफ़ में है कि जब अपनी या मुसलमान भाई की कोई चीज़ देखे और पसन्द आ जाये तो बरकत की दुआ करे यह कहे تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ या उर्दू में कह दे कि अल्लाह बरकत करे और अल्लाह नज़र बद से बचाये या माशाअल्लाह वग़ैरह

Scanned by CamScanner

कलिमात तैयबा ज़बान से अदा करे। उम्मीद है कि इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह) बच्चों को नहला धुला कर कपड़े पहनायें तो उनकी हिफ़ाज़त के लिए यह कलिमा ज़रूर कह दें। इन्शाअल्लाह बच्चे नज़र बद से महफ़ूज़ रहेंगे।

मसला:- हिन्दुओं या नसरानियों के इस्तेमाली बर्तन अगर ख़रीदे या किसी तरह से मिलें उनमें पाक किये बग़ैर खाना पीना मकरूह है। जबकि बर्तन का नजस होना मालूम न हो और मालूम हो तो उसमें खाना पीना हराम है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- राफ़ज़ी के यहां कुछ खाना पीना हरगिज़ न चाहिए कि वह अहले सुन्नत को क़सदन नजासत खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं (फ़्तावा रिज़वियह) तो अवामुन्नास में जो मशहूर है कि राफ़ज़ी ऐसा करते हैं वह बेअसल नहीं।

मसला:- अजीब व ग़रीब क़िस्से कहानी तफ़रीह के तौर पर सुनना सुनाना जायज़ है बल्कि जो यक़ीनन झूठ हों उनको भी सुना जा सकता है जबकि मक़सूद उनसे नसीहत हो कि सुनने वाले उनसे इबरत पकड़ें और नसीहत हासिल करें जैसा कि मसनवी शरीफ़ वग़ैरह में बहुत से फ़र्ज़ी किस्से कहानियां, वाअज़ व नसीहत के लिए दर्ज किये गए हैं। इसी तरह तोता मैना, शेर लौमड़ी, कछवा खरगोश और दूसरे जानवरों बल्कि कंकर पत्थर वग़ैरह की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना और सुनना भी जायज़ है। मसलन गुल्सितां में हज़रत शैख़ सादी अलैहि रहिम० ने लिखा 'गिले खुशबू दरहमाम रोज़े'' कि मक़सूद उस कहानी से बुरी सोहबत से बचाना और नेक सोहबत में रहने की तरग़ीब देना है। वरना कहां मिट्टी और कहां यह सवाल जवाब। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:– हंसी मज़ाक़ में अगर बेहूदा बातें, गाली, गलोज, और किसी मुसलमान की ईज़ा रसानी न हो महज़ पुर लुत्फ़ और दिल ख़ुश कुन बातें हों जिनसे अहले मजलिस को हंसी आए और ख़ुश हों उसमें हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान अफ़्ज़ल है। हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की यही ज़बान है। कुरआन मजीद अरबी में नाज़िल हुआ अहले जन्नत की, जन्नत में अरबी ही ज़बान होगी जो इस ज़बान को ख़ुद सीखे या दूसरों को सिखाये उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

यह जो कहा गया सिर्फ़ ज़बान के लिहाज़ से कहा गया वरना एक मुसलमान को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि अरबी ज़बान का जानना मुसलमान के लिए किस क़द्र ज़रूरी है। कुरआन व हदीस और दीन के तमाम उसूल व फ़रोअ उसी ज़बान में हैं उस ज़बान से नावाक़िफ़ी कितनी कमी और नुक़्सान की चीज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:– ख़ुतबा जुमा में उर्दू के अशआर जो वाज़ व नसीहत पर मुशतमिल होते हैं पढ़े जाते हैं यह अम्र उस सुन्नत के ख़िलाफ़ है जो मुसलमानों में सहाबा किराम के दौर से लेकर आज तक राइज है। सहाबा किराम रज़ि० के दौर में बेहम्दुलिल्लाह हज़ारों शहरों अजमीयों (ग़ैर अरब) के फ़तह हुए हज़ार हा मिम्बर नसब किये गये। हज़ारों अजमी को हुनूज़ ज़बान अरबी से वाक़िफ़ न थे, मस्जिदों में मौजूद होते मगर कहीं मंक़ूल नहीं कि सहाबा किराम ने उनकी ग़र्ज़ से ख़ुतबा ग़ैर अरबी में पढ़ा हो या उसमें दूसरी ज़बान को ख़ल्त कर दिया तो फिर अब क्यों ऐसा हो। और अवाम का उज़्र कि अरबी

Scanned by CamScanner

हमारी समझ में नहीं आती जब सहाबा किराम के नज़दीक लाइके लिहाज़ न था अब क्यों काबिले कुबूल होने लगा। बात यह है कि शरीअत मुतहहरा ने इल्म सीखना सब पर वाजिब किया है। अवाम कि नहीं समझते या नहीं सीखते तो कसूर उनका है, न कि इमाम व खतीब का। आखिर अवाम कुरआन मजीद भी तो नहीं समझते। क्या उनके लिए कुरआन, उर्दू में पढ़ा जाये। (फतावा रिज़वियह) ग़र्ज़ यहां के मुसलमान मर्द व औरत पर लाज़िम है कि अरबी ज़बान पढ़ें और सीखें।

मसला:– औरत रुखसत होकर आई और औरतों ने दुल्हा से कह दिया कि यह औरत तुम्हारी दुल्हन है उससे वती करना जायज़ है अगरचे यह खुद उसे न पहचानता हो। (दुर्रे मुख्तार) इसी तरह औरतों ने शबे ज़फ़ाफ़ (शौहर और बीवी की यकजाई की पहली रात) में उस कमरा में जिस में औरत को दुल्हन बना कर भेज दिया अगरचे यह नहीं कहा कि यह तुम्हारी औरत है उससे सोहबत जायज़ है कि उसको यूं संवार कर और दुल्हन की सूरत में मर्द के कमरा में पहुंचाना ही इसकी दलील है कि यह उसकी दुल्हन है। दूसरी किसी औरत को इस तरह कहीं नहीं भेजा जाता। (बहारे शरीअत)

मसला:– लड़की ने मां बाप के माल और अपनी दस्तकारी से कोई चीज़ दहेज के लिए तैयार की और उसकी मां मर गई बाप ने वह चीज़ दहेज में दे दी तो उसके भाईयों को यह हक नहीं पहुंचता कि उस चीज़ में मां की तरफ से वारिस का दावा करें। यूंही उसका बाप जो कपड़े लाता रहा उसमें से यह अपने दहेज के लिए बनाकर रखती रही, और बहुत कुछ जमा कर लिया कि बाप मर गया तो यह असबाब सब लड़की का है। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

मसला:- माज़ल्लाह, जो बात हौलनाक हो जैसे सख़्त आंधी, कड़क, ज़लज़ला, बारिश या बर्फ लगातार बरसे जाना, दिन में सख़्त अंधेरी, या रात को खौफनाक रोशनी इन सब में मुस्तहब है कि मुसलमान औरत नफिल नमाज़ से अपने रब की तरफ रूजू करें। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- जब दुल्हन को ब्याह कर लायें तो मुस्तहब है कि उसके पावं धोकर पानी मकान के चारों गोशों में छिड़कें उससे बरकत होती है। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- औरत का ज़ोजा होना इस बात को लाज़िम नहीं करता है कि शौहर को हर हाल में उससे मुहब्बत जायज़ हो। नमाज़ है रोज़ा है एहराम है एताकाफ है हैज़ है, निफास है और बहुत सूरतें हैं कि उनमें मनकूहा से भी सोहबत हराम है। मसलन वक़्त ऐसा है कि जिमाअ के बाद गुस्ल करके नमाज़ का वक़्त न मिलेगा तो ऐसी सूरत में जिमाअ हराम है कि जान बूझ कर नमाज़ को फ़ोत करना है। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- बेटा बाप के काम में उसे मदद देता है। दोनों के काम से माल बढ़ा तो तमाम माल का मालिक सिर्फ बाप है। बेटा फक्त मददगार समझा जायेगा। यूंही अगर ज़न व मर्द में काम मर्द का है और औरत मदद देती है तो माल का हिस्सादार न ठहरेगी। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- बाप के इन्तकाल के बाद सब भाई तर्के में मिल कर काम करते रहे और माल बढ़ा तो सब का बराबर है। अगरचे बाज़ ने काम कम किया हो बाज़ ने ज़्यादा बाज़ ने तदबीरें अच्छी बताई हों जिनसे नफ़ा हो बाज़ ने नहीं। (फतावा रिज़वियह)

Scanned by CamScanner

मसला:– खाने पीने की चीज़ जो बच्चों का नाम करके भेजते हैं उनमें से मां बाप खा सकते हैं कि असल मकसूद मां बाप को भेजना होता है और चीज़ थोड़ी समझ कर बच्चों का नाम लिया जाता है। हां अगर मालूम हो कि देने वाले ने वाकई बच्चों ही को दी है। मां बाप को देना मकसूद नहीं कि उसमें से खाना हराम है मगर यह कि मोहताज हों। (बहरुर्राइक वग़ैरह)

मसला:– लड़का बारह और लड़की नौ बरस से कम उम्र तक हरगिज़ बालिग़ व बालिग़ा न होंगे और लड़का लड़की दोनों १५ बरस कामिल की उम्र पर ज़रूर शरअन बालिग़ व बालिग़ा हैं अगरचे आसार बलूग़ कुछ जाहिर न हों उन उम्रों के अन्दर अगर आसार पाये जायें यानी लड़के ख्वाह लड़की को, सोते ख्वाह जागते में, इन्ज़ाल हो या लड़की को हैज़ आये या लड़की को हमल रह जाये तो यक़ीनन बालिग़ व बालिग़ा हैं। आसार मज़कूरा के अलावा बग़ल या पिन्डली या पैरों पर बालों का जमना, या लड़के के दाढ़ी मूंछ निकलना, या लड़की के पिसतान में उभार पैदा होना कुछ मोतबर नहीं। (फ़तावा रिज़वियह, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

इस मसलक को खूब ज़ेहन नशीन कर लें। बीसियों मौकों पर रहनुमाई का आला ज़रिया है।

मसला:– झूठ और ग़ीबत माअनवी निजासत हैं। लिहाज़ा झूठे के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि हिफ़ाज़त के फ़रिशते उस वक़्त उसके पास से दूर हट जाते हैं जैसा कि हदीस में वारिद है कि जब कोई शख़्स झूठ बोलता है उसकी बदबू के बाअस फ़रिशते एक मील मुसाफ़त तक उससे दूर होजाते हैं एक और हदीस में एक बदबू की निसबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ख़बर

Scanned by CamScanner

दी कि यह उनके मुंह की सरान्ड है जो मुसलमानों की ग़ीबत करते हैं।

और हमें जो झूठ या ग़ीबत की बदबू महसूस नहीं होती उसकी वजह यह है कि हम उससे मालूफ़ व मानूस हो गये हैं। हमारी नाकें उससे भरी हुई हैं जैसा कि चमड़ा पकाने वालों के मोहल्ले में जो रहता है उसे उसकी बदबू से ईज़ा नहीं होती। दूसरा आये तो उससे नाक न रखी जाए।

मुसलमान इस बात को याद रखें और अपने रब से डरें झूठ और ग़ीबत तर्क करें। मआज़ अल्लाह मुंह से पाखाना निकलना किसी को पसन्द होगा। बातिन की नाक खुले तो मालूम हो कि झूठ और ग़ीबत में पाखाना से बदतर सड़ांद है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– शराब ख़ोर की मूंछें बड़ी–बड़ी हों कि शराब मूंछ को लग गई तो जब तक मूंछ धुल कर पाक न हो जाये पानी वग़ैरह जिस चीज़ को लगेगी नापाक कर देगी और वह चीज़ जिस को उसने पिया जिस बर्तन में होगी वह बर्तन भी नापाक हो जायेगा। (फ़तावा रिज़वियह)

दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सहेलियां जिन में आपस में बे तकल्लुफ़ी हो वह एक दूसरे के माल में ऐसा तसर्रुफ़ कर सकते हैं जो दूसरे को नागवार न हो। यूंही उसके नौकर नौकरानी से इतना काम बे उनकी इजाज़त के लेना जो उन्हें गवारा हो जायज़ है। और अगर इतना न हो तो बग़ैर इजाज़त न एक दूसरे के माल को इस्तेमाल करें न ख़िदमतगार से काम लें। और दूसरे छोटे बच्चे से सहल मामूली काम लेना मसलन फ़लां को बुला दो या यह बात कह आओ इस क़द्र में कोई हर्ज नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

Scanned by CamScanner

मसला:- बिला वजह शरई वह बात न कही जाये जो सुनने से बुरी मालूम हो। उज़्र की हाजत पड़े और मुसलमानों को नफ़रत दिलाये। यूंही बिला वजह शरई वह बात करनी मकरूह है जिससे उसकी ग़ीबत का दरवाज़ा खुले। हदीस शरीफ में तोहमत की जगह खड़े होने से भी मुमानिअत आई है। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:- मां बाप, दादा दादी अपने बच्चे से काम ले सकते हैं या तो यूं कि वह मोहताज हैं नौकर रखने की ताक़त नहीं रखते या बच्चे को अदब देने काम सिखाने और काम की आदत डालने के लिए। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- आज़ाद औरत को हराम है कि किसी नामहरम मर्द के बदन को हाथ लगाए अगरचे हाथ या पावं को और मर्द पर हराम है कि उसे उसकी इजाज़त दे यहां से मशाइख़ ज़माना कि उनकी जवान मुरीदात, उनके क़दम चूम लेतीं। उनके हाथों को बोसा देतीं, आंखों से लगाती हैं। उन पर फ़र्ज़ है कि उन्हें उन हरकात से सख़्ती से रोक दें।

यूंही आज़ाद औरत के मुंह की तरफ़ टकली, जिस में कान या गले या बालों का कोई ज़र्रा दाख़िल नहीं और हथेलियां और तलवे देखना अगरचे हराम नहीं मगर उसके उन मवाज़ेह का भी छूना मतलक़न हराम है। व लिहाज़ा शेख़ (पीर) को हराम है कि अजनबी औरत का हाथ पकड़ कर बैत ले। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- खड़िया मिट्टी या मुलतानी मिट्टी या तीन खरासानी या कोई और सोन्धी मिट्टी खुशबूदार खुश ज़ायक़ा कि हामिला औरतें उसे खाती हैं। अतिब्बा के नज़दीक सख़्त नुक़्सानदेह और शरअन उसका खाना हराम है। यूंही चूल्हे की भट और तनूर का पेट हां खाक

Scanned by CamScanner

शिफा शरीफ से तबर्रुक कदरे चख लेना जायज़ है। जैसे पान में चूना यही हुक्म सीप के चूने का है कि हराम बल्कि जिस पान पर वह चूना लगा हो उसका खाना हराम है। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- बिला ज़रूरत दवा, मुंह पर कोई ऐसी चीज़ सानना जिससे सूरत बिगड़े नाजायज़ व गुनाह है। बाज़ नौजवान, जो आपस में कीचड़ से खेलते हैं एक दूसरे के मुंह पर कीचड़ मलते हैं या हंसी मज़ाक में सोते-जागते किसी के मुंह पर कालिक लगाते हैं यह सब हराम है नौजवान औरतें और सहेलियां भी शादी ब्याह के मौकों पर ऐसी ही हरकतें करती हैं यह सब हराम है। ऐसी हरकतों से बचना ज़रूरी व लाज़िम है। (फतावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:- जिसके किसी पर मसलन सौ रुपये आते हों कि उसने दबाए या किसी और वजह से हुए और उससे रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो सौ रुपया की मिक्दार तक मकसूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आलिमे बा अमल और बा शरअ पीर का झूठा कि लोग उसे तबर्रुक समझ कर खाते पीते हैं उसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:- अगर जान माल आबरू का अन्देशा हो उनके बचाने के लिए रिशवत देता है। या किसी के ज़िम्मा अपना हक है जो बग़ैर रिशवत दिये वसूल नहीं होगा और यह इसलिए रिशवत देता है कि मेरा हक वसूल हो जाये। यह देना जायज़ है यानी देने वाला गुनाहगार नहीं। ज़बान दराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़ लुच्चे शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली दे देना या बेआबरू कर देना उसके नज़दीक मामूली बात है ऐसों को इसलिए कुछ दे देना ताकि ऐसी हरकतें न करें, जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार) हिजड़े, ज़नखे गवैये, शादी

ब्याह, खत्ना अक़ीक़ा बिलख़सूस लड़के की पैदाइश के मौक़ा पर आ धमकते हैं उन्हें कुछ न कुछ दे कर टाल देना चाहिए। वह बला लिये टलेंगे नहीं। और जब तक रहें ज़बान दराज़ी करते रहेंगे तो ऐसी बला को टाल देना ही आफ़ियत है।

मसला:– मां बाप दादा दादी जिनकी यह औलाद में हैं। उनमें से किसी का नाम ले कर पुकारना ममनूअ व मकरूह है और ख़िलाफ़े अदब भी है और महरूमी व बे बरकती का मोजब भी। यूंही औरत के लिए यह बात मकरूह है कि वह शौहर का नाम ले कर पुकारे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) बाज़ जाहिलों में यह बात मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम लेगी तो निकाह टूट जाता है। यह ग़लत है शायद इसलिए घड़ा हो कि इस डर से तलाक़ हो जायेगी शौहर का नाम न लेगी। (बहारे शरीअत)

मसला:– मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ मांगना मकरूह है जबकि किसी दुनियावी तकलीफ़ की वजह से हो मसलन तंगी से बसर औक़ात होती है। या दुश्मन का अन्देशा है। माल जाने का ख़ौफ़ है और अगर यह बातें न हों बल्कि लोगों की हालतें ख़राब हो गईं मासीयत में मुबतला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जायेगी तो आरज़ू मौत मकरूह नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– ज़लज़ला के वक़्त मकान से निकल कर बाहर आ जाना जायज़ है। इसी तरह अगर दीवार झुकी हुई है गिरना चाहती है तो उसके पास से भागना जायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:– ताऊन जहां हो वहां से भागना जायज़ नहीं और दूसरी जगह से वहां जाना भी न चाहिए। इसका मतलब यह है कि कमज़ोर एतक़ाद के हों और ऐसी जगह गये और मुबतला हो गये तो उनके

दिल में यह बात आयेगी कि यहां आने से ऐसा हुआ। न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने से बच गया तो यह ख़्याल करेगा कि वहां होता तो न बचता। भागने की वजह से बचा। ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ है ताऊन के ज़माना में अवाम से अक्सर इसी क़िस्म की बातें सुनने में आती हैं और अगर उनका अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वही होता है न वहां जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ायदा है। तो ऐसे को वहां जाना भी जायज़ है और निकलने में भी हरज नहीं कि उसको भागना नहीं कहा जायेगा। और हदीस में मुतलक़न निकलने की मुमानिअत नहीं बल्कि भागने की मुख़ालिफ़त है। (बहारे शरीअत)

मसलाः- काफ़िर कि उम्र भर कुफ़्र करता रहे और मरते दम तक कुफ़्र से तौबा न की, उसकी मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ हरगिज़ हरगिज़ न करे। हां हिदायत की दुआ कर सकता है। (आलमगीरी) कि अल्लाह उसे राहे रास्त पर लाये। यूंही बद मज़हबियों बेदीनों के लिये हिदायत की दुआ करे। उन्हें मरहूम व मग़फ़ूर रहमतुल्लाह तआला अलैहि वग़ैरह कलिमाते दुआ हरगिज़ ज़बान से अदा न करे। अक़ायद की किताबों में यह मसला मज़कूर है कि जो किसी काफ़िर के लिए उसके मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ करे या किसी मुर्दा को मरहूम या मग़फ़ूर या किसी मुर्दा (हिन्दू, सिख ईसाई, नसरानी पारसी वग़ैरह) को बे कंठ बाशी कहे वह ख़ुद काफ़िर है। अल्लाह तआला हम सब को इस्लाम पर इस्तक़ामत और ईमान व इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन

मसलाः- मकान में परिन्दे ने घोंसला लगाया और बच्चे भी दिये।

Scanned by CamScanner

बिछौने और कपड़ों पर बीट गिरती है। ऐसी हालत में घोंसला बिगाड़ना और परिन्दों को भगा देना, नहीं चाहिए बल्कि उस वक़्त तक इन्तज़ार करे कि बच्चे बड़े होकर उड़ जायें। (आलमगीरी)

मसला:- जिमाअ़ करते वक़्त कलाम मकरूह है बल्कि बच्चे के गूंगे या तोतले होने का खतरा है। यूंही उस वक़्त औरत की शर्मगाह पर नज़र न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्देशा है और मर्द ज़न कपड़ा ओढ़ लें। जानवरों की तरह बरहना न हों कि बच्चे के बेहया बेशर्म होने का अन्देशा है। यह मसला औरतें अपने शौहर को भी बता दें। (आलमगीरी, फतावा रिज़वियह)

मसला:- नमाज़ इशा से पहले सोना और बाद नमाज़ इशा दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है ज़रूरी बातें और तिलावत कुरआन मजीद और ज़िक्र और दीनी मसायल और सालेहीन के क़िस्से और मेहमान से बात चीत करने में हरज नहीं। यूंही तुलूअ़ फ़ज्र से नमाज़ फ़ज्र तक बल्कि तुलूअ आफ्ताब तक ज़िक्र और खैर के सिवा हर बात मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार, आलमगीरी)

मसला:- कमर दर अक़रब यानी चांद जब बुरुज अक़रब में होता है तो सफ़र करने को लोग बुरा जानते हैं और बख़ूबी उसे मनहूस बताते हैं और जब बुरुजं असद में होता है तो कपड़े क़तअ़ कराने और सिलवाने को बुरा जानते हैं। ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाये यह बातें खिलाफ़े शरअ और नजूमियों के लिए ढकोसले हैं। यूंही नुजूम की इस क़िस्म की बातें जिन में सितारों की तासीरात बताई जाती है कि फ़लां सितारा तुलूअ करेगा तो फ़लां बात होगी यह भी ख़िलाफ़ शरअ है। (बहारे शरीअत)

Scanned by CamScanner

मसला:– हाकिम पर लाज़िम है कि नजूमियों, कुरआ व फाल वालों को दुकानों और रास्तों पर न बैठने दे और न उस काम के लिए उसे लोगों के घरों में जाने दे (शरह फिक्हा अक्बर) जो औरतें उनके पास आती जाती और फाल निकलवाती हैं वे दोहरे गुनाह में गिरफ़्तार होती हैं।

मसला:– एक शख़्स ने किसी को अज़ीय्यत पहुंचाई। उससे माफ़ी मांगना चाहता है। मगर जानता है कि अभी उसे गुस्सा है नहीं करेगा। माफ़ी मांगने में ताख़ीर की तो उस ताख़ीर में यह माजूर नहीं। फ़र्ज़ कर लो उसी हालत में मर गया तो उस पर बबाल रहेगा। ज़ालिम ने मज़लूम को बार बार सलाम किया और जवाब भी देता रहा और उसके साथ अच्छी तरह पेश आया यहां तक कि ज़ालिम ने समझ लिया कि अब वह मुझ से राज़ी यह काफ़ी नहीं बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:– माह सफ़र को जाहिलों में मन्हूस समझा जाता है। उसमें न शादी ब्याह करते हैं न कोई और जायज़ तकरीब बल्कि लड़कियों तक को इस माह में रुखसत करना माअयूब व मन्हूस ख़्याल करते हैं परहेज़ किया जाता है। खसूसन माह सफ़र की इब्तिदाई तेरह तारीखें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती हैं। और औरतें उनको तेरह तेजी के नाम से याद करती हैं बल्कि औरतों की ज़बान में उस महीना ही को तेरह तेजी का महीना कहा जाता है। यह सब जिहालत की बातें हैं। हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि ला सफ़र सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोगों को उसे मन्हूस समझना ग़लत है।

फ़कीर ने अपने ही क़सबा मारहरह शरीफ़ ज़िला एटा यू. पी. के एक मशहूर मोहल्ला शीशगिरान में अलस्सुबह देखा कि हर घर

Scanned by CamScanner

के सामने घड़े मटके मिट्टी के प्याले और दूसरे बर्तन टूटे पड़े हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ। आख़िर कार उस मोहल्ला के चन्द बूढ़ों से पूछा कि यह मामला क्या है। जवाब मिला कि आज तेरह तेजी (सफ़र) की तेरह (१३) तारीख़ है। बर्तनों में बलायें उतरती हैं। इसी लिए उन्हें तोड़ फोड़ कर ज़ाया कर दिया जाता है कि बलायें टलें। फ़कीर ने ख़ास उस मोज़ूअ़ पर एक जुमा में ब्यान किया कि वह बलायें भी ख़ूब हैं कि चीनी शीशे और तांबे के बर्तनों में नहीं उतरतीं और घर वाले भी अजीब हैं कि कीमती बर्तनों को बलाओं से महफ़ूज़ कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों की हिफ़ाज़त नहीं कर पाते। आख़िर कार आहिस्ता आहिस्ता वह रिवाज खत्म होना शुरू हुआ।

मसला:- माह सफ़र का आखिरी चार शम्बा हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं सैर व तफ़रीह व शिकार को निकल जाते हैं। काफ़िलों की शकल में, खानदान व घराने के अफ़राद, बाग़ों, दरियाओं के किनारे या ऐसी ही दूसरी तफ़रीह गाहों में डेरा जमा देते हैं। पूरियां बिकती हैं, कढ़ाईयां चढ़ती हैं, पकवान तैयार होता है। फिर सब मिल कर खाते हैं। नहाते धोते हैं खुशियां मनाते हैं और धमाचौकड़ी मचाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था। और बैरुने मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गये थे। यह सब बातें बे असल हैं बल्कि उन दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मर्ज़ वफ़ात शरीफ़ शिद्दत के साथ था। वह बातें ख़िलाफ़ वाकेअ है। (बहारे शरीअत)

मसला:- बिलख़सूस औरतें ज़ीकाअदा के महीने को भी बहुत बुरा जानती हैं और उन की ज़बान में इस महीना का नाम ही है 'खाली

Scanned by CamScanner

का महीना' गोया यह तमाम बरकतों से खाली महीना है और इसीलिए शादी ब्याह और रुखसती जैसे अहम उमूर भी इस महीने में अन्जाम नहीं पाते। यह सब वाही तबाही की बातें हैं यूंही हर माह की ३. १३. २३ और ८. १८. २८ तारीखें भी मन्हूस ख़्याल की जाती हैं। यह भी महज़ लगू है। और हैरत की बात यह है कि जाहिलों का यह जादू पढ़े लिखे खानदानों में भी चल गया है। और ऐसा कि लाख समझाओ बात समझने का नाम नहीं लेतीं। सुन लेंगी मगर करेंगी वही जो उनके दिमाग़ों पर मुसल्लत है।

रोज़मर्रा ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ चन्द और मसायल

मसला:- बाज़ किताबों में मज़कूर है कि तांबे के बर्तन से वुजू करना नाकिस है। हलांकि तांबे के बर्तन से वुजू करना उसमें खाना पीना सब बिला कराहत जायज़ है। वुजू में कुछ नुक़्सान नहीं आता। हां कलई के बाद चाहिए बे कलई बर्तन में खाना पीना मकरूह है कि जिस्मानी ज़रर का बाइस है और मिट्टी का बर्तन तांबे से अफ़ज़ल है। उलेमा ने वुजू के आदाब व मुस्तहिब्बात से शुमार फ़रमाया कि मिट्टी के बर्तन से हो और उसमें खाना पीना भी तवाज़ो (व इन्कसार) से क़रीब तर है। हदीस में है कि जो अपने घर के बर्तन मिट्टी के रखे फ़रिश्ते उसकी ज़ियारत करें। (फ़तावा रिज़वियह, रददुलमुहतार)

मसला:- खाना खाते वक़्त जूता उतार लेना सुन्नत है। रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो कि उसमें तुम्हारे पावं के लिए ज़्यादा राहत

Scanned by CamScanner

है और यह अच्छी सुन्नत है। हां जूता पहने खाना अगर इस उज़्र से हो कि ज़मीन पर (अकड़ूं) बैठा खाना खा रहा है और फर्श नहीं तो सिर्फ एक सुन्नत मुस्तहिब्बा का तर्क है उसके लिए बेहतर यही था कि जूते उतार लेना और अगर मेज़ पर खाना है और यह खुद कुर्सी पर तो यह वज़अ खास नसारा की है। उससे दूर भागो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद याद करे कि जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे (यानी उन्हीं के तौर तरीके अपनाए) वह उन्हीं में से है और खड़े होकर खाना पीना जिसका आजकल फैशन चल निकला है। खिलाफे सुन्नत व ख़िलाफे आदाब तआम होने के अलावा पूरा इत्तबाअ नसारा का ढांचा है। मग़रिबी तहज़ीब के मतवाले, इस्लामी तौर व तरीका छोड़ कर यहूद व नसारा के नक़्शे क़दम पर चल रहे हैं जबकि यह रास्ता जहन्नुम का रास्ता है।

मसला:- खाना खाते वक़्त रोटी के चार टुकड़े इस नीयत से करना कि दूसरे उन्हें सुन्नी मुसलमान, चारों खलीफा के मानने वाले, चारों की खिलाफतों को हक जानने वाले समझें और बच्चों के दिलों में भी यह अकीदा रासिख हो जाये कि चारों खुलफा का मानना फ़र्ज़ है तो इसमें हर्ज नहीं। बल्कि अगर राफ़्ज़ीयों के सामने उनके चिड़ाने को चार करें तो यह नीयत महमूद है और इन्शाअल्लाह उस पर सवाब पायेगा। हां जो सुन्नी मुसलमान ऐसा न करे उसे ऐब लगाना, खुद माअयूब है। (फतावा रिज़वियह)

मसला:- पान में तम्बाकू का इस्तेमाल अगर इस हद तक हो कि नुक़्सान पहुंचे और हवास में खलल पड़े हराम है। और इस तरह कि मुंह में बदबू आने लगे मकरूह, और अगर थोड़ा तम्बाकू खसूसन

Scanned by CamScanner

मुशक वग़ैरह से खुशबू करके पान में खायें और हर बार खाकर कुल्लियों से ख़ूब मुंह साफ कर लें कि बू न आने पाये तो ख़ालिस मुबाह है। बू की हालत में कोई वजीफा न करना चाहिए। मुंह अच्छी तरह साफ करने के बाद हो और कुरआन करीम तो हालत बदबू में पढ़ना और भी सख्त है। तिलावत के वक़्त ज़रूर मुंह बिल्कुल साफ कर लें। फरिश्तों को कुरआन अज़ीम का बहुत शौक है और आम मलाइका को तिलावत की कुदरत न दी गई। जब मुसलमान कुरआन शरीफ पढ़ता है। फ़रिश्ता उसके मुंह पर अपना मुंह रख कर तिलावत की लज़्ज़त लेता है और जो आयत उसके मुंह से निकलती है फ़रिश्ते के मुंह में दाखिल होती है। उस वक़्त अगर मुंह में खाने की किसी चीज़ का लगाव होता है फरिश्ते को ईज़ा होती है। (फ़्तावा रिज़वियह)

मसला:– बीड़ी सिगरेट और हुक्का पीना जैसा कि तमाम शहरों यहां तक कि उलेमा व फुज़ला में राईज है और अरब व अजम, मशरिक व मग़रिब के आम मुसलमानों में मुरव्वज है और जिन का चर्चा आजकल अवाम व ख़्वास में शाया है, शरअन जायज़ व मुबाह है उनके हराम होने की कोई वजह है न कराहत की। अगरचे उनकी बू तबीअत को नापसन्द हो तो यह तबई मकरूह हो सकता है। शरअन मकरुह नहीं। हां अगर उनको नशा लाने की ग़र्ज़ से ख़ास तौर पर पिया जाये और उससे अक़्ल में फतुर पैदा हो और जिस्मानी नुक़्सान पहुंचे तो यह खास सूरत ज़रूर नाजायज़ व हराम होगी। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:– कबूतर पालना जायज़ है जबकि दूसरों के कबूतर न पकड़े बल्कि बाज़ अहादीस में सुर्ख कबूतरों के पालने पर बरकत

Scanned by CamScanner

का वायदा आया है। और कबूतर उड़ाना कि घंटों उन को उतरने नहीं देते और उन्हें भूखा प्यासा उड़ने पर मजबूर करते हैं हराम है फिर देखा गया है कि कबूतर उड़ाने वाले कबूतर उड़ाने के लिए मकानों की छतों पर भी चढ़ते हैं अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा हराम। ज़ाहिर है कि अब उसकी नज़रें दूसरों के मकानों, कमरों, सेहनों में भी पड़ेंगी और अमूमन उसमें औरतें, बूढ़ी जवान, ब्याही बिन ब्याही रहती हैं तो यह उनकी बेपरदगी भी हुई और यह उसका ख्याल नहीं करता तो उसकी बेशर्मी और बेहिसी भी। ऐसे को उस शुनीअ व क़बीह हरकत से सख़्ती से मना किया जाये और अहले मोहल्ला उससे सख़्त बाज़ पुर्स करें और अब यह ज़माना तो नहीं कि खुद सज़ा दें लिहाज़ा हुकूमत को मुत्तलअ़ करें अब हुकूमत के कारिन्दे उसके तमाम कबूतर जिन्हें वह उड़ाता और उनके उड़ाने के लिए उन पर कंकरियां फेंकता और दूसरों को नाहक़ ईज़ा देता था, ज़िब्ह करके खुद उसी को दे दें कि खाये और खिलाए ताकि उड़ाने का यह सिलसिला ही मुनक़तअ हो जाये। दूसरों को इबरत भी हो और औरतें उसकी बदनिगाही से भी बचें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– मर्दों की देखा देखी अब औरतें भी ताश व शतरंज खेलने लगी हैं। हालांकि यह दोनों काम मर्दों के लिए नाजायज़ हैं तो औरतों के लिए नाजायज़ तर और ताश खेलना शतरंज से भी ज़्यादा बुरा कि उसमें तसावीर भी हैं। (फ़तावा रज़िवियह वग़ैरह)

मसला:– अंधे से पर्दा वैसा ही है जैसा आंख वाले से और उसका घर में जाना। औरत के पास बैठना वैसा ही है जैसा आंख वाले। जैसा कि अहादीस में वारिद है।

मसला:– आज कल यूरोप की तक़लीद कि कुछ ऐसी हवा चली

Scanned by CamScanner

है और मुसलमानों पर यूरोप की तहज़ीब का कुछ ऐसा भूत सवार है कि खाने पीने पहनने रहन सहन में उसी गन्दी तहज़ीब की गन्दगियां जगह-जगह नज़र पड़ती हैं। अंग्रेजों की देखा देखी मुसलमानों में भी छुरी काटने से खाने का रिवाज आता जा रहा है अमूमन बड़े घराने ही उस तहज़ीब का जल्दी शिकार हो जाते हैं बरआन यह निहायत मज़मूम तरीक़ा है हदीस में है कि गोश्त को दांत से नोच कर खाओ के यह खुशगवार और ज़ूद हज़्म है और अगर वजह ज़रूरत छुरी से गोश्त काट कर खाया जाये मसलन गोश्त इतना गला हुआ नहीं है के हाथ से तोड़ा या दांतों से नोचा जा सके या मसलन मुसल्लम रान भुनी हुई है दांतों से नोचने में वक़्त होगी तो अब छुरी से काट कर खाने में हरज नहीं इसी क़िस्म के बाज़ मौक़ा पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का छुरी से काट कर तनावल फ़रमाना आया है उससे आजकल के छुरी काटने से खाने की दलील लाना सहीह नहीं।

यूंही ज़रूरत हो तो रोटी को भी छुरी से कांटना दरुस्त है। मसलन डबल रोटी का छुरी से काट कर उसके टुकड़े कर लिये जाते हैं तो हरज नहीं। या औरतों में शोरमाल के दो दो या चार चार टुकड़े कर लिये जाते हैं ताकि बरबाद न हो तो उस में भी हरज नहीं। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

और रोटी को दांत से काट कर खाना, हद दर्जा माअयूब और बे बरकती का बाअस है, यूंही खड़े-खड़े खाना के सुन्नते नसारा भी है।

मसला:- खाना खाते वक़्त अगर कोई आ जाता है तो रिवाज यह है कि उसे खाने को पूछते हैं कहते है कि आओ खाना खाओ।

Scanned by CamScanner

अगर न पुछें तो ताअन करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। यह बात यानी दूसरे मुसलमान को खाना खिलाने के लिए बुलाना अच्छी बात है। मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाईश के लिए न हो बल्कि दिल से पूछे। बल्कि अगर उसे कोई माकूल उज़्र न हो तो इसरार करके खिलाये कि मुफ़्त का सवाब हाथ आता है वह खायेगा तो तुम्हारे ख्वान पर अपना रिज़्क़ खाता है तो तुम्हारे लिए मक़ामे शुक्र है यह भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है "बिस्मिल्लाह" यह न कहना चाहिए कि यहां बिस्मिल्लाह कहने के कोई मायने नहीं कि मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही खाना शुरू करता है और वह पढ़ चुका। उलमा-ए किराम ने इस मौक़ा पर बिस्मिल्लाह कहने को बहुत सख़्त ममनूअ फ़रमाया बल्कि ऐसे मौक़ा पर दुआइय्या अल्फ़ाज़ कहना बेहतर है मसलन बारकअल्लाह या उर्दू में कह दे अल्लाह तआला बरकत दे। ज़्यादा दे। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

और बुज़ुर्गों का मामूल यह है कि खाने से फ़ारिग़ होकर यह कहते हैं कि खाना बढ़ाओ या बर्तन बढ़ाओ। खाना या बर्तन उठाओ नहीं कहते। खाना बढ़ना या बर्तन बढ़ना खाने में बरकत और फ़राखी व वुसअत की ज़िमनन दुआ हो जाती है।

मसला:- पानी नमक और आग का मना करना हलाल नहीं। हदीस शरीफ़ में फ़रमाया गया कि जिस ने आग दे दी गोया उसके उस तमाम खाने को सदक़ा किया जो उस नमक से दुरूस्त किया गया और जिस ने मुसलमानों को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया और जिस ने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता

तो गोया उसने उसे ज़िन्दा कर दिया। (इब्ने माजा) तो जितना सवाब पानी देने पर है बिला वजह शरई पानी न देने पर इतना ही वबाल भी होना चाहिए। इसलिए पानी न पिलाना शकावत की निशानी है और आग के क़ायम मक़ाम आजकल दियासलाई या लाईटर क़िस्म की चीज़ें भी हैं।

मसला:– ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आदतन हमसाये एक दूसरे से मांगते रहते हैं और उनका मांगना कोई बुरी या ज़िल्लत की बात भी नहीं समझी जाती। क्योंकि अमीर व ग़रीब सब ही को किसी न किसी वक़्त उनकी ज़रूरत पेश आती रहती है। और हमसाए एक दूसरे से आरियतन ले कर अमूमन जूं की तूं वापस कर दिया करते हैं ऐसी चीज़ों को देने से बुख़्ल बरतना अख़लाक़न एक ज़लील और गिरी हुई बात समझा जाता है और बात है भी ऐसी ही कि यह हरकतें वही करते हैं जिनके दिल मख़लुक़े ख़ुदा की हमदर्दी से इस क़द्र ख़ाली हैं कि किसी की मामूली सी इयानत भी उन्हें गवारा नहीं होती बल्कि गिरां गुज़रती है। ऐसों की बुराई का ज़िक्र सूर: माऊन में भी आया है।

मसला:– मग़रिबी तहज़ीब के मतवाले या उनकी रीस करने वालों में दस्तूर यह है कि बिलख़सूस खाना खाते वक़्त दायें हाथ से पानी पीना ख़िलाफ़ तहज़ीब जानते हैं। उनकी यह तहज़ीब, तहज़ीब नसारा तो कही जा सकती है। इस्लामी तहज़ीब यह है कि पानी बिस्मिल्लाह कह कर दाहिने हाथ से बैठ कर पिये और तीन सांस में पिये और हर मर्तबा बर्तन से मुंह हटा कर सांस ले। पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घोंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी ले इस तरह पीना ख़ुशगवार भी है और ज़ूद हज़्म भी।

Scanned by CamScanner

गिलास में बचे हुए पानी को अगरचे वह साफ सुथरा हो लोग झूठा कह कर फेंक देते हैं यह हिन्दुओं की तहज़ीब है। इस्लाम में छुत छात नहीं मुसलमान के झूठे से बचने के कोई मायने नहीं बल्कि यह ख़ामख़ाह साफ और काबिल इस्तेमाल पानी को ज़ाया करना और इसराफ़ है और इसराफ़ हराम।

मसला:– बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौक़ा पर चांदी की दवात कलम और तख़्ती लाकर रखते हैं। यह चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आतीं। बल्कि पढ़ाने वाले को दे देते हैं। इसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत) बल्कि बेहतर है कि जिस तरीक़ा पर एक मुसलमान की जो क़ाबिले इज़्ज़त व लायक़ ताअज़ीम है। इआनत भी हो गई और देने वाले की क़ल्बी मुसर्रत का सामान भी। हां यह ज़रूर है कि रिया न आने पाये।

मसला:– जब लड़के और लड़की की उम्र दस साल की हो जाये तो उनको अलग–अलग सुलाना चाहिए। यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाये तो अपनी मां बहन या किसी औरत के साथ न सोये और लड़की जब इस उम्र तक पहुंच जाये तो वह अपने मां भाई या किसी और मर्द के पास न सोये। बल्कि मीयां बीवी जब एक चारपाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को ख्वाह लड़का हो या लड़की, अपने साथ न सुलायें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई नहीं तो यह कहना चाहिए।

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔

(सलाम हम पर और अल्लाह के सालेह बन्दों पर) फरिश्ते उसके सलाम का जवाब देंगे। (रददुलमुहतार) या इस तरह कहे अस्सलाम

Scanned by CamScanner

अलैकुम या अैयोहन नबी (ऐ अल्लाह के नीब आप पर सलाम) क्या अजब कि यह सलाम कबूल हो जाये और जवाब में सलामतियों से नवाज़ा जाये क्योंकि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घरों में मौजूद है। (मिरक़ात)

मसला:– अक्सर जगह बिलखसूस औरतों में यह तरीक़ा है कि छोटा बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कह देता है "जीते रहो" यह सलाम का जवाब नहीं बल्कि यह जवाब ज़माना जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वे कहते थे हय्याकल्लाह (यानि अल्लाह तुम्हें जीता रखे) इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में वाअलै कुम अस्सलाम कहा जाये अगरचे किसी ने कहा सलाम तो सलाम कह देने से भी जवाब हो जायेगा। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:– बहुत लोग छींक को बदफ़ाली ख्याल करते हैं। मसलन आदमी किसी काम के लिए जा रहा है और किसी को छींक आगई तो समझते हैं कि अब वह काम पूरा नहीं होगा यह जिहालत है कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिस को हदीस में शाहिद अदल (सच्चा गवाह) फ़रमाया और भी सख़्त ग़लती है। (बहारे शरअत)

मसला:– छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुंचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मना कर सकते हैं। जब तक पर्दा की दीवार न बनवाले या कोई और ऐसी चीज़ न लगाले जिससे बेपरदगी न हो। और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती। मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते हैं तो सामना होता है तो उसको चढ़ने से मना नहीं कर सकते बल्कि उनकी औरतों को यह चाहिए कि वे खुद छतों पर न चढ़ें उनके चढ़ने

Scanned by CamScanner

से ताकि बेपदर्गी न हो। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- किसी के माल पर दबाव और धौंस से ऐलानियां, उसके क़ब्ज़ा को हटा कर अपना कब्ज़ा में ले लेना ग़सब कहलाता है और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया है कि जो शख़्स पराया माल ले लेगा वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी हो कर मिलेगा। (तबरानी)

मसला:- अपना काम निकालने के लिए एक ने दूसर से कोई चीज़ आरीयतन (मांग ली और वह चीज़ हलाक हो गई तो अगर उसने उससे इसी तरह का काम लिया जो काम का तरीक़ा है और चीज़ की हिफ़ाज़त की और उस पर जो कुछ खर्च करना मुनासिब था खर्च किया तो हलाक होने पर तावान नहीं अगरचे आरीयतन देते वक़्त यह शर्त कर ली हो कि हलाक होने पर तावना देना होगा कि यह शर्त बातिल है। (बहरुर्राइक़)

मसला:- किसी को कोई चीज़ बिला एवज़ हिबा या बख़्शिश के तौर पर देने के बाद वापस लेना बहुत बुरी बात है, हदीस में इरशाद हुआ उसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता कै करके फिर चाट ले। लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना ही चाहिए। बाज़ औक़ात बाज़ लोग औछे पन पर उतर कर ऐसा मुतालबा कर बैठते हैं कि लाओ हमारी फलां चीज़ वापस करो। यह बड़ी ओछी और गिरी हुई हरकत है।

मसला:- आजकल देखा जाता है है कि बहुत सी औरतें, दूसरे के बर्तनों को जिन में कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा व हदया आई और उस वक़्त बर्तन किसी वजह से वापस न किये गये, बिला तकल्लुफ़ अपने घर में इस्तेमाल कर लेती हैं। हालांकि उनको अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं वह उसके पास

अमानत के तौर पर हैं। (आलमगीरी)

मसला:- औरत ने ऐसे शख़्स की मुलाज़मत की जो बाल बच्चों वाला है। उसमें हरज नहीं जैसा कि अमूमन शहरों में खाना पकाने और घर के कामों के लिए मामायें नौकर रखी जाती हैं। मगर यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि मर्द को उसके साथ तनहाई न हो। (आलमगीरी)

मसला:- नावाकिफ़ मुसलमान मर्दों और औरतों में यह मसला बहुत मशहूर है कि कुतुब की तरफ़ पावं न फैलाना चाहिए। कुतुब अवाम में एक सितारे का नाम है कि कुतुब शुमाली के क़रीब है तो सितारे तो चारों तरफ़ हैं किसी तरफ़ पावं न फैलायें तो आदमी करे क्या। हां अगर यह ख्याल करे के उन इलाक़ों में जानिब शुमाल में हुजुर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु का मज़ारे अक़दस है और इसलिए पावं उधर न फैलाये तो उसे लगू हरकत न कहना चाहिए।

मसला:- तिनके से खिलाल करना सुन्नत है और खिलाल करने में जो कुछ दांतों में रेशा वग़ैरह निकला बेहतर है उसे फेंक दे और निगल गई तो उसमें भी हरज नहीं। फूल और मेवे के तिनके से खिलाल न करें बल्कि खिलाल के लिए नीम की सींक बहुत बेहतर है कि उसकी तलखी से मुंह की सफ़ाई होती है और यह मसूढ़ों के लिए भी मुफ़ीद है। झाड़ू की सीकें भी इस काम में ला सकते हैं जबकि व कोरी हों मुस्तामल न हों। (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

मसला:- सफ़र पर जाने वाले के बाज़ू पर इमाम ज़ामिन का पेसा बांधा जाता है। उसकी हकीकत नहीं। मुसाफ़िर को नेक दुवाओं से रुखसत करो और बराबर दुवाएं खैर में याद रखो। हां इमाम ज़ामिन

Scanned by CamScanner

इमाम अली रज़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के नाम की फ़ातिहा दिला दी जाये तो उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदावन्द तआला इमाम अली रज़ा और दूसरे अइम्माए बुजूर्गाने दीन के तुफ़ैल उसे अपनी अमान व ज़मान में रखे वल्लल्लाहु आलम।

मसलाः- बच्चा पैदा होने के बाद पहला काम यह किया जाए कि नहला कर अज़ान व इकामत बच्चा के कान में कह दी जाये तो इन्शाअल्लाह तआला बच्चा "उम्मुस्सुबीयान'' से (कि एक खबीस बला है) उम्र भर महफ़ूज़ रहता है। (अलमलफ़ूज़ हिस्सा सोम)

मसलाः- कोई नामहरम न हो और घर के अन्दर हों और गाना न गायें तो औरतों के वास्ते भी झुला झूलना जायज़ है कि यह बदन की रियाज़त है। बाज़ इमराज़ में अतिब्बा मुफ़ीद बताते हैं। (अलमलफ़ूज़ - ३)

मसलाः- आफ़ताब के गुरूब होने के बाद चान्द जब रोशन होता है उस वक़्त सर कश जिन्न ज़मीन पर मुन्तशिर होते हैं। इसी वास्ते हदीस में आया है कि अपने बच्चों को रोके रखे मग़रिब से इशा तक यानी घर से बाहर न निकलने दो।

मसलाः- कामदार जूते पर अगर झूठा काम हो तो मुतलक़न मकरूह है हत्ता कि औरतों को भी और अगर सच्चा है तो चार अंगुल से कम मर्दों को जायज़ है उससे ज़्यादा नहीं और औरतों को मतलक़न जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसलाः- अस्र के बाद खाने पीने से बहुत से मर्द और औरतें परहेज़ करती हैं यह कोई शरई मसला नहीं अलबत्ता सूफ़िया का तरीका रहा कि उनके नज़दीक रात तालिबाने हक़ की ईद है और ईद से पहला रोज़ा होता है तो अस्र व मग़रिब के माबीन को

वह रोज़ा की तरह गुज़ारते और शब बेदारी में मसरूफ़ रहते हैं अगर यही नीयत रखी जाये कि बुजुर्गों का इत्तबाअ मक्सूद है तो कोई हरज नहीं।

मसला:– सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना और उनकी प्यालियों से तेल लगाना या उनके इत्तरदान से इत्र लगाना या उनकी सलाई या सुर्मा दानी से सुर्मा लगाना उनके आईना में मुंह देखना, उनके कलम दवात से लिखना मर्द औरत दोनों के लिए मना है। औरतों को सोने चान्दी के ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। ज़ेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चान्दी का इस्तेमाल मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। सोने चान्दी की आरसी पहनना औरत के लि[illegible]जायज़ है मगर उस आरसी में मुंह देखना औरत के लिए भी नाजायज़ है। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह) हां बर्तन पर सोने चान्दी का मुलम्मअ हो तो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं। (हिदाया)

मसला:– मकान को चांदी सोने रेशम से अरास्ता करना मसलन दीवारों, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लटकाना और जगह जगह करीने से, सोने चान्दी के ज़रूफ़ और दूसरी चीज़ें सजा कर रखना, जिसका मक्सूद महज़ अराईश व ज़ेबाईश हो तो कराहत है और अगर तकब्बुर या तफ़ाखुर (इतराने) से ऐसा करता है तो नाजायज़ है। (रददुलमुहतार) ग़ालिबन कराहत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़ें अगरचे इब्तदाअन तकब्बुर से न हों मगर बिलाआख़िर अमूमन उनसे तकब्बुर पैदा हो जाया करता है। (बहारे शरीअत)

मसला:– मर्द को सोने चांदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जायज़ है जिस तरह रेशम की घुन्डी जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार) यानी जबकि बटन बग़ैर ज़ंजीर हों और अगर ज़ंजीर वाले बटन

हों तो उनका इस्तेमाल नाजायज़ है कि ज़न्जीर ज़ेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजायज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:– नाबालिग़ लड़कों को भी रेशम के कपड़े पहनाना हराम है और गुनाह पहनाने वाले पर है। (आलमगीरी) कि कुसूर मन्द यह हैं न कि वह–

मसला:– अय्याम मुहर्रम में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन किस्म के रंग न पहने जायें सियाह कि यह राफज़ियों का तरीका है और सूर्ख कि यह खारजियों का तरीका है वह माज़अल्लाह इज़हारे मुसर्रत के लिए सुर्ख़ पहनते हैं। (आला हज़रत कुद्दुस सिर्रहु बहारे शरीअत)

मसला:– औरतों को बिलख़सूस चूड़ीदार पाजामा नहीं पहनना चाहिए कि उसमें पिंडलियों वग़ैरह की पूरी हैयात में नज़र आती है औरतों के पाजमें ढीले ढाले हों जैसे कि शलवारें। और नीचे हों कि क़दम छुप जायें। उनके लिए जहां तक पावं का ज़्यादा हिस्सा छुपे, अच्छा है। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:– आने वाले ने सलाम किया और बातचीत शुरू कर दी तो उसे अख़्तियार है कि उसकी बात का जवाब न दे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने सालम से क़ब्ल कलाम किया उसकी बात का जवाब न दो। (रददुलमुहतार)

मसला:– आने के वक़्त भी सलाम करे और जाते वक़्त भी। (रददुलमुहतार)

मसला:– जिस को छींक आई वह यह कहे अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीन। या الحمد لله على كل حال और उसके जवाब में दूसरा शख़्स यूं कहे يغفر الله لنا ولكم या यह कहे يهديكم الله ويصلح بالكم

Scanned by CamScanner

इसके सिवा कोई बात न कहे। (आलमगीरी)

इस्लामी तहज़ीब के चन्द अबवाब

गर तोमी ख़्वाही मुसलमान ज़ीस्तन
नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरआन ज़ीस्तन

मौलाए करीम जल्ले जलालहु का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने इस्लाम दिया मुसलमान किया और अपनी पनाह और अपने हबीब के जवारे रहमत में लिया। दौलत ईमान बख़्शी और जौहरे अक्ल को, उस चिराग़ से जिला दी। और फिर हुज़ूर ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तुफ़ैल में वह सियासत वह तमद्दुन और तहज़ीब अता फरमायी कि हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। ज़िन्दगी के वह आदाब सिखाए कि हर तहज़ीब व तमद्दुन से बे नियाज़ व मुसतग़नी बना दिया। ज़िन्दगी के पहले सांस से, ज़ीस्त की आख़िरी हिचकी तक हर मरहला हर मंजिल पर हिदायत व रहनुमाई के फ़ानूस आवेज़ां कर दिए। खुश नसीब हैं वह जो इन अनवारे हिदायत से फ़ैज़ हासिल करते और अपनी दुनिया अपनी आख़िरत, अपना दीन अपनी आकिबत संवारते हैं और बदनसीब व बे बहरा हैं जो इस दरयाए रवां के क़रीब रहते हुए भी सराबे यूरोप पर मर मिटें और मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन पर फरीकता हो कर अपनी जान जी से गुज़र जायें।

बहरहाल हम इस मुख़्तसर किताब में रहने सहने, खाने पीने, चलने, फिरने, उठने बैठने, सोने जागने वग़ैरह ज़रूरी मशाग़िल से मुताल्लिक भी चन्द आदाब बयान करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मायें बहनें बेटियां बिलख़सूस इन्हें ग़ौर व तवज्जोह से

Scanned by CamScanner

पढ़ेंगी कि उनकी गोदें, कौम के होनहारों की गोदें हैं। आज नहीं तो कल उन्हें औलाद की तर्बियत और अपने माअशरा व माहौल और अपने घराने की इसलाह करनी है और यह किताब इन्शाअल्लाह उनकी बेहतरीन साथी साबित होगी।

रात और दिन की मसरूफ़ियात और ज़रूरी मशाग़िल में इस्लामी तहज़ीब के यह आदाब हमेशा और हर आन आप को ज़ेहन नशीन रखने चााहिए ताकि आप खुद भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम पायें और दूसरों के लिए भी किसी नागवारी, नफ़रत या तकलीफ़ का बाइस न बनें। जो काम ख़ूबी, ख़ूबसूरती और उमदगी से अंजाम दिया जाता है वह औरों के लिए भी जाज़िबे नज़र और नमूना अमल बनता है लोग उसे अच्छी निगाहों से देखते और इज़्ज़त का मकाम देते हैं और जिन कामों में फूहड़पन और बदसलीकगी और लापरवाही व बेतवज्जही पाई जाती है वह बिगड़ते भी हैं और करने वालों की इज़्ज़त व आबरू भी ले डूबते हैं। खुदावन्द कुद्दूस हमारी आप की दस्तगीरी फरमाए। और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ दे। आमीन०

खाने पीने के आदाब

१. खाने से पहले और खाने के बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए ; बाज़ लोग सिर्फ एक हाथ या उंगलियां धो लेते हैं बल्कि सिर्फ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हैं इससे सुन्नत अदा नहीं होती।

२. खाने से पहले हाथ धो कर पोंछे न जायें और खाने के बाद धोकर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर, चिकनाई वग़ैरह लगी न रहे।

Scanned by CamScanner

३. खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू किया जाये कि खाना जो ज़िन्दगी की बक़ा और जिस्म के क़याम का असली ज़रिया है उसमें नामे खुदा की बरकतें शामिल हाल रहे। हदीस शरीफ़ में आया है कि जब कोई शख़्स खाना खाए तो यह कहे اللهم بارك لنا فيه وابدلنا خيرا منه

४. अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल जाये तो जब याद आए यह कह ले।

५. बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुन कर उन्हें याद आजाये और खाने की बरकतें सब को हासिल हों। بسم الله في اوله وآخره

६. रोटी पर कोई चीज़ रखी जाये। हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि रोटी का एहतराम करो कि यह चीज़ जब किसी क़ौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई यानी नाशुकरी की वजह से किसी क़ौम का रिज़्क चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता।

बाज़ लोग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमकदानी वग़ैरह रोटी पर रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए।

७. रोटी का किनारा ख़ामख़ाह तोड़ कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ़ है, बल्कि पूरी रोटी खाले। हां अगर किनारे कच्चे रह गये हैं या जल गये हैं कि खाने से नुक़्सान होगा तो तोड़ सकता है।

८. दाहिने हाथ से खाना खाए और पानी पिये और तीन उंगलियों से खाए। पांचों उंगलियों से खाना गंवारों का तरीक़ा है और माअयूब भी। सिर्फ़ खाने पीने ही की खसूसियत नहीं शरीअत मुतहहरा को अक्सर काम दाहिनी जानिब से, दायें हाथ से पसन्द हैं हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि दाहिने हाथ से खाये और दाहिने हाथ से पियें और

दायें हाथ से ले और दायें से दे क्योंकि शैतान बायें से खाता, बायें से पीता और बायें से लेता है और बायें से देता है। (इब्ने माजा) फिर फ़ितरत इन्सानी का भी यही तक़ाज़ा है।

९. हाथ से लुक़्मा छूट कर दस्तरखान वग़ैरह पर गिर जाये तो उसे छोड़ देना इसराफ़ है बल्कि पहले से उठा कर खाये।

१०. बायें हाथ को ज़मीन पर टेक दे कर, या तकिया लगा कर, या नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है और उससे खाने की बरकत भी जाती है।

११. रकाबी या पियाले के बीच में से इब्तदन न खाए बल्कि एक किनारा से और जो किनारा उसके क़रीब है वहां से खाए। क्योंकि इससे खाने की वह मिक़दार जो बच जायेगी गन्दी न होगी। दूसरे यह कि अगर कोई इस तरीक़ा से न खाए तो उससे उसकी हिर्स का पता चलता है और हरीस आदमी कभी सैर नहीं होता। इसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बरकत से ताबीर किया और फ़रमाया कि बरकत खाने के बीच में उतरती है। (तिर्मिज़ी)

१२. लुक़्मे छोटे-छोटे ले और खूब चबा कर खाए।

१३. खाते वक़्त हाज़िरीन के चेहरों को न तके।

१४. खाने के दौरान मौत का ज़िक्र न करे ताकि दूसरों की तबीयत में बदमज़गी न आये और ख़्वाहिश के बावजूद, भूखे उठ बैठें।

१५. जब खाना एक क़िस्म का हो तो एक जगह से खाए हर तरफ़ हाथ न मारे हां अगर तबाक़ में मुख़तलिफ़ क़िस्म की चीज़ें हों तो इधर-उधर से खाने की इजाज़त है। फिर भी बे सबरी का मुज़ाहिरा न करे क्योंकि अख़्लाक़ी हैसियत से उससे हिर्स और लालच का इज़हार होता है।

Scanned by CamScanner

१६. खाने के वक़्त बायां पावं बिछा दे और दायां खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे कि थोड़ा खाना किफ़ायत करे।

१७. गर्म-गर्म खाना कि मुंह जलता जाये न खाए। न खाने पर फूंक मारे न खाने को सूंघे। ज़्यादा गर्म खाना नुक़्सान देह भी है और उससे सैरी भी हासिल नहीं होती।

१८. बिल्कुल चुप-चाप खामोशी से खाना मजूसियों का तरीका है, इससे बचे मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे।

१९. खाने में ऐब न निकाले मर्गूब हो तो खाले वरना हाथ उठाले। क्योंकि घर वालों और काम करने वालों में बात बात में फिया निकालने वाले की तरफ़ से चिढ़ पैदा हो जाती है और उससे काम सुधरने की बजाए और बिगड़ता है। मियां बीबी में झगड़े की एक वजह यह भी होती है।

२०. दोस्त अहबाब या घर के लोग, खाना मिल कर सब एक साथ खायें तो उसमें बरकत भी होती है। थोड़ा खाना, ज़्यादा को किफ़ायत करता है और बरबाद भी नहीं होता।

एक बार चन्द सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हम खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। इरशाद फ़रमाया कि ग़ालिबन तुम लोग अलग-अलग खाते होंगे। अर्ज़ किया कि हां या रसूलुल्लाह फ़रमाया इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी। (इब्ने माजा)

२१. दस्तरख़ान पर चन्द अश्ख़ास हों तो उनमें जो बुज़ुर्ग हों वह खाना पहले शुरू करे फिर और लोग। इसमें हुस्न अदब व ताअज़ीम भी है।

२२. खाने में मक्खी गिर जाये तो उसे ग़ोता दे कर फेंक देना

चाहिए। क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है। और वह वही बाजू खाने में पहले डालती है जिस में बीमारी है और दूसरे को बचाती है लिहाज़ा पूरी को गोता दे दो। (हदीस शरीफ़)

मक्खी गिरे हुए खाने को, गन्दा समझ कर फेंक देना इसराफ़ है और न खाना ख़ामख़ाह अपनी निज़ाफ़त पसन्दी का इज़हार है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम कि जाने निज़ाफ़त हैं। उनकी पैरवी, शाने ईमान है यह खुदसाख्ता निज़ाफ़त, निज़ाफ़त व निफ़ासत नहीं। इत्तबाअे सुन्नत नसारा है।

२३. खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से चाट ले और उंगलियों को मुंह से अच्छी तरह साफ़ कर ले उनमें झूठा न लगा रहने दे। जो लोग इसे खिलाफ़े तहज़ीब जानत्ते हैं वह झूठी तहज़ीब के मतवाले हैं। उनसे ज़्यादा न उल्झें कि ओल फ़ोल बकने लगते हैं। मुसलमानों के लिए यही बात काफ़ी है जो हदीस शरीफ़ में है कि खाने के बाद जो शख़्स बर्तन साफ़ कर देता है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है। कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है।

२४. खाने की इब्तदा नमक से की जाये और ख़त्म भी उसी पर करें। इससे सत्तर बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं । यह उस सूरत में है कि दस्तर ख़्वान पर नमकीन और मीठी दोनों किस्म की चीज़ें हों और दस्तरखान पर सिर्फ़ नमकीन खाना हो और बाद फ़राग़त कुछ मीठा खा लिया जाये तो मशहूर यह है कि यह मौला अली करम अल्लाह की सुन्नत करीमा है वल्लाह आलम।

२५. खाने से फ़ारिग़ हो कर खुदा का शुक्र बजा लाये। इस मौका

पर बहुत सी दुआयें अहादीस में आई है ज़्यादा मशहूर दुआ यह है-

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔

और दूसरे के यहां खाया पिया हो तो इस दुआ के बाद यह दुआ भी पढ़ ले- اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفرلنا وارزقنا

رزقا حسنا وطيبا مباركا فيه۔

२६. जब दस्तरख़्वान बढ़ जाये तो अब उठ कर हाथ धोए कि चिकनाई वग़ैरह हाथों में न रहे फिर रूमाल वग़ैरह से पोंछ ले।

जिस बर्तन में खाना खाया है उसमें हाथ धोना, या हाथ धोकर, कुर्ते या तहबन्द के दामन या आंचल से पोंछना, बरकत को उड़ा देता है।

२७. पानी ख़्वाह दरमियान में पिये या बाद फ़राग़त जबकि ख़्वाहिश हो, चूस कर पिये गट गट बड़े बड़े घूंट न पिये। इस तरह पानी पीने से पूरी सैरी होती है और पियास बुझ जाती है।

२८. पानी के बर्तन में सांस न ले कि अन्दर से निकलने वाली गन्दी हवा, उस पानी से न लगे। और यह भी मुमकिन है कि बर्तन में सांस लेते वक़्त मुंह या नाक से थूक या रींट निकल कर पानी में गिर जाए और फिर उसके मुंह में जाये जिससे कराहत आती है।

२९. मश्क के धहाने या लोटे की टूंटी से, या बग़ैर देखे हुए किसी चीज़ से पानी न पिया जाये। क्या मालूम कोई मूज़ी चीज़ उसके हल्क़ में चली जाये।

३०. पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्दीदा है जो शीरीं और ठंडी हो। मगर चाय कि वह गर्म ही पी जाती है। लेकिन लब दोज़, चहन सोज़ नहीं।

३१. हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स अल्लाह और रोज़ क़ियामत

Scanned by CamScanner

पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे। एक दिन रात उसका जायज़ा है। (यानी जायज़ हक़ तो एक दिन रात उसकी पूरी ख़ातिरदारी करे और अपने मक़सद भर उसके लिए पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार कराये) ज़ियाफ़्त तीन दिन है यानी एक दिन बाद मामूल के मुताबिक़ खिलाये और जो मयस्सर हो पेश करे। और तीन दिन के बाद सदक़ा है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहां ठहरा रहे और उसे हर्ज में डाले। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३२. मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं। (१) जहां बिठाया जाये वहीं बैठे। (२) जो कुछ उसके सामने पेश किया जाये उसी पर खुश हो और कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मेज़बान को तकलीफ़ हो। (३) बग़ैर इजाज़त साहबे खाना वहां से न उठे। (४) और जब वहां से जाये तो उसके लिए दुआ करे।

३३. मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वक़्तन फ़वक़्तन कहे कि और खाओ मगर इतना इसरार न करे कि वह ज़्यादा खा जाये और फिर नुक़्सान उठाये। (२) मेहमान से दिल खुश कुन बातें भी करता जाये। (३) मेहमान के सामने अहले खाना या ख़ादिम पर नाराज़ न हो। (४) मेहमान अगर थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठे कि यही तक़ाज़ाए मुहब्बत है और मेहमान ज़्यादा हों तो उनकी निगाहदाश्त और ख़िदमत में मशग़ूल रहे। (५) मेहमानों के साथ ऐसों को न बिठाये जिनका न बैठना उनपर गिरां हो।

चलने फिरने के आदाब

दौलत इक़्तदार, हुस्न इल्म व फ़न में इमतियाज़ी शान, ताक़त का गुमान और ऐसी ही दूसरी चीजें जो इन्सान में तकब्बुर पैदा करने

का ज़रिया बनती हैं। वह लाज़मन एक ख़ास तर्ज़ की चाल में ढल कर ज़ाहिर होती हैं जिसे देख कर न सिर्फ़ यह मालूम हो जाता है कि आदमी किसी घमन्ड में मुबतला है बल्कि चाल की शान यह तक बता देती है कि उसे किसी चीज़ का घमन्ड है। आदमी की चाल में अकड़ और इतराहट और फ़ख़्र व गुरूर लाज़मन उसी वक़्त पैदा होती है जब उसके दिमाग़ में तकब्बुर की हवा भर जाती है और वह चाहता है कि दूसरों को अपनी बड़ाई महसूस कराये।

कुरआन करीम ने इस गिरी हुई अख़्लाकी कमज़ोरी की इसलाह इन अल्फ़ाज़ में फ़रमाई कि

ولا تمش في الارض مرحا

ज़मीन पर अकड़ कर न चलो।

मकसूद इससे हर तरह के फ़ख़्र व गुरूर और तकब्बुर की रोक थाम है कि मुसलमान जब्बारों और मुतकब्बिरों की राविश से बचें और बजाये फ़ख़्र व गुरूर व तमकनत कि जो जाहिलियत और जाहिल कौमों का शिआर है अपने मिज़ाज में नर्मी और तवाज़ो पैदा करें और यहां तक कि चाल ढाल और रफ़्तार में तवाज़ो व इनकिसार का असर ज़ाहिर होने लगे।

यह हिदायत भी इन्फ़िरादी तर्ज़ अमल और कौमी रवैए, दोनों पर यकसां हावी है। इस सिलसिले में चन्द आदाब यह हैं जो इस्लाम ने हमें बख़्शे।

१. आदमी को रास्ते में मतानत, संजीदगी, और ख़ाकसारी, व इनकिसारी के साथ कदम उठाना चाहिए।

२. इसका लिहाज़ रखना चाहिए कि कदम ज़ाहिरी व मानवी एतबार से कहां पड़ रहा है।

३. औरतें मर्दों के सामने, या मर्द औरतों के सामने आ जायें तो

Scanned by CamScanner

दरमियान से न गुज़रें। दायें या बायें का रास्ता लें।

४. औरत को बचने वाले ज़ेवर मसलन पाज़ेब, झानजन पहनकर चलने में ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पावं नहीं रखना। क्योंकि उसकी आवाज़ से सुनने वालों के ख्यालात में इन्तशार पैदा होता है।

५. औरतें खुशबू लगा कर और दूसरों के हवास को मुशतइल करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करके हरगिज़ घरों से न निकलें।

६. औरतें बिला ज़रूरत अपनी आवाज़ ग़ैर मर्दों को न सुनायें। ज़रूरत पड़ने पर बात करने की इजाज़त तो खुद कुरआन करीम में दी गई है। लेकिन जहां न उसकी ज़रूरत हो और न कोई दीनी या अख़्लाकी फ़ायदा, वहां इस बात को पसन्द नहीं किया गया है कि औरतों की आवाज़ें ग़ैर मर्दों के कानों से टकरायें।

मटर गशत और महज़ तफ़रीह तबअ की ख़ातिर बाज़ारों और दुकानों पर जाने वाली औरतें ज़रा इसका खास ख्याल रखें और यह बात तो बड़ी बे ग़ैरती की है कि शौहर नामदार, बसूरत बरखुरदार, बच्चों को गोद में उठाये उंगली थामे हमराह हैं और बेगम साहिबा खरीदारी में मसरूफ़।

७. शरीफ़ औरत जब बज़रूरत घर से निकले तो किसी बड़ी चादर या बुर्का से अपना सारा बदन सर से पावं तक छुपा लें जिससे उसकी असल पौशाक और ज़ेब व ज़ीनत की सारी चीज़ें छुप जायें और चादर या नक़ाब का कुछ हिस्सा मुंह पर भी आजाये।

८. खुशनुमा कपड़े, ज़ेवर और सर मुंह हाथ पावं, पलकों और आंखों की मुख़्तलिफ़ आराईश व ज़ीबाईश जो बिलउमूम औरतें करती हैं और जिनके लिए मौजूदा ज़माने में मेकअप का लफ़्ज़ बोला जाता है। यह बनाओ सिंघार हरगिरज़ ग़ैरों पर ज़ाहिर न हो। औरत अपने

Scanned by CamScanner

मुंह को मिस्सी और सुर्मे और सुर्खी पावडर से और अपने हाथों को अंगूठी छल्ले और चुड़ियों और कंगन वग़ैरह से आरस्ता रख कर लोगों के सामने खोले फिरे जैसा कि आजकल साहबज़ादियों में दस्तूर है, शरीफ़ मुसलमान औरत के लिए यूंही नंग व आर हैं।

९. राह चलते निगाहें नीची रखें। जिस तरह मर्दों को हुक्म है कि वह ग़ैर औरतों पर नज़र न डालें। यूंही औरतों को हुक्म है कि वह क़स्दन ग़ैर मर्दों को न देखें। निगाह पड़ जाये तो फ़ौरन हटा लें अगरचे वह मर्द नाबीना हो। यह किसी तरह जायज़ नहीं कि औरतें इतमीनान से मर्दों को घूरें और उनके हुस्न जमाल या बदसूरती को मोज़ूअ बहस बना कर उनके जिस्मानी साख़्त का जायज़ा लें।

१०. औरतों को वुस्ते राह से अलग होकर, रास्ता के किनारे से चलना चाहिए।

मजलिस के आदाब

शरीअत की हमागीरी से ज़िन्दगी का कौन सा शोबा बच सकता है। कुरआन करीम ने आदाब मजलिस की भी तालीम दी और मुसलमानों की तमाम मजलिसों के लिये यह आम हिदायत दी कि मजलिस में तहज़ीब व वक़ार की शक्ल पैदा हो और शुरकाए मजलिस में से किसी को दूसरे से शिकायत पैदा न हो बल्कि यह मजलिस बाहमी मुहब्बत बढ़ाने का सबब हो।

अल्लाह व रसूल ने मुसलमानों को जो आदाबे मजलिस सिखाए उनमें से चन्द आदाब यह हैं :-

१. जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग बैठे हों और बाद में मज़ीद कुछ लोग आयें तो जहां बेतकल्लुफ़ जगह मिल

Scanned by CamScanner

जाये बैठ जायें।

२. पहले से बैठे हुओं को इसका लिहाज़ रखना चाहिए कि वह खुद नए आने वालों को जगह दें और खुद सिमट कर उनके लिए कुशादगी पैदा करें और इतनी शाईसतगी बाद में आने वालों में होनी चाहिए कि वह मजमे को चीर कर, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश न करें और खाह मखाह अन्दर न घुसें।

३. कोई शख्स किसी को उठा कर उसकी जगह बैठने की कोशिश न करे चूंकि इससे गुरूर व नख़वत और अपनी बरतरी का एहसास पैदा होता है और दूसरों के दिल में उससे कदूरत बढ़ती है।

४. अगर कोई शख़्स मजलिस में एक जगह बैठा था और किसी ज़रूरत से खुद उठ कर चला गया तो पलटने के बाद वही उस जगह का मुस्तहिक है दूसरा उस जगह नहीं बैठ सकता।

५. किसी शख़्स के लिये यह हलाल नहीं है कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बग़ैर घस जाये कि इससे तकददुर और वहशत व नफ़रत पैदा होती है।

६. रास्ता व आम गुज़रगाहों को मजलिस का रंग न देना चाहिए। क्योंकि यह वक़ार के खिलाफ है लेकिन अगर ज़रूरत मजबूर करे तो चन्द अख़्लाकी बातों की पाबन्दी करनी चाहिए। मसलन निगाह नीची रखें। आने जाने वालों को न तकें। ज़ररररिसां चीज़ें राह से हटा दें। रास्ता भटकते हुओं को रास्ता दिखायें और मदद के ख़्वास्तगार और मुसीबत के मारे हुओं की मदद करें।

७. मजलिस में जो मोअज़्ज़िज़ जगह हो वहां बैठने की अज़ खुद कोशिश न की जाये। किसी दूसरे के यहां जाये तो भी उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी खास जगह पर न बैठे। और वह खुद बिठाये तो

ख्वाह मख्वाह इन्किसारी की आड़ न ले।

८. मजलिस में बैठ कर काना फूसी न करें। ख़सूसन जब कि दूसरे यह समझें कि आप उन्हीं की निसबत कुछ कह रहे हैं।

९. मजलिस की राज़ की बातों को बरमला बयान नहीं करना चाहिए।

१०. इन्सान पर सब से ज़्यादा असर सोहबत का पड़ता है। इसलिए जिनके अख़्लाक़ व आदात और अक़ायद व ख़्यालात, क़ाबिल एतबार न हों वहां हरगिज़ न जाये बुरी बात को दिल में जमते और ख़्यालात पलटते कुछ देर नहीं लगती।

११. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया चन्द कलिमात हैं कि जो शख़्स मजलिस से फ़ारिग़ होकर उनको तीन मर्तबा कह लेगा अल्लाह तआला उसके गुनाह मिटा देगा। और जो शख़्स मजलिस ख़ैर व मजलिस ज़िक्र में उनको कहेगा तो अल्लाह तआला उसके लिए उस ख़ैर पर मुहर कर देगा जिस तरह कोई शख़्स अंगूठी से मुहर करता है वे यह हैं:-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۝ (ابو داؤد)

और हाकिम की रिवायत में है कि जो लोग देर तक किसी जगह बैठे और बग़ैर ज़िक्र ख़ुदा किए और बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ पढ़े, वहां से मुतफ़र्रिक़ हो गये। उन्होंने नुक़्सान किया। अगर अल्लाह चाहे अज़ाब दे और चाहे तो बख़्श दे।

Scanned by CamScanner

गुफ़्तगू और मुलाक़ात के आदाब

१. अज़ीजों क़रीबों रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाली औरतों को अपनी सहेलियों से मुलाक़ात के वक़्त चेहरे से ख़ुश दिली और मुसर्रत ज़ाहिर करनी चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के सामने, यह भी एक सदक़ा है।

२. मुलाक़ात के वक़्त सबसे पहले जो कलिम' मुंह से निकले वह मुहब्बत और अमन व सलामती का पैग़ाम हो या'नी सलाम यह ज़िक्र व इबादत भी है। और दुआ व ख़ैर ख़्वाही का ही कलिमा भी।

३. जिस को सलाम किया जाये उस पर अख़्लाक़न फ़र्ज़ है कि सलाम का जवाब दे।

४. आने वाला अगर महबूब व मोहतरम और दीनी अज़मत व शख़्सीयत वाला हो तो उसे आते देख कर जोशे मुहब्बत ख़ुश अक़ीदत में खड़ा हो जाना भी कमाल अदब है।

५. इस क़िस्म के मौक़ों पर ख़ुश आमदीद के अल्फ़ाज़ मसलन मर्हबा कहने की भी मिसाल शरीअत में मौजूद है फिर इससे उन्स भी बढ़ता है।

६. मुलाक़ात या किसी और काम के लिए किसी के घर में जाने के लिए साहब ख़ाना से इजाज़त लेना भी ज़रूरी है और उसका असल मक़सूद यह है कि इन्सान बाज़ औक़ात ऐसी हालत में होता है कि वह उस हालत में दूसरों से मिलना पसन्द नहीं करता।

७. ख़ुद अपने घर के अन्दर भी सलाम करके अन्दर जाना चाहिए। उससे बरकत के अलावा यह फ़ायदा होगा कि अगर वे औरतें बे तकल्लफु की हालत में होंगी या और कोई ऐसी ही बात होगी तो

Scanned by CamScanner

घर वाले होशियार हो जायें।

८. मुलाकात के वक़्त या आते जाते ऐसे फिक्रे न कहें जिन में कोई तअन छिपा हो या किसी की तहक़ीर निकलती हो।

९. औरतों को जब नामहरम मर्दों से गुफ़्तगू की ज़रूरत पेश ही आ जाये तो बात में और लहजे में ऐसी नज़ाकत और लोच न हो कि सुनने वाले के जज़्बात में इशतआल पैदा हो और उसके दिल में बुरे ख़्यालात आयें।

१०. गुफ़्तगू बकद्र ज़रूरत बवक़्ते ज़रूरत मतानत व संजीदगी और नर्मी से करनी चाहिए। इससे बड़े फ़ितनों का मुंह बन्द हो जाता है।

११. ज़बान को तोड़ मरोड़ कर, चबा कर, ख़्वाह मख़ाह बढ़ा चढ़ा कर बातें करना इन्सान के वक़ार को भी खत्म करता है और बाज़ औक़ात तकलीफ़ देह भी बन जाता है।

१२. अपनी कहे जाना, दूसरों की न सुनना, खुद बीनी भी है और थुड़ दिली भी।

१३. दूसरा अगर उसके सामने उसकी तारीफ़ करे तो उसके खिलाफ़ बातें हों या वह बदकलामी से पेश आयें या नापसन्दीदा हरकतें करें तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और उसकी मदद चाहे और पनाह मांगे और इस्तग़फ़ार करे कि नामालूम किस गुनाह की पादाश में ऐसा सामने आया।

१४. फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करना वक़ार की निशानी है और बे मौक़ा चीख़ कर बातें करना हिमाक़त की दलील है। लिहाज़ा बात की जाये तो आहिस्तगी से और बज़रूरत। हदीस शरीफ़ में है कि "आदमी के इस्लाम की खुबियों में से एक

Scanned by CamScanner

यह है कि जिस चीज़ से उसे मतलब न हो उसे छोड़ दे।

सोने के आदाब

१. सोने से पहले खाने पीने के बर्तन ढांक देना चाहिए। हदीस शरीफ़ में आया है कि ढांको नहीं तो यही करो कि उस पर कोई चीज़ आड़ी करके रख दो।

२. दरवाज़े बन्द कर दो और चिराग़ बुझा दो कि कभी चूहा बत्ती घसेट कर ले जाता है और घर जल जाता है। यूंही आग भी बुझा देना चाहिए।

३. दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ कर बन्द किया जाये कि शैतान न खोल सकेगा।

४. आप के सोने का वक़्त आया तो एहतियात का तक़ाज़ा यह है कि बिस्तर को झाड़ लिया जाये। वहां कोई मूज़ी छुपा बैठा हो और नुक़्सान पहुंचाए।

५. मुस्तहब यह है कि बतहारत सोये। कुछ देर दाहिनी करवट पर, दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रख कर क़िबला रू सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर।

६. सोते वक़्त क़ब्र में सोने को याद करे वहां तन्हा सोना होगा। अपने आमाल के सिवा कोई साथ न होगा न कोई मोनिस व ग़मख़्वार।

७. सोते वक़्त गादे खुदा में मशगूल हो। तहलील (ला-इला-हा इल्लल्लाह) व तस्बीह (सुब्हानल्लाह) व तहमीद (अलहम्दुल्लिाह) और आयतल कुर्सी, चारों कुल एक एक बार पढ़ कर सो जाये कि जिस हालत पर इन्सान सोता है उसी पर उठता है और जिस हालत पर मरता है क़ियामत के दिन उसी पर उठेगा।

Scanned by CamScanner

८. पेट के बल न सोये कि यह तरीका खुदा को पसन्द नहीं।

९. ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिस पर मुन्डेर या जाली या कोई और रुकावट न हो। क्योंकि ऐसी हालत में ज़मीन पर गिर पड़ने का अन्देशा है।

१०. अलस्सुबह बेदार हो और आंख खोलते ही खुदा को याद करे और यह दुआ पढ़े।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ ۝

(तमाम हम्द अल्लाह के लिए जिसने हमें (उस आरज़ी मौत यानी) नींद के बाद ज़िन्दगी दी और आखिर उसी की तरफ़ लौट कर जाना है।)

११. दिन के इब्तदाई हिस्सा में सोना, या मग़रिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है। और हदीस शरीफ़ में आया है कि जो शख्स अस्र के बाद सोये और उसकी अक़्ल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे।

१२. बेदार होने और दुआ वग़ैरह से फ़ारिग़ होते ही यह अज़्म (पक्का इरादा) कर ले कि वह परहेज़ गारी और तक़्वा पर गुज़ारेगा किसी को सतायेगा नहीं।

ख़ुशी और ग़म के आदा

१. जब कोई मुसर्रत व खुशी हासिल हो। मसलन माल द दौलत मिले। इल्म व फ़ज़्ल की डिगरी हासिल होने, किसी ओहदा व मनसब तक पहुंचे या किसी शादी ब्याह करने या किसी अहम काम से फ़रागत नसीब होने पर आदमी मसरूर व मुतमईन हो तो सब से पहले खुदावन्द

Scanned by CamScanner

कुद्दूस का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसी की तौफ़ीक़ और उसी के फ़ज़्ल व करम से यह ख़ुशी नसीब हुई और बतहारत सज्दा व शुक्र बजा लाये। या दोगाना तहीयत अदा करे तो ज़हे नसीब।

२. सफ़र से वापस होने के बाद भी इन्सान को वतन में पहुंचने की मुसर्रत होती है उस मौक़ा पर हस्ब तौफ़ीक़ अइज़्ज़ा व अहबाब की दावत की जा सकती है कि वह भी उस मुसर्रत में शरीक हों।

३. दूर दराज़ के सफ़र बिलख़सूस सफ़र हज से आने वालों के इस्तकबाल की तैयारियां करना और जायज़ तौर पर उसका एहतमाम करना भी शरअन महबूब व मतलूब है।

४. शादी ब्याह में दोस्तों और अज़ीजों की दावत और दावत को कुबूल करना दोनों मसनून हैं जिससे जो कुछ हो सके और जितना हो सके अज़ीज़ों और दोस्तों को इस पर खिलायें।

५. इसी तरह दोस्तों अज़ीज़ों को ऐसी ख़ुशियों के मौक़ों पर तोहफ़ा तहाइफ़ भेजना, आपस में मुहब्बत बढ़ाता है तो जिस से जो बन पड़े उसमें दरीग़ न करे।

६. आदाबे ताज़ीयत हिस्सा अव्वल में देखें-

इस सिलसिले में हम चन्द अहादीस और उनकी तशरीह पेश करते हैं:-

१. ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं। ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं। ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं। (यह तीन बार इरशाद फ़रमाया) अर्ज़ की गई कौन "या रसूलुल्लाह। फ़रमाया वह शख़्स कि उसके पड़ौसी उसकी आफ़तों से महफ़ूज़ न हों।

२. वह शख़्स जन्नत में नहीं जायेगा जिसका पड़ौसी उसकी आफ़तों से अम्न में नहीं है। (मुस्लिम)

Scanned by CamScanner

३. पड़ौसियों में अल्लाह तआला के नज़दीक वह बेहतर है जो अपने पड़ौसी का ख़ैर ख़्वाह हो। (तिर्मिज़ी)

४. जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह अपने व अपने पड़ौसी का एहतराम करे। (हाकिम)

५. मोमिन वह नहीं जो ख़ुद पेट भर खाए और उसका पड़ौसी उसके पहलू में भूखा रहे। यानी मोमिन कामिल नहीं। (तबरानी)

इन अहादीस करीमा से साफ़ रोशन है कि हमसायों के साथ मुहब्बत व यगानगत से पेश आना, उसकी इज़्ज़त बढ़ाना, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना और हर हाल में उस का ख़ैर ख़्वाह रहना ईमान व कामिल ईमान और रसूल की महबूबियत की अलामत है। इसीलिए ऐसे के लिए जन्नत के दरवाज़ खुले हुए हैं।

पड़ौसीयों में मुहब्बत की तरक्क़ी और ताल्लुकात की इस्तवारी का बेहतरीन ज़रिया बाहम हदयों तोहफ़ों का तबादला है। उसके लिए मामूली खाने पीने की चीज़ें भी कार आमद हैं।

उन तोहफ़ों के भेजने या कुबूल करने का मौक़ा औरतों को ज़्यादा पेश आता है, इसलिए औरतों को खसूसन यह तालीम दी गई कि कोई पड़ौसी औरत दूसरी पड़ौसी के लिए किसी हदिया को हक़ीर न समझे अगरचे बकरी का खुर ही क्यों न हो।''

यह नसीहत दोनों बीबीयों के लिए हैं। यानी न तो भेजने वाली यह ख़्याल करे कि इतनी मामूली चीज़ क्या भेजूं और न दूसरी को यह ख्याल आये कि इतना हक़ीर तोहफ़ा क्यों कुबूल करूं। दोनों में से कोई उस तोहफ़ा को हक़ीर न जाने।

एक हदीस शरीफ़ में है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह फलां औरत के मुताल्लिक ज़िक्र किया जाता है कि

Scanned by CamScanner

नमाज़ रोज़ा कसरत से करती है मगर यह बात भी है कि वह अपने पड़ौसीयों को ज़बान से तक्लीफ़ देती है। फ़रमाया "जहन्नम" में है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह फ़लां औरत के मुताल्लिक ज़िक्र किया जाता है कि उसके नमाज़ रोज़ा व सदक़ा में कमी है। (यानी रोज़ा, नफ़िल, नमाज़ें और सदक़ा कम करती है) मगर अपनी ज़बान से पड़ौसीयों को ईज़ा नहीं देती। फ़रमाया जन्नत में है।

औरतें इस हदीस को ग़ौर से पढ़ कर हमेशा के लिए ज़ेहन नशीन कर लें। बाज़ अहादीस में पड़ौसीयों के यह हक़ूक़ इरशाद फ़रमाए गए हैं:–

१. जब वह मदद मांगे तो उसकी मदद करो।

२. जब कोई चीज़ तलब करे तो उसे क़र्ज़ दो।

३. जब वह मोहताज हो तो उसकी हाजत पूरी करो।

४. जब वह बीमार हो तो उसकी इयादत करो।

५. जब उसके यहां कोई ख़ुशी की बात हो तो मुबारक बाद दो।

६. जब वह बिला वजह ग़म में हो तो उसकी ताज़ीयत को जाओ।

७. जब वह मर जाये जो जनाज़ा के साथ जाओ।

८. बग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बुलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो।

९. मेवे खरीदो तो उसके पास भी हदिया करो।

१०. अपनी हांडी से उसे ईज़ा न दो। कुछ उसे भी दो।

फिर (हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि पड़ौसी तीन किस्म के हैं। बाज़ के तीन हक़ हैं। बाज़ के दो और बाज़ के सिर्फ़ एक।

जो पड़ौसी मुसलमान हो और रिश्तेदार भी उसके तीन हक़ हैं हक़ हमसायगी हक़ इस्लाम और हक़ क़राबत, और जो पड़ौसी मुसलमान के रिश्तेदार नहीं उसके दो हक़ हैं हक़ हमसायेगी और हक़ इस्लाम और पड़ौसी ग़ैर मुस्लिम का सिर्फ़ एक हक़ है हक़ हमसायेगी।

व लिहाज़ा उलमा फ़रमाते हैं कि काफ़िर पड़ौसी को भी नाहक़ न सताया जाये, मसलन हिन्दू है तो मुसलमान को यह न चाहिए कि गोश्त खा कर उसकी छत पर या उसके घर के सामने उसे ईज़ा पहुंचाने के लिए हड्डियां डाले।

मुतफ़र्रिक़ आदाब

रोज़ मर्रा ज़िन्दगी के आदाब से मुताल्लिक़ यह बात उसूली तौर पर पेश नज़र रखनी चाहिए कि मुसलमान मर्द ख्वाह औरत की जिस्मानी कैफ़ियत व हालत में ऐसी कोई तब्दीली न हो तहज़ीब व वक़ार के मनाफ़ी हो या उस हालत को बरक़रार रखना लोगों में नफ़रत व कराहत पैदा करे और उसे देख कर लोगों में नागवारी का रद्देअमल हो। मसलन–

जमाही लेने में जबकि इन्सान का मुंह खुल जाता है और उसके मुंह से हाहा की नागवार आवाज़ निकलती है तो चेहरे की क़ुदरती हैयत बदल कर मज़हका खेज़ शक्ल पैदा हो जाती है और हाथ में हाथ डाल कर ऊपर की जानिब ज़ोर लगाना और भी बदशकल बना देता है और बिलखसूस औरतों का जिस्मानी उभार उसे और भी शर्मनाक बना देता है। इसलिए शरीअत इस्लामिया ने हुक्म दिया कि जमाही आये तो उसे रोकना मुस्तहब है। अगर रोके से न रुके तो

Scanned by CamScanner

होंट को दांतों से दबाए और उस पर भी न रूके तो दाहिना या बायां हाथ मुंह पर रखदे या आस्तीन से मुंह छुपा ले।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जमाही शैतान की तरफ़ से है। जब तुम में से किसी को जमाही आये तो जहां तक मुमकिन हो रोके। बाज़ रिवायतों में है कि शैतान मुंह में घुस जाता है। बाज़ में है "शैतान देख कर मुस्कुराता है। उलेमा फ़रमाते हैं कि जो जमाही में मुंह को खोल देता है। शैतान उसके मुंह में थूक देता है और वह जो काह काह की आवाज़ आती है वह शैतान का कहकहा है कि उसका मुंह बिगड़ा देख कर ठट्ठा लगाता है और वह जो रतूबत निकलती है वह शैतान का थूक है। जमाही रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि, जब मालूम हो तो दिल में ख्याल करे कि अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम उससे महफ़ूज़ हैं फ़ौरन रुक जायेगी। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

२. जमाही के बरखिलाफ़, छींक का अमल, बदन के हल्के फुल्के होने, मसामात जिस्म के खुलने और बहुत ज़्यादा न खाने की अलामत और शिफ़ा का ज़रिया है। इसीलिए शरीअत ने हुक्म दिया कि वह अलहम्दुलिल्लाह कहे और दूसरे उसके जवाब में "यर रहमकुल्लाह" कहें ताहम बाज़ औक़ात इस हालम में नाक से बलग़म या मुंह से लुआब निकल आता है। इसलिए छींकते वक़्त मुंह को हाथ या कपड़े से ढांक कर सर झुका लेना और कोशिश करना चाहिए कि उसकी आवाज़ पस्त हो और दूसरों की नागवारी का बाइस न बने।

३. आम मजमे में अंगड़ाई और डकार लेना बुरी बात मअयूब और ग़ैर पसन्दीदा हरकत है हदीस शरीफ़ में है कि एक शख़्स ने आप के सामने डकार ली तो आप ने फ़रमाया कि अपनी डकार को

रोके। क्योंकि जो लोग दुनियां में बहुत पेट भर लेते हैं वह आख़िरत में सब से ज़्यादा भूखे रहेंगे। (तिर्मिज़ी)

४. कहकहा मार कर हंसना यूं भी पसन्दीदा नहीं और महफ़िल में बिलख़सूस जबकि उसमें दीनी व दुनियावी व वजाहत वाले शरीक हों और ज़्यादा ना पसन्दीदा और मोअज़्ज़मान दीनी के रूबरू इस तरह हंसना ख़िलाफ़ अदब है और ज़्यादा नापसन्दीद तर।

५. बिला ज़रूरत कमर पर हाथ न रखें।

६. थूकने की ज़रूरत हो तो क़िबला रू हरगिज़ न थूके न दायें जानिब बल्कि बायें जानिब थूके। और पान की पीक थूके तो इसका ख़्याल रखें कि पीक के अजज़ा उस पर या किसी और पर न उड़ें।

७. पाजामा कभी खड़े होकर न पहनें और मर्द बैठ कर अमामा न बांधे। हदीस शरीफ़ में है कि वह ऐसे मर्ज़ में गिरफ़्तार होगा जिसका इलाज नहीं। मौलाए करीम अपनी पनाह में रखे, और आफ़ियत दे।

८. ख़्वाब की ताबीर हमेशा किसी सालेह और आलिमे दीन से पूछे और अपना ख़्वाब हर एक से बयान न करे। वरना नुक़्सान का अन्देशा है।

९. दीन व दुनिया का कोई काम करो उसके मुताल्लिक अहलुर्राए से मशवरा कर लो कि दीन व दुनिया में बरकत का मोजब है।

१०. मुसलमान मुर्दों को कभी बुराई से याद न करो वह गुज़र चुके और तुम्हारा दामन अबतक दुनिया की अलाईशों में मुलव्विस है।

११. बुराई सरज़द हो जाये तो कोई नेक काम कर लो कि यह नेकी उस बुराई को मिटा देगी और नेक काम करके इतराओ मत कि सब अकारत जाए।

Scanned by CamScanner

१२. नये महीने का चान्द नज़र आए तो फ़ौरन दरूद शरीफ़ पढ़ो और दुआ मांगो और कोशिश करो कि नज़र किसी अच्छी सूरत या प्यारी चीज़ पर पड़े।

१३. जब कोई शख्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बातचीत।

१४. किसी के दरवाज़े पर जाकर आवाज़ दे और वह पुछें कि "कौन' तो उसके जवाब में यह कहे कि "मैं'' जैसा कि अमूमन लोग कह दिया करते हैं। इस जवाब को हुजू र अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नापसन्द फ़रमाया है। बल्कि जवाब में अपना नाम ज़ाहिर करे क्योंकि "मैं'' का लफ़्ज़ तो हर शख्स अपने लिए कह सकता है। यह जवाब ही कब हुआ।

१५. साहबे खाना ने इजाज़त न दी या फ़र्ज़ करो कि मकान से कोई जवाब न मिला तो यह नराज़गी की बात नहीं। हो सकता है कि उस वक़्त किसी खास काम में मशगूल हो या उसे उस वक़्त मिलना उसकी किसी जायज़ मसलिहत के बरख़िलाफ़ हो।

१६. किसी भी हालत में अपने ऊपर और अपनी औलाद व अमवाल पर बद दुआ न करो। कहीं ऐसा न हो कि यह बद दुआ ऐसी साअत में हो जिसमें जो दुआ खुदा से की जाए कुबूल होती है। (हदीस शरीफ़)

१७. रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा बुरा कियामत के दिन उसे पाओगे जो दोरुखा यानी मुनाफ़िकों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ यह नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे। (बुख़ारी)

१८. सिला रहमी यानी रिश्ता वालों से नेकी और सुलूक करना,

Scanned by CamScanner

इसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। उनको तोहफ़ा देना हदिया भेजना। किसी काम में उन्हें तुम्हारी इआनत व इमदाद दरकार हो तो उसमें कोताही नहीं करना बल्कि उस काम में मकदूर भर उनकी मदद करना। उन्हें सलाम करना उनकी मुलाक़ात को जाना उनके पास उठना बैठना, उनसे बात करना और उनके साथ लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आना, और ख़ुद परदेस में हो तो उनके साथ ख़त व किताबत जारी रखना ताकि बे ताल्लुकी पैदा न हो और हो सके तो वतन आये और रिश्तदारों से ताल्लुकात ताज़ा करे। इस तरह करने से मुहब्बत में इज़ाफ़ा होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

१९. बाप के बाद दादा और बड़े भाई का मर्तबा है कि बड़ा भाई बाप ही होता है। बड़ी बहन और ख़ाला, मां की जगह पर हैं। बाज़ उलमा ने चचा को बाप की मिस्ल बताया। (रददुलमुहतार)

२०. सिला रहमी उसी का नाम नहीं कि वह जो सुलूक करे तो तुम भी करो। यह चीज़ तो मकाफ़ात यानी अदला बदला है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेजदी तुम ने उसके पास भेज दी वह तुम्हारे यहां आया तुम उस के पास चले गए हकीकतन सिलारहमी यह है कि वह काटे और तुम जोड़ो वह तुम से जुदा होना चाहता है और तुम उसके साथ रिश्ता के हकूक की रियायत करो। (रददुलमुहतार)

२१. मैले कपड़े कि उन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। बे मसरफ़ जान कर इधर-उधर न फेंके जायें कि आख़िर मसरफ में लाना है। उन्हें एहतियात से एक जगह जमा रखें ताकि बवक़्त ज़रूरत आसानी से दस्तियाब हो जायें। बाज़ बुजुर्गोंने दीन की तरफ़ यह बात मंसूब है कि वह उस शख़्स की शफ़ाअत करेंगे जो मैले कपड़े एहतियात से रखेगा।

Scanned by CamScanner

२२. ख़ुददारी, इज़्ज़त नफ़्स और शरीफ़ाना रख रखाव का दूसरा नाम है। लेकिन इस एहतियात के साथ कि ओछापन या तुनक मिज़ाजी या ग़ुरूर व नुमाईश की बू तक न आये।

२३. जब ख़ुदा ने माल दिया है तो उसके फ़ज़्ल व करम और एहसान व नेअमत का असर अहले ख़ाना और तुम्हारे जिस्म पर भी ज़ाहिर होना चाहिए। अच्छा खाओ पियो घर में शौहर के लिए बन संवर कर रहो फोहड़पन, बदसलीक़गी से दूर भागो कि यह बद बला है।

२४. उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि रसुलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कौन सा अमल नेक, सबसे ज़्यादा महबूब था। फ़रमाया "वह नेकी जिस पर मदामत की जाये यानी उसे हमेशा जारी रखा जाये ख़ुद हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा के नज़दीक सबसे बेहतर अमल वह है जिसको हमेशा किया जाये अगरचे वह थोड़ा हो। (बुख़ारी)

२५. एक मुसलमान के लिए इस्लाम और ईमान की नेमत व इज़्ज़त वह दौलत है जिसके मुक़ाबला में सारी नेमतें और दौलतें हेच हैं। लिहाज़ा कोशिश करो कि हत्तलइमकान कोई काम कोई हरकत इस्लाम के मुनाफ़ी सरज़द न हो और ख़िलाफ़ शरअ कोई क़दम न उठे।

असबाबे फ़िक्र व तंगदस्ती

(माख़ुज़ अज़ मामूलात मशाईख़ मतबूआ देहली व दौलते बे ज़वाल वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

कुतुब मुतदावला में जो असबाब कि इन्सान को मुफ़लिस कर देते हैं। बकसरत लिखे हैं। चुंकि एहसाए और शुमार इस मुख़्तसर रिसाला में दुशवार है। इसलिए लब्बे लबाब के तौर पर इख़्तिसार के साथ दर्ज किये जाते हैं। उसे कुतब मोतबर का इन्तख़ाब समझना चाहिए। हक़ तआला सब मुसलमानों को उस बलाए नागहानी से निकाले और उनके अक़वाल व अफ़आल अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ कर दे और मुझ को और इस रिसाला के नाज़िरीन और जुमला मुसलिमीन व मुसल्लिमात को अपनी रहमत कामिला से नवाज़े आमीन''

फ़क़ीर क़ादरी अर्ज़ करता है कि उन असबाब में वे भी हैं जिन का ज़िक्र कुरआन व हदीस में मिलता है और अक्सर और बेश्तर वे हैं जो अकाबिर मिल्लत व रहनुमायाने शरीअत ने अपने अपने मुशाहिदे और तजुर्बे से दरयाफ़्त किये। तो जो इन असबाब से अपने आप को दूर रखेगा ख़ुद ही फ़ायदा उठायेगा और जो उनमें मुलव्विस होगा वह ख़ुद देख लेगा कि उसने क्या खोया क्यों कर खोया।

हां आदमी यह कभी न भूले के मौअस्सिर हकीकी अल्लाह अज़्ज़ोजल है और हर नफ़ा व नुक़सान की कुंजी उसी के दस्त कुदरत में है वह जो चाहे करे उससे कोई बाज़ पूर्स करने वाला नहीं।

वह असबाब यह हैं:-

१. झूठ बोलना

२. ज़िना करना।

३. गुनाहों में मशगूल रहना।

Scanned by CamScanner

४. झूठी क़समें खाना।

५. जनाबत में खाना खाना

६. बरहना पेशाब करना

७. शब में झाड़ू देना खसूसन कपड़े से झाड़ना

८. नाखुन दांत से तराशना

९. पाजामा या दामन या आंचल से मुंह पोंछना

१०. फक़ीरों से रोटी के टुकड़े खरीदना

११. खड़े होकर पाजामा पहनना

१२. बैठ कर दस्तार यानी अमामा बांधना

१३. खुश्क बालों में कंघी करना या खड़े हो कर बाल काढ़ना।

१४. शकिसता कंघा इस्तेमाल करना।

१५. मां बाप का नाम लेकर पुकारना

१६. मिक़राज़ (कैंची) से मोये ज़ेरे नाफ़ कांटना

१७. चालीस रोज़ से ज़्यादा ज़ेरे नाफ़ के बाल रखना।

१८. बुजूर्गों के आगे चलना।

१९. दरवाज़े पर बैठने की आदत करना।

२०. लहसुन प्याज़ के पोस्त जलाना।

२१. मकड़ी के जाले दूर न करना।

२२. जूं को ज़िन्दा छोड़ना

२३. नमाज़ में काहिली करना

२४. फटे हुए कपड़े को न सीना

२५. फज्र की नमाज़ पढ़ कर मस्जिद से जल्द निकल आना

२६. सुबह के वक़्त सोना।

२७. औलाद पर बावजूद मालदारी, तंगी करना।

Scanned by CamScanner

२८. बग़ैर हाथ धोये खाना खाना

२९. खाने के बाद बर्तन साफ़ न करना

३०. अहल व अयाल से लड़ते रहना.

३१. मय्यत के क़रीब बैठ कर रोना।

३२. खिलाल करते वक़्त जो रेशा निकले उसे फिर मुंह में रख लेना।

३३. हर क़िस्म की लकड़ी से खिलाल करना।

३४. खाने पीने के बर्तन खुले हुए रखना।

३५. चिराग़ मुंह की फूंक से बुझाना।

३६. बाज़ार में सबसे पहले जाना और बाद में आना।

३७. औंधे जूते को देखना और उसको सीधा न करना। दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि अगर रात भर जूता औंधा पड़ा तो शैतान उस पर आन कर बैठता है। वह उसके तख़्त हैं।

३८. बकरियों के गल्ले में घुस कर चलना। ख़सूसन शाम के वक़्त

३९. औलाद को गाली देना या ल़ानत करना।

४०. फक़ीर को झिड़क देना।

४१. बायां पावं पहले पाजामा में डालना और बायें हाथ की आस्तीन पहले पहनना।

४२. क़ब्रिस्तान में हंसना।

४३. कूड़ा करकट घर में जमा रखना।

४४. सुबह होते ही, खुदा व रसूल का नाम लिए, ज़िक्र किये बग़ैर, दुनियां में मशग़ूल हो जाना।

४५. मग़रिब और इशा के दरमियान सोना।

४६. गाने बजाने में दिल लगाना।

४७. बिला वजह शरअ अपनों से ताल्लुक़ात ख़त्म कर लेना।

४८. सिला रहमी न करना।

४९. जनाबत की हालत में नाखुन तराशना या सर मुंडवाना या मोए ज़ेर नाफ वग़ैरह साफ करना।

५०. ज़कात या सदक़ात वाजिब मसलन क़ुर्बानी व कफ़्फ़ारा क़सम वग़ैरह के अदा करने में बुख़्ल करना। या ख़्वाह मख़ाह उन्हें टालते रहना।

५१. बग़ैर हाजत सवाल करना

५२. अमानत में खयानत करना।

५३. अंधेरे में खाना खाना।

५४. मां बाप को ईज़ा देना।

५५. कुरआन पाक को बे वुज़ू हाथ लगाना।

५६. शब चहार शम्बा (बुद्ध की रात, या शब यक शम्बा (इतवार की रात में) बीबी से सोहबत करना। अगर इस सोहबत में हमल भी रहा तो बच्चा बे हया और बदनसीब पैदा होगा और हमेशा मुफलिस और हरीस रहेगा। (मौलाए करीम अपना फ़ज़्ल फरमाए ग़ालिबन इसी बिना पर सनीचर और मंगल के दिन, दुल्हन ब्याह कर नहीं लाते, बुजुर्गों और घर की बड़ी बुढ़ियों का यह अमल यह फ़क़ीर अपने बचपन से देखता आ रहा है।)

५७. क़हत की नीयत से ग़ल्ला रोकना कि और मंहगा होगा जब बेचेंगे।

५८. कुमार बाज़ी या गाने बजाने के आलात वग़ैरह घर में रखना हदीस शरीफ़ में है कि जिस घर में शराब और दफ़ और तंबूरा

Scanned by CamScanner

(सारंगी सितार वग़ैरह) हो उस घर के आदमियों की दुआ क़ुबूल न होगी और उस घर में रहमत के फ़रिश्ते का नुज़ूल न होगा।

५९. रास्ता में पेशाब करना और (बि सतरी हो तो हराम व गुनाह है।)

६०. हमेशा बेहूदा गोई मसख़रा पन और हज़लियात (मज़ाक़ दिल लगी) में मसरूफ़ रहना।

६१. नंगे सर खाना खाना।

६२. नंगे सर बैतुलख़ला में जाना।

६३. निकले हुए खाने में देर करना (कि खाना दस्तरख़ान पर उल्टा उनका इन्तिज़ार कर रहा है।)

६४. बरहना सर बाज़ार में फिरना और औरतों का नंगे सर रहना और अजनबियों के सामने उसी हालत में आना जाना हराम हराम हराम और सख़्त गुनाह है।

६५. सज्दा तिलावत न करना। या बा वुज़ू होते हुए उसमें देर लगाना।

६६. तिलावत करना कि दौरान आयते स ज्दा छोड़ कर आगे बढ़ना।

६७. दूसरे शख़्स का कंघा आरियतन मांग कर, इस्तेमाल करना। (ख़ुसूसन) साफ़ किये बग़ैर कि दूसरे के बाल उसके बालों में उलझें।

६८. हौज़ या तालाब या बहते पानी में पेशाब करना। उससे निसयान भी पैदा होता है। दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि पांच चीज़ों से भूल पैदा होती है। हौज़ वग़ैरह में पेशाब करना। राख पर पेशाब करना चूहे का झूठा खाना। क़िबला की तरफ़ मुंह करके पेशाब

Scanned by CamScanner

करना। ज़िन्दगानी हराम ख़ोरी में गंवाना बल्कि ग़ौर कीजिए तो यह आख़िरी एक मुसतक़िल बला व अज़ाब है।

६९. नहाने की जगह पेशाब करना

७०. बरहना हो कर सोना।

७१. सोते वक़्त पाजामा या तहबन्द सर के नीचे रख कर सोना। (दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि इससे ख़्वाब ख़ौफ़नाक नज़र आता है।)

७२. बिला ज़रूरत, बिस्तर के पास पानी का लोटा, या सिलफ़कची पेशाब के लिए रखना।

७३. नमाज़ क़ज़ा कर देना।

७४. मस्जिद में दुनिया की बातें करना।

७५. वुज़ू करते वक़्त दुनिया की बातें करना। (उस वक़्त दुआयें पढ़े या फिर ख़ामोश रहे।)

७६. बिला वजह शरई किसी के तोहफ़ा हदिया या नमाज़ को रद्द कर देना।

७७. रोटी को ख़्वार रखना (कि उसकी बेअदबी हो और पैरों में आए।)

७८. वुज़ू की जगह पेशाब या पेशाब की जगह वुज़ू करना।

७९. दरवाज़े पर बैठ कर कुछ खाना पीना (यह ख़िलाफ़े अदब भी है और क़ाबिल नफ़रत भी।)

८०. उस्ताद की अज़मत व तौक़ीर में कमी करना कि मआज़अल्लाह उसकी तौहीन है।

८१. मिट्टी या चीनी के शकिस्ता बर्तन इस्तेमाल में रखना ख़्वाह उससे पानी पीना।

Scanned by CamScanner

८२. शकिस्ता या गिरहदार क़लम से लिखना।

८३. क़लम का तराशा इधर उधर डाल देना कि पैरों में आए।

८४. मेहमान को हिक़ारत से देखना और उसके आने से नाख़ुश होना।

८५. बैतुलख़ला में बातें करना या वहां किसी दीनी बात में ग़ौर व ताम्मुल करना।

८६. मर्दों को छोटा इस्तिंजा करते वक़्त आम गुज़रगाह पर टहलना और बातें करना।

८७. बग़ैर बुलाए दावत में जाना।

८८. चार पाई पर दस्तरख़ान रखे बग़ैर खाना खाना।

८९. चार पाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना पाईन्ती रखना।

९०. दांतों से रोटी कतरना।

९१. दांतों को बिला वजह कपड़े से मलना जैसे मिसवाक करते हैं।

९२. जुल्म करना किसी को नाहक़ ईज़ा देना अगरचे जानवर को।

९३. गुनाह के कामों में ज़िद करना और अपनी बात पर अड़ जाना।

९४. जिस बर्तन में खाना खाया है उसी में हाथ धोना।

९५. कुरआन शरीफ़ घर में मौजूद होते हुए न पढ़ना।

९६. मां बाप, उस्ताद, मुर्शिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करना।

९७. दरवाज़े की देहलीज़ पर तकिया लगाना या सर रख कर सोना।

९८. सब्ज़ दरख़्त काट कर उसकी लकड़ियां फ़रोख़्त करना।

Scanned by CamScanner

९९. बिला ज़रूरत जानवर ज़िबह करने का पेशा अख़्तियार करना।

१००. सही रिश्ता मिलने के बावजूद जवान लड़कियों का न ब्याहना।

"मामूलाते मशाईख़" से यह हम ने जो कुछ नक्ल किया इस सिलसिले में यह बता देना भी मुफ़ीद और कारआमद होगा कि अहकामे शरीअत के ख़िलाफ़ क़दम बढ़ाना अपने लिए बरकतों के दरवाज़े बन्द करना और नुहूसत व इफ़्लास और फ़िक्र व तंगदस्ती को दावत देना है।

इस तक़दीर पर और बहुत लोग ऐसे निकल सकते हैं कि दानिस्ता, मुज़र्रतों में गिरते और फिर बलाओं में घिर कर ख़ुद कर्दा का इलाज ढूंडते हैं। दुआयें करते हैं और इस बाब में दुआयें उनके हक़ में क़ुबूल नहीं होतीं। सबब ज़ाहिर है कि यह काम ख़ुद उन्होंने अपने हाथ से किए हैं।

मसलन हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं:-

तीन शख़्स अल्लाह तआला से दुआ करते हैं और उनकी दुआ क़ुबूल नहीं होती।

एक वह जिस के निकाह में कोई बद ख़ुल्क़ औरत हो और वह उसे तलाक़ न दे।

दूसरा वह जिसका किसी पर कुछ आता था और उसके गवाह न करे।

तीसरा वह जिसने बेवक़ूफ़ बे अक़ल को माल सुर्पुद कर दिया हालांकि अल्लाह तआला फ़रमाता है।

Scanned by CamScanner

सफीहों को अपना माल न दो। (हाकिम)

एक और हदीस शरीफ़ में ऐसे ही तीन और इर्शाद फ़रमाए-

एक वह कि वीराने मकान में उतरे।

दूसरा वह मुसाफिर कि सरेराह मक़ाम करे यानी सड़क से बच कर न ठहरे।

तीसरा वह जिसने ख़ुद अपना जानवर छोड़ दिया। अब ख़ुदा से दुआ करता है कि उसे रोक दे। (तबरानी)

तो यह छः हुए जिन की निस्बत तसरीह फ़रमाई कि इनकी दुआ कुबूल नहीं होती।

और ज़ाहिर है कि जब दुआ कुबूल न होगी बरकत जायेगी, परेशानी आयेगी इज़तरार और बेक़रारी में इज़ाफ़ा होगा और इफ़लास व तंगदस्ती मुंह चिढ़ायेगी और इन उमूर में अदम कुबूल का सबब ज़ाहिर कि यह काम ख़ुद अपने हाथों किये हैं।

वीराने मकान में उतरने वाला उसकी मुज़र्रतों से आगाह है। फिर अगर वहां चोरी हो या कोई लूट ले या जिन्न ईज़ा पहुंचायें तो यह बातें ख़ुद उसकी कुबूल की हुई हैं। अब क्यों उनकी रफ़अ की दुआयें करता और घबराता है।

यूंही जब रास्ता पर क़ियाम किया तो हर क़िस्म के लोग गुज़रेंगे। अब अगर चोरी हो जाये या हाथी घोड़े के पांव या किसी और सवारी से नुक़सान पहुंच जाये या रात को सांप वग़ैरह से ईज़ा पहुंचे तो उसका अपना किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं शब को सरे राह न उतरो कि अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ से जिसे चाहे राहे राह पर फैलने की इजाज़त देता है। ज़ाहिर है कि उसकी ख़िलाफ़ वरज़ी नुहूसत ही लायेगी। और

Scanned by CamScanner

जानवर बल्कि अपने किसी भी माल को बिला हिफ़ाज़त बे एहतियाती से छोड़ कर यह दुआ करना कि अल्लाह उसकी हिफ़ाज़त कर ज़ाहिर हिमाक़त है। क्या वाहिदे क़हार को आज़माना या माअज़अल्लाह उसे अपना महकूम ठहराता है।

और औरत की निस्बत सहीह हदीस से साबित कि टेढ़ी पसली से बनी है उसकी कजी हरगिज़ न जायेगी। सीधा करना चाहा तो टूट जायेगी और उसका टूटना यह है कि तलाक़ दे दी जाये पस या तो आदमी उसकी कजी पर सब्र करे या तलाक़ दे दे। यहं कि न तलाक़ देता है न सब्र करता है बल्कि बद दुआ देता है ख़्वाह ख़ुद को या औरत को और रोज़ रोज़ की कल कल से घबराया घबराया बोखलाया बोखलाया फिरता है। अब घर में नुहूसत न आयेगी तो क्या रहमत व बरकत की बारिश होगी।

और सफ़ीहा ना तजुर्बाकार, नाक़ाबिले एतमाद को माल देकर जब गवाह न किये तो ख़ुद अपना माल हलाकत में डाला। सफ़ीहा को देना बरबादी के लिए पेश करना है। फिर दानिस्ता मुज़र्रत में गिरकर हलाकत की दुआ मांगना हिमाकत नहीं तो और क्या है। ख़ुलासा यह है कि:-

(ख़ुद) ख़्वेशतन कर्दा इलाजे नीस्त

उलमाए किराम व सुफ़ियाए एज़ाम ने इस मौके की मुनासिबत से और भी ऐसे लोग गिनाए हैं जो ख़ुदकर्दा का इलाज ढूंडते हैं।

मसलन जो बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के रात को ऐसे वक़्त घर से बाहर निकले कि लोग सो गए हों पांव की पहचल रास्तों से मौक़ूफ़ होगयी।

सही हदीस में इससे मुमानिअत फ़रमाई कि उस वक़्त बलायें

मुन्तशिर होती हैं। या[३] रात को दरवाज़ा खुला छोड़ दे।

या बग़ैर[३] अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े बन्द करे कि शैतान उसे खोल सकता है और जब बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाहिना पांव मकान में रखे तो शैतान कि साथ आया था बाहर रह जाता है और जब बिस्मिल्लाह पढ़ कर दरवाज़ा बन्द करे तो उसके खोलने पर कुदरत नहीं रखता।

या खाने[४] पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह कह कर न ढांके कि बलायें उतरती और ख़राब कर देती हैं। फिर वह तआम व मशरूब बीमारियां लाते हैं।

या बच्चे[५] को मग़रिब के वक़्त बाहर निकाले कि उस वक़्त शयातीन मुन्तशिर होते हैं।

या खाने[६] से फ़ारिग़ होकर बे हाथ धोए सो रहे कि शैतान चाटता है और मआज़ल्लाह बर्स का बाइस होता है।

या गुस्लख़ाने[७] में पेशाब करे कि इससे वसवसा पैदा होता है।

या छज्जे[८] के क़रीब सोंए और छत पर रोक न हो कि गिर पड़ने का एहतमाल है।

या औरत[९] से हमबिस्तरी के वक़्त बिस्मिल्लाह न कहे कि शैतान शरीक हो जाता है और अपना अजूव उसके अजूव के साथ दाख़िल करता है जिसके बाइस बच्चा इंसान व शैतान दोनों के नुतफ़े से बनता और फिर बुरा तुख़्म बुरा ही फल लाता है।

या खाना[१०] बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाए कि शैतान साथ खाता और जो तआम चंद मुसलमानों को किफ़ायत करता एक ही के खाने में फ़ना हो जाता है।

या ज़मीन[११] के सुराख़ों में पेशाब करे कि कभी सांप वग़ैरह

जानवरों का घर या जिन्न का मकान होता है और इंसान ईज़ा पाता है।

या अपनी ख़्वाह[12] अपने दोस्त की कोई चीज़ पसंद आए तो उस पर नज़रे बद दूर करने की दुआ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

न पढ़े कि नज़रे हक़ है। मर्द को क़ब्र और ऊंट को रेग में दाख़िल कर देती है।

या तनहा[13] सफ़र कि फ़ुस्साके इंस व जिन्न से मुज़िर्रत पहुंचती है और हर काम में दिक़्क़त पेश आती है।

या[14] हंगामे जिमाअ, शर्मगाहे ज़न की तरफ़ निगाह करे कि मआज़ल्लाह अपने या बच्चे या दिल के अंधे होने का बाइस है।

या[15] उस वक़्त बातें करे कि बच्चे के गूंगे होने का एहतमाल है।

या[16] खड़े खड़े पानी पिया करे कि दर्दे जिगर का मूरिस है।

या[17] पाख़ाना में बग़ैर बिस्मिल्लाह और اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ कहे जाए कि ख़ब्बीस (मर्द ख़्वाह औरत) जिन्न से मुज़िर्रत का अंदेशा है।

या[18] लोगों के रास्तों में ख़्वाह उनकी नशिस्त व बरख़ास्त की जगह पाख़ाना पेशाब करे या कूड़ा करकट डाले या ऊपर से पानी वग़ैरह फेंके कि उनके मुलव्विस होने को अंदेशा हो तो आप ही गालियां खाएगा।

या[19] सफ़र से पलट कर बग़ैर इत्तिलाअ किए रात को अपने घर में चला आए कि मकरूह देखने का एहतमाल है।

या[20] फ़ासिकों, फ़ाजिरों, बदवज़ओं, बदमज़हबों के पास नशिस्त

Scanned by CamScanner

व बख़्वास्त करे उनसे मेल जोल ख़लत मलत रखे उनसे मशवेरा ले, उन पर एतमाद करे कि लोगों के नज़दीक उन्हीं में शुमार होगा और फिर मुहब्बत तो अपना रंग लाती ही है उनका रंग चढ़ जाए तो दीन व ईमान के रुख़सत होने या क़ल्बी बीमारियों के पैदा होने का ख़तरा सामने मौजूद और अगर बिलफ़र्ज़ सुहबते बद के असर से बचा तो मुत्तहिम व बदनाम ज़रूर हो जाएगा और मस्ल मशहूर है बद अच्छा बदनाम बुरा। फिर अक़ीदह की बदनामी, अमल की बदनामी से बदर्जहा बदतर।

यह और इस क़िस्म के सदहा उमूर व आदाब, अहादीसे करीमा में मासूर और उलेमाए अहले सुन्नत के फ़तावा व कुतुब में मज़कूर हैं। ख़ुदा तौफ़ीक़ दे और जो यहां ज़िक्र किए गए वही ज़ेहन नशीन रहें तो रहमते ख़ुदावन्दी को त्वज्जोह फ़रमाते और बरकतों के नुज़ूल में क्या देर लगती है।

असबाबे ग़िना व फ़राख़दस्ती

१. नमाज़े इशराक़ यानी तुलू आफ़्ताब के कम अज़ कम २० मिनट बाद २ या ४ नफ़िल पढ़ना।

२. चाश्त की नमाज़ की पाबन्दी करना। दौलत बे ज़वाल में लिखा है कि दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकतीं। मुफ़लिसी और चाश्त की नमाज़ यानी जो काई चाश्त की नमाज़ का पाबन्द होगा, कभी मुफ़लिस न होगा।

३. अय्यामे बैज़ यानी हर महीने की १३-१४ और १५ को रोज़ा रखना।

फ़ुतूहुल अवराद में मंक़ूल है कि तजुर्बा से यह बात साबित हो

चुकी है कि जो कोई अय्यामे बैज़ के रोज़े रखे उसके रिज़्क़ में वुसअत होगी। दुनियावी आफ़तों से महफूज़ रहेगा और दोनों जहां में बरकतों से माला माल।

४. सूरः वाक़िया का हमेशा बिलख़सूस बाद मग़रिब पढ़ते रहना।

५. मर्दों को अव्वल वक़्त फ़ज्र में, सुन्नत फ़ज्र अपने घर पढ़ कर, फ़ज्र नमाज़ के लिए मस्जिद में जाना कि बाज़ रिवायत में आया है कि जिस शख़्स ने फ़ज्र की सुन्नतें अपने घर में पढ़ी अल्लाह तआला उसका रिज़्क़ कुशादह करता है। उसके अइज़्ज़ा व अक़ारिब का झगड़ा उससे कम हो जाता है और उसका ख़ात्मा ईमान पर होता है।

६. नमाज़ पंचगाना के लिए अज़ान का जवाब देना और उसका एहतराम बजा लाना, कि लेटा हो तो बैठ जाए अवराद व वज़ाईफ़ बल्कि तिलावत कुरआन मौक़ूफ़ कर दे। सर पर टोपी दो पट्टा वग़ैरह डाल ले। हरगिज़ हरगिज़ दुनिया की कोई बात न करे कि ईमान में ख़लल आने का अन्देशा है।

७. दीनी मालूमात फ़राहम करने की कोशिश में लगा होना।

८. दूसरों तक इल्म दीन पहुंचाना अगरचे कुरआन की एक आयत या दीन का एक मसला कि दूसरों को तुम से जो ख़ैर की ख़बर पहुंचे वह तुम्हारे लिए मुबारक है।

९. ख़ुदा तौफ़ीक़ दे तो नमाज़े तहज्जुद पढ़ते रहना।

१०. तौबा व इस्तग़फ़ार करना। बिलख़सूस फ़ज्र की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ७० बार।

११. मर्दों को हुक्मे शरई के मुताबिक चान्दी की अंगूठी में अक़ीक़ सुर्ख़ इस्तेमाल करना यह मोजब बर्कत भी है और दर्द व जिगर

Scanned by CamScanner

को नाफ़ेअ भी।

१२. घर में आयतल कुर्सी और सूर: इख़्लास पढ़ते रहना।

१३. सुबह के वक़्त या बाद अस्र, या मग़िरब व इशा के वक़्त माबीन न सोना।

१४. हर नमाज़ के बाद तसबीह फ़ातिमा पढ़ना, यानी ३३ बार सुब्हानल्लाह ३३ बार अलहम्दु लिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अक्बर।

१५. कुरआन मजीद और दीनी किताबें दीनी मदरसों के लिए वक़्फ़ करना।

१६. वालिदैन की ख़िदमत में मसरूफ़ रहना।

१७. सूर: मुज़्ज़म्मिल और सूर: नबा की तिलावत कम अज़ कम एक बार कर लेना और सूर: मुल्क बाद इशा पढ़ कर सो रहना और शबे जुमा में सूर: कहफ़ पढ़ना।

१८. सिर्का घर में रखना।

१९. आशुरा मुहर्रम में मिसकीनों को खाना खिलाना कि आज के रोज़ जो चीज़ दूसरों को खिलाई पिलाई जाती है। साल भर तक उसमें बरकत रहती है। इसीलिए मुसलमानों में हलीम का अमल जारी है।

२०. दरूद शरीफ़ बकसरत पढ़ना

اللّٰهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلىٰ كلّ من

هو محبوبٌ ومرضيٌّ لديه

दुआये ख़ैर

رب عزّ و جلّ رؤف رحیم کریم حی قیوم عظیم علیم جلّ
مجدہٗ سے بتوسل حضور سید المحبوبین سید المرسلین نبی الرحمۃ
شفیع الامۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ وابنہ الاکرم
الغوث الاعظم واولیاء امتہٖ وعلماء ملتہٖ اجمعین۔

बनिहायत तजुर्रअ व ज़ारी दुआ है कि वह इस रिसाला और इस फ़क़ीर बे माया की तमाम तालीफ़ात को ख़ालिसन लिवजहुल करीम फ़रमाये और अहले इस्लाम को आजिला आजिलन अब और आईन्दा उनसे नफ़ा बख़्शे आमीन।

برحمتک یا ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ سیدنا ومولٰنا محمد وآلہٖ وصحبہٖ اجمعین
سبحانک اللّٰھم وبحمدک اشھد ان لا الٰہ الا انت استغفرک
واتوب الیک

العبد

मुहम्मद ख़लील खां अलक़ादरी अलबरकाती अफ़ीअन्हु

प्रकाशक
मकतबा जामेनूर
422-मटिया महल, जामा मस्जिद, देहली-6
फोन : 3281418

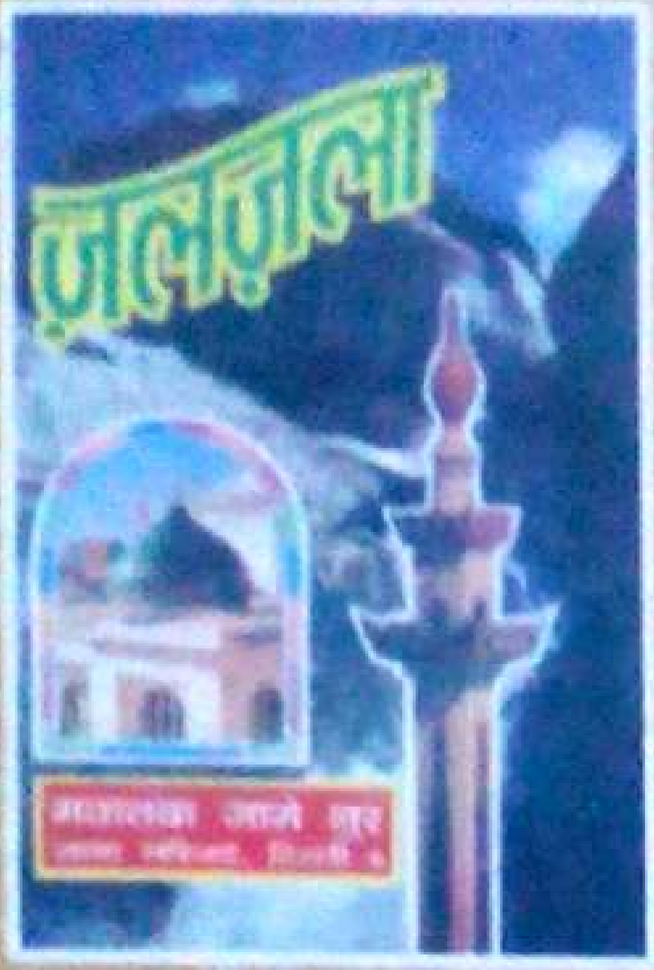

مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com

Scanned by CamScanner